हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

23 अगस्त, 2021

खण्ड–2 अंक–2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 23 अगस्त, 2021

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना

राज्य में कोविड– 19 की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों का मामला उठाना।

स्थगन प्रस्तावों की सूचना
वॉक आउट

स्थगन प्रस्तावों की सूचना (पुनरारम्भ)

वॉक आउट

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना (पुनरारम्भ)

विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला उठाना

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना (पुनरारम्भ)

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

(i) कक्षा प्रथम से आठवीं के लाखों विद्यार्थियों को विद्यालयों से किताबे उपलब्ध न कराने से संबंधित

वक्तव्य–

शिक्षा मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

(ii) भिवानी जिले में पीने के पानी की भारी कमी से संबंधित

वक्तव्य–

सहकारिता मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

भिवानी शहर तथा तोशाम निर्वाचन क्षेत्र के कई गांवों में पीने के पानी की भारी कमी के मामले की जांच संबंधी समिति का गठन।

वर्ष 2021–22 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करना
प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

वर्ष 2021–22 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा

मतदान

विधायी कार्य–

(1) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021 का विधेयक का स्थगितकरण

(2) पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

(i) दि पंचकूला मैट्रोपोलिटन डिवैल्पमैंट अथौरिटी बिल, 2021

(ii) दि हरियाणा गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (सैकेंड अमेंडमैंट) बिल, 2021

(iii) दि हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवैंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) बिल, 2021

(iv) दि हरियाणा परिवार पहचान बिल, 2021

बैठक का समय बढ़ाना

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

(3) विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक

(i) दि हरियाणा मैनैजमैंट ऑफ सिविक अमेनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डैफिशिएंट म्युनिसिपल एरिया (स्पेशल प्रौविजंस) अमैंडमैंट बिल, 2021

(ii) महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी, कैथल (अमैंडमैंट) बिल, 2021

(iii) दि हरियाणा लोकायुक्त (अमैंडमैंट) बिल, 2021

(iv) दि हरियाणा एंटरप्राइजिज प्रमोशन (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2021

(v) पंडित लखमी चन्द स्टेट युनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, रोहतक (अमैंडमैंट) बिल, 2021

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 23 अगस्त, 2021

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 02:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

———————

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव रखेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, आज यह बहुत ही कष्ट का विषय है कि राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह अभी 21 अगस्त, 2021 को हम सबको छोड़कर चले गए हैं। मैं इस संदर्भ में शोक प्रस्ताव रखता हूँ।

श्री कल्याण सिंह, राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल

यह सदन राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह के 21 अगस्त, 2021 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी, 1932 को हुआ। वे वर्ष 1967 से 1980 तथा 1985 से 2002 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे तथा 1977 में स्वास्थ्य राज्य मंत्री बने। वे 24 जून, 1991 से 6 दिसम्बर, 1992 तथा 21 सितम्बर, 1997 से 11 नवम्बर, 1999 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे उत्तर प्रदेश विधान सभा में विपक्ष के नेता भी रहे। वे वर्ष 2004 तथा 2009 में लोक सभा के लिए चुने गये। उन्होंने 4 सितम्बर, 2014 से 9 सितम्बर, 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। उनके पास 28 जनवरी, 2015 से 11 अगस्त, 2015 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्य भार भी रहा।

वे संवैधानिक मूल्यों एवं आदर्शों के प्रबल पक्षधर थे। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र उन्हें सदैव कृतज्ञता के भाव से याद रखेगा। उन्होंने अपने लम्बे तथा यशस्वी जीवन में राजनयिक एवं राजनेता के रूप में अमिट छाप छोड़ी। उनकी राम मंदिर निर्माण में महत्ती भूमिका रही, जिसके लिए उन्होंने अपने पद की भी चिंता नहीं की और दिसम्बर, 1992 में मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया।

उनके निधन से देश एक प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

वीर सैनिक

यह सदन सिपाही मोहम्मद अजहरुद्दीन, गांव नाई नंगला, जिला नूंह के 20 अगस्त, 2021 को हुए दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा शोक प्रस्ताव पर बोलेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गढ़ी सांपला किलोई): अध्यक्ष महोदय, अभी सदन के नेता ने दिवंगत आत्माओं के प्रति जो शोक प्रस्ताव रखे हैं, मैं भी उन शोक प्रस्तावों का समर्थन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह के 21 अगस्त, 2021 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

श्री कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी, 1932 को हुआ। वे वर्ष 1967 से 1980 तथा 1985 से 2002 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे तथा 1977 में स्वास्थ्य राज्य मंत्री बने। वे 24 जून, 1991 से 6 दिसम्बर, 1992 तथा 21 सितम्बर, 1997 से 11 नवम्बर, 1999 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे उत्तर प्रदेश विधान सभा में विपक्ष के नेता भी रहे। वे वर्ष 2004 तथा 2009 में लोक सभा के लिए चुने गये। उन्होंने 4 सितम्बर, 2014 से 9 सितम्बर, 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। उनके पास 28 जनवरी, 2015 से 11 अगस्त, 2015 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्य भार भी रहा।

वे संवैधानिक मूल्यों एवं आदर्शों के प्रबल पक्षधर थे। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र उन्हें सदैव कृतज्ञता के भाव से याद रखेगा। उन्होंने अपने लम्बे तथा यशस्वी जीवन में राजनयिक एवं राजनेता के रूप में अमिट छाप छोड़ी। उनकी राम मंदिर निर्माण में महत्ती भूमिका रही, जिसके लिए उन्होंने अपने पद की भी चिंता नहीं की और दिसम्बर, 1992 में मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया।

अध्यक्ष महोदय, मुझे भी उनके साथ वर्ष 2004 में लोक सभा का सांसद रहने का मौका मिला था। वह मेरे अच्छे मित्र थे। उनके निधन से देश एक प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

वीर सैनिक

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से सिपाही मोहम्मद अजहरुद्दीन, गांव नाई नंगला, जिला नूंह के 20 अगस्त, 2021 को हुए

दुःखद एवं असामयिक निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूँ तथा दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों ने जो अपनी संवेदनायें प्रकट की हैं, मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूँ और शोक व्यक्त करते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह इन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। मैं इस सदन की भावनाओं को इन सभी शोक–संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा।

अब मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि इन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

.....

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है।

Teacher's Recruitment on Regular Basis

***1202. Shri Mamman Khan:** Will the Education Minister be pleased to state whether teacher's recruitment in Aarohi Model Schools at District Nuh has been made by the Government on regular basis; if so, the details thereof?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : नहीं, श्रीमान जी।

श्री मामन खानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि भारत सरकार ने मेवात को पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना है, उसी को मद्देनजर रखते हुए मेवात को 5 आरोही मॉडल स्कूल दिये गये थे। हमारे यहां पर पांच ब्लॉक हैं। जिसमें 153 अध्यापकों के पद सैंग्शंड हैं। जिसमें से केवल 24 पद ही भरे हुए हैं, इस हिसाब से 129 अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। पांच प्रिंसिपल के पद थे, उनमें से केवल एक प्रिंसिपल नगीना, आरोही मॉडल स्कूल में लगा हुआ था, वो भी प्रतिनियुक्ति पर पंचकूला डाईट भेज दिया गया है। मुझे लगता है कि शायद प्रिंसिपल की मेवात से ज्यादा पंचकूला में ज्यादा जरूरत है, अच्छी बात है लेकिन मेवात का शिक्षा पर उतना ही हक है जितना हक दूसरे

जिलों का है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ इन स्कूलों को जो सुविधाएं दी गई थी, वह सैंटर गवर्नमैंट के स्कूलों के बराबर दी गई थी। जब इन आरोही स्कूलों में पांच साल पहले अध्यापक भर्ती किये गये थे, उन्हें यह कहा गया था कि पांच वर्ष के पीरियड के बाद आप लोगों को रेगुलर कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक उन अध्यापकों को रेगुलर नहीं किया गया है। वर्ष 2011 में इन अध्यापकों की सैलरी लगभग 60 हजार रुपये थी, लेकिन आज इनकी सैलरी घटाकर तकरीबन 30 हजार रुपये कर दी गई है। पहले तो सरकार यह कहती रही कि हम इन अध्यापकों को रेगुलर करेंगे, लेकिन कुछ ही दिन पहले एफ.सी. ने एक लेटर इशू कर दिया कि इन अध्यापकों को रेगुलर नहीं किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूँ कि मेवात में पांच आरोही मॉडल स्कूल चल रहे हैं, लेकिन रेगुलर भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? 153 अध्यापकों और पांच प्रिंसिपल के पदों को कब तक भरा जायेगा? इसके साथ–साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2020 के बजट सत्र में माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैंने एक क्वैश्चन पूछा था । मैंने पूछा था कि मेवात में टीचर्स की जो 50–60 परसैंट सीटें खाली पड़ी हैं उनको कब तक भर दिया जाएगा । इसका माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया था कि आने वाले 6 महीनों में इन सीटों को भर दिया जाएगा । अध्यक्ष महोदय, वे सीटें आज तक भी नहीं भरी गई हैं । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनके जवाब के अनुसार उन सीटों को भरने के 6 महीने किस तारीख को पूरे होंगे ?

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वैसे तो वह मूल प्रश्न से अलग है लेकिन फिर भी मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा । वर्ष 2012–13 में आरोही मॉडल स्कूल्ज के लिए अलग–अलग कैटेगरीज की 2232 पोस्ट्स की स्वीकृति दे दी गई थी और हरियाणा आरोही मॉडल स्कूल सोसाइटीज द्वारा कॉंट्रैक्ट पर ये भर्तियां की गई थी । ये भर्तियां हमारे समय में नहीं की गई बल्कि हमसे पहले ही की गई थी । वर्ष 2013 में स्वीकृत किये गए 2232 पद फाइनैंस डिपार्टमैंट द्वारा 13.07.2021 को वापिस ले लिए गए थे परन्तु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 4.08.2021 को आरोही स्कूल में कार्यरत स्टाफ के सभी पदों को स्वीकृति देने बारे स्कूल एजूकेशन तथा फाइनैंस डिपार्टमैंट की एक ज्वॉयंट कमेटी बना दी गई है । यह कमेटी शीघ्र ही इस विषय पर कार्य करके निर्णय लेगी और

स्टाफ के सभी पदों को स्वीकृत किया जाएगा । आने वाले समय में हम इन सभी स्कूल्ज को मॉर्डन संस्कृति स्कूल के पैटर्न पर लेने जा रहे हैं ।

श्री मामन खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मेवात हिन्दुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है । मेवात एन.सी.आर. के नजदीक पड़ता है । इसके बावजूद इस जिले पर 'चिराग तले अंधेरा' वाली कहावत लागू होती है । जिस तरह से सरकार सभी जिलों को हर क्षेत्र में अपलिफ्ट कर रही है उसी तरह सरकार को मेवात जिले को भी ऊपर उठाना चाहिए । मेवात जिला शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है । क्या सरकार विकास के मामले में मेवात जिले को भी अन्य जिलों के बराबर लेकर आयेगी ?

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूं कि मेवात के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी । कोरोनाकाल में शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है । जिस तरह से माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि भर्ती नहीं हुई तो मेरा इसमें यही कहना है कोरोना की वजह से शिक्षा विभाग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है । उस दौरान हमारे सभी स्कूल्ज बंद रहे थे । इसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है । मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम जल्दी ही इस बारे में निर्णय लेंगे ।

श्री मामन खान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मुझे कृपया करके टीचर्स की भर्ती की सभी पोस्ट्स को भरने की 6 महीने पूरे होने की डेट बता दें ?

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं । माननीय सदस्य श्री मामन खान ने मेवात से संबंधित सवाल पूछा कि वहां पर टीचर्स की भर्ती कब तक कर दी जाएगी जिस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम अभी इसका कोई प्रावधान नहीं कर रहे हैं। वर्ष 2018 में विभाग ने एक चिट्ठी जारी की थी । आरोही एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में भारत सरकार ने 36 मॉडल स्कूल्ज खोले थे जिनको राष्ट्रीय स्तर पर बैकवर्ड ब्लॉक डिक्लेयर किया हुआ है जिसमें 5 स्कूल्ज नूँह में भी खुले थे और 2–3 पलवल में भी खुले थे । इस सरकार ने एक भी नया स्कूल नहीं खोला है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो 2232 पोस्ट्स सैंक्शन हुई थी उसके बारे में नये स्कूल्ज होने की वजह से कांट्रैक्ट पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया था। विभाग का इस संबंध में पत्र है कि जब ये कर्मचारी 5 साल का कांट्रैक्चुअल पीरियड पूरा कर लेंगे तो इनको नियमित कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इनको वर्ष 2013 में

छठा वेतन आयोग मिल गया था और वर्ष 2017 में सातवें वेतन आयोग की भी घोषणा हो गई थी लेकिन सरकार ने कांट्रैक्ट पर भर्ती उन कर्मचारियों पर इन वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया । माननीय मंत्री जी ने जवाब में 'ना' कह दिया । मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि नूँह एक तो बैकवर्ड ब्लॉक है और दूसरा माइनॉरिटी है । इन स्कूल्ज के लिए इससे बुरी बात क्या होगी कि आज तक भी आरोही मॉडल स्कूल्ज में केवल 16 प्रिंसिपल्ज, 297 पी.जी.टीज. और 22 लाइब्रेरियन्स हैं जबकि उन 36 के 36 स्कूल्ज में प्रिंसिपल्ज, 756 पी.जी.टी. और 576 टी.जी.टीज. की सैंक्शंड पोस्ट्स हैं । सरकार ने आज तक न तो इनकी रैगुलर भर्ती की और न ही कांट्रैक्ट पर लगे हुए कर्मचारियों को उन पोस्ट्स पर नियमित किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि उनमें से बहुत से टीचर्ज की एच.एस.एस.सी/एच.पी.एस.सी. के तहत पी.जी.टी. में सलैक्शन हो गया था। शिक्षा विभाग ने उनको यह आश्वासन दिया था कि आप आरोही मॉडल स्कूल्ज को छोड़कर न जाएं, आपको रेगुलर टीचर्ज की तरह ही रखा जाएगा और उन्होंने वहां पर ज्वाईन नहीं किया। उनके पास विभाग का पत्र भी है जिसमें यह कहा गया था कि आपको रेगुलर माना जाएगा। इन आरोही मॉडल स्कूल्ज के बच्चे नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर भी टॉप करते हैं। अब इनकी दुर्गति हो चुकी है। इनका 2 साल पहले एग्जाम हुआ था, परन्तु आज तक उसका नतीजा घोषित नहीं किया गया है। पिछले 7 सालों से सरकार ने एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में एक भी आरोही मॉडल स्कूल नहीं खोला है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सैंट्रल स्कूल के पैटर्न पर भारत सरकार ने हरियाणा प्रदेश में जो स्कूल शुरू किये थे। उनको कृपा करके उसी पैटर्न पर शुरू कर दें। इनमें सभी टीचर्ज एचटैट, नैट और पी.एच.डी. क्वालिफाइड हैं और इनका सोसायटी के माध्यम से मैरिट बेस पर सैलेक्शन हुआ है। वे दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्या यही हमारी वर्ष 2020 की नयी शिक्षा नीति है ? सरकार ने कहा है कि हम इस नयी शिक्षा नीति को 2025 तक लागू कर देंगे तो ये स्कूल्ज बन्द हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे काइंडली इनकी रेगुलराईजेशन करने बारे और 7वें पे कमीशन का लाभ देने बारे बताएं। इसके अतिरिक्त एफ.डी. ने लैटर लिखा है कि हम इनको रेगुलर कर्मचारी नहीं मानते। इस बात का भी माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण दें।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री मामन खान जी ने जो प्रश्न पूछा है उसका रिप्लाई नहीं में दिया है। अभी माननीय सदस्या ने कहा है कि उनकी सरकार के समय में 36 स्कूल्ज खोले गये थे। जबकि हमारी सरकार ने 115 मॉडर्न संस्कृति स्कूल्ज खोल दिये हैं।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार ने एक भी नया स्कूल नहीं बनाया है। केवल मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम से नामकरण किया गया है। इन्होंने मॉडल संस्कृति स्कूल्ज में एक भी सिंगल अपॉयंटमैंट नहीं किया है।

श्री अध्यक्षः गीता जी, यह क्वैशचन ऑवर चल रहा है। यह चर्चा करने का समय नहीं है। आप माननीय मंत्री जी का जवाब सुन लें।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, यह कोविड–19 की समस्या हमारे प्रदेश में ही नहीं है, बल्कि पूरे देश की समस्या है। जिसकी वजह से हमें समस्याएं आ रही हैं। माननीय सदस्या ने जो सवाल पूछा है, उसका जवाब भी सुन लें। इनकी पार्टी की सरकार के समय में केन्द्रीय स्कूल्ज की तर्ज पर 10 जिलों के पिछड़े ब्लॉक्स में 36 स्कूल्ज खोलें गये थे। जिसमें 75 प्रतिशत ग्रान्ट केन्द्र सरकार की तरफ से दी जा रही थी और 25 प्रतिशत स्टेट गर्वनमैंट की तरफ से दी जा रही थी। जिले में प्रत्येक स्कूल के लिए संबंधित डी.सी. की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी कि वह 11वीं और 12वीं कक्षाएं शुरू करवा दें। वर्ष 2011–12 में अलग–अलग जिलों में बनायी गयी कमेटी के माध्यम से स्टाफ रखा गया था। इन्होंने वर्ष 2013 में एक सोसायटी के थ्रू कान्ट्रैक्ट बेस पर स्टॉफ को रखा था। वर्ष 2015–2016 में केन्द्रीय सरकार ने एक स्कीम के तहत अपनी फाईनैंशियल स्पॉट वापिस ले ली थी। उसके बाद भी हरियाणा सरकार ने उन स्कूल्ज को चालू कर दिया। हमने वर्ष 2017 में जिले में अलग–अलग 2 कमेटीज को समाप्त करके स्टेट लेवल की कमेटी बना दी थी और उसने बाई लॉज बना दिये थे। वर्ष 2018–19 में हमने उन स्कूल्ज में छठी कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक के सारे बच्चों को ले लिया। आज हमारे पास उन 36 स्कूल्ज में 10,673 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, इन्होंने भी अच्छा काम किया। लेकिन हमने इनकी पार्टी की सरकार के समय से बच्चों की संख्या को 4 गुणा ज्यादा बढ़ा दिया है। मेरे पास इस समय उन बच्चों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

श्री मामन खानः अध्यक्ष महोदय, वहां पर स्कूल्ज में टीचर्ज नहीं हैं तो पढ़ाई कहां से होगी ?

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त माननीय सदस्या ने इन स्कूल्ज में पदों की बात की है। यह बात सही है कि यह गलती इनकी पार्टी की सरकार के समय की है क्योंकि इन्होंने ही उनको कान्ट्रैक्ट बेस पर रखा था। जब नियम बदल गये तो फाईनैंस डिपार्टमैंट ने अपनी स्वीकृति वापिस ले ली। इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि हमने स्कूल एजूकेशन डिपार्टमैंट और फाईनैंस डिपार्टमैंट की एक ज्वाईंट कमेटी गठित कर दी है और वह निश्चित रूप से उनके पक्ष में निर्णय करेगी। हम आगे उन स्कूल्ज को मॉडर्न संस्कृति स्कूल्ज के साथ जोड़ देंगे।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी उन स्कूल्ज को मॉडल संस्कृति स्कूल्ज से नहीं जोड़ सकते। माननीय मंत्री जी उनको रेगूलर करने के बारे में घोषणा कर दें। अध्यक्ष महोदय, वह बैकवर्ड एरिया है, इसलिए माननीय मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि हम अच्छी शिक्षा देंगे जिससे वह एरिया फारवर्ड हो जाएगा।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गीता जी, यह चर्चा का विषय नहीं है। प्लीज, आप बैठ जाएं।

.....

To Start B.A.M.S Classes

***1160. Shri Sita Ram Yadav:** Will the Ayush Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that the building of Baba Khetanath Ayurvedic College and Hospital at Patikra (Narnaul) has been constructed by the Government; if so, the time by which the classes of B.A.M.S are likely to be started in the said college and hospital; and

(b) the reasons for which the classes has not been started so far?

@ Health Minister (Shri Anil Vij) : Sir, a statement is laid on the table of the House.

.....

@ Replied by the Cooperation Minister

Statement

The position regarding the reply in the referred question for Point No. (a) and (b) is given below:-

(a) The building of Baba Khetanath Ayurvedic College and Hospital at Patikra (Narnaul) has been constructed by PWD (B&R) on the land measuring 21 acre 2 kanal 3 marla on lease basis for 33 years by Gram Panchayat, Patikra and handed over to AYUSH Department on 10.07.2017.

As per regulation 10 (a) of notification of Central Council of Indian Medicine (CCIM) dated 07.11.2016 which is reproduced here as under:-

10 (a) Before admission of the first batch of students, the college shall have-

at the time of submission of application, there shall be a fully developed hospital building as specified regulations 4 and 5 with functional Ayurveda hospital prior two years from the date of application, having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;

As per CCIM norms there should be a fully developed hospital building with functional Ayurveda Hospital prior two years from the date of application. **To make functional the IPD facility in the hospital the case is under active consideration of the Govt. The college will be made fully functional after getting the necessary permission of the CCIM after fulfilment of the condition of two years functional IPD prior to the date of application for starting admission of B.A.M.S. Course.**

The building of Ayurvedic Hospital was handed over to Civil Surgeon, Narnaul for management of Covid-19 for pandemic from 29.03.2020 onwards. The whole building of Hospital is under the control of CMO Narnaul/DG, Health Panchkula at present. Because of Covid-19 pandemic, the Hospital has not been made functional.

(b) Because of Covid-19 pandemic, the Ayurvedic College/Hospital has been running as District Covid Center.

श्री सीता राम यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार द्वारा पटीकरा (नारनौल) में बाबा खेतानाथ आयुर्वेदिक महाविद्यालय तथा अस्पताल के भवन का निर्माण किया गया था। उक्त महाविद्यालय तथा अस्पताल में बी.ए.एम.एस. की कक्षाएं कब तक आरम्भ होने की संभावना है और कक्षाएं आरम्भ न करने के क्या कारण हैं?

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सैंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मैडीसिन की गाईडलाईंज में लिखा हुआ है कि किसी भी मैडीकल कॉलेज में कक्षाएं शुरू करने से पहले दो साल ओ.पी.डी. और इनडोर शुरू होनी चाहिए। इस बिल्डिंग का वर्ष 2017 में उद्घाटन हुआ था। वर्ष 2019 में कोविड आ गया था और कोविड आने की वजह से इस बिल्डिंग को कोविड सैंटर में तब्दील कर दिया गया था लेकिन अब सिविल सर्जन नारनौल और डी.सी. नारनौल को लिख दिया गया है कि इस बिल्डिंग को आयुष डिपार्टमैंट को वापिस दे दें। अब सैंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मैडीसिन ने छूट दे दी है कि दो साल की जो कंडीशन लगाई गई थी, कोविड को देखते हुए उसमें अब रिलैक्सेशन दे दी गई है। अब हम इस कॉलेज में वर्ष 2022–23 के सैशन में क्लासें शुरू करने के प्रयास करेंगे। सरकार ने इस कॉलेज में मैडीकल सुप्रिंटैंडेंट के अलावा अन्य स्टाफ की भी रिक्रूटमैंट के लिए कमेटी गठित की है।

श्री सीता राम यादव : अध्यक्ष महोदय, यह भवन नवम्बर 2017 में बनकर तैयार हो गया था। हमारे देश और प्रदेश में कोविड–19 वर्ष 2020 में आया था यानि 2 साल और 4 महीने पहले ही यह भवन बनकर तैयार हो गया था। इसमें स्टाफ की भी मंजूरी मिल गई थी लेकिन अभी तक स्टाफ की भर्ती नहीं की गई है। इस भवन के लिए जो सामान खरीदा गया था, अभी तक उनका भी प्रयोग नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्टाफ की कब तक भर्ती कर दी जायेगी और इसके अलावा यह भी माननीय मंत्री जी आश्वासन दें कि इस मैडीकल कॉलेज में कब तक क्लासिज शुरू हो जायेंगी?

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा अभी माननीय सदस्य को बताया कि इस मैडीकल कॉलेज में वर्ष 2022–23 के सैशन में क्लासिज शुरू हो जायेंगी तब तक हम इसमें स्टाफ आदि की भर्तियां भी करनी शुरू कर देंगे।

Upgradation / Renovation of Water Works

***1136. Dr. Kamal Gupta :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for upgradation / renovation or desilting of water works of Mahabir Colony and 2nd water works at Kaimri road, Hisar; if so, the details thereof?

@ मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां, श्रीमान् जी,

1. हिसार शहर की महाबीर कॉलोनी मे जल घरों के विशेष मरम्मत, नवीनीकरण एवं गाद निकालने के लिए दिनांक 04.09.2020 को 593.95 लाख के एक अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा कार्य प्रगति पर है। अब तक इसमें 48.24 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं और दिनांक 31.03.2024 तक यह कार्यपूरा कर दिया जायेगा।

2. कैमरी रोड हिसार मे द्वितीय जलघर की विशेष मरम्मत/आवर्धन के लिए दिनांक 30.06.2021 को 713.05 लाख के एक दूसरे अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्य के लिए, निविदा 25.08.2021 को खोला जाएगा और उसके बाद कार्य किया जायेगा और दिनांक 31.12.2023 तक इस काम को पूरा कर दिया जायेगा।

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो कैमरी रोड पर जलघर है उसका पानी बालसमंद नहर से जोड़ा गया है। वहां पर गर्मियों के दिनों में पानी की काफी किल्लत रहती है क्योंकि उस नहर में महीने में केवल 7 दिन ही पानी आता है। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि जो भाखड़ा नहर वहां से गुजरती है अगर उससे इस बालसमंद नहर को जोड़ दिया जाये तो उसके साथ हिसार का जो एरिया है वहां के लोगों को पानी की दिक्कत नहीं होगी। मेरी दूसरी बात यह है कि जो कैमरी रोड पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है। वह बहुत ही पुराना हो चुका है। उसकी रिपेयर के लिए संबंधित डिपार्टमैंट ने 25 लाख रुपये भी दिये हैं लेकिन मैं समझता हूं कि 25 लाख रुपये से इस फिल्ट्रेशन प्लांट को रिपेयर कर देंगे तब भी बात बनने वाली नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से यही निवेदन है

.....

@ Replied by the Cooperation Minister

कि वहां पर नया फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जायेगा तभी यह सही रूप से चल पायेगा।

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की मांग को विभाग के स्तर पर एग्जामिन करवा लूंगा। अगर इसकी फिजीबिलिटी पाई गई तो इसके ऊपर आगे की कार्यवाही कर ली जायेगी। इस मामले में विभाग के स्तर पर समय–समय पर जो भी कार्यवाही की जायेगी, उससे माननीय सदस्य को अवगत करवा दिया जायेगा।

.....

Number of Employments given by the Government

***1157. Shri Jagbir Singh Malik:** Will the Chief Minister be pleased to state the department wise number of employments given by the Government in the State since its formation in the year 2019?

@मुख्यमन्त्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, सूचना सदन के पटल पर रखी है।

सूचना

सरकार द्वारा अक्टूबर, 2019 से विभागावार दिये गये रोजगार की संख्या का ब्यौरा :–

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा = 10,576

हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा = 1,440

कुल = 12,016

अक्टूबर, 2019 से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से सम्बधित आंकडेः–

क्रमांक	विभाग/बोर्ड/कार्पोरेशन का नाम	कुल रोजगार की संख्या
1	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	107
2	भिवानी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा	2
3	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा	6
4	विकास एवं पंचायतें विभाग	195
5	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम	818
6	मौलिक शिक्षा विभाग	1983
7	आबकारी एवं कराधान विभाग	206

.....

@ Replied by the Education Minister

8	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	80
9	वन विभाग	112
10	हैफड, हरियाणा	55
11	हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ	4
12	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	40
13	हरियाणा राज्य भंडारण निगम	11
14	स्वास्थ्य विभाग	92
15	हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा	36
16	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम	337
17	सिचाईं एवं जल संसाधन विभाग	686
18	कुरुक्षेत्र डिवलेपमैन्ट बोर्ड	1
19	पुलिस हाउसिंग	14
20	जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	122
21	लोक निर्माण (भवन एवं सडकें) विभाग	178
22	राज्य सैनिक बोर्ड	26
23	नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग	25
24	परिवहन विभाग	38
24	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम	497
25	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	107
26	विभिन्न विभागों/बोर्डों/कार्पोरेशन में लिपिक के पदो पर रोजगार	4798
	कुल रोजगार	**10576**

अक्टूबर, 2019 से हरियाणा लोक सेवा आयोग से सम्बधित आंकडेः–

क्र0 संख्या	**पद व विभाग का नाम**	**सिफारिश किए गए उम्मीदवारों की संख्या**
1	हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) रजिस्टर ए–II	01
2	हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) रजिस्टर ए–I	21
3	हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) परीक्षा 2018	27
4	हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी	48

	शाखा)	
5	पुलिस उपाधीक्षक, गृह विभाग	07
6	आबकारी एंव कराधान अधिकारी, आबकारी एंव कराधान विभाग	11
7	सहायक आबकारी एंव काराधान अधिकारी , आबकारी एवं कराधान विभाग	44
8	जिला खादय एंव आपूर्ति नियन्त्रक, खादय एंव आपूर्ति विभाग	01
9	जिला खादय एंव आपूर्ति अधिकारी, खादय एंव आपूर्ति विभाग	04
10	यातायात प्रबंधक, परिवहन विभाग	02
11	खंड विकास एंव पंचायत अधिकारी, विकास एंव पंचायत विभाग	19
12	सहायक रोजगार अधिकारी, रोजगार विभाग	05
13	सहायक रजिस्टार सहकारिता समिति, सहकारिता विभाग	07
14	"ए" श्रेणी तहसीलदार, राजस्व एंव आपदा प्रबंधन एंव चकबन्दी विभाग	18
15	जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी–II उद्यान विभाग हरियाणा	41
16	उद्यान विकास अधिकारी श्रेणी–II उद्यान विभाग हरियाणा	95
17	औषधि नियंत्रण अधिकारी, खादय एंव औषधि प्रशासन विभाग	26
18	वरिष्ठ दंत चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग	03
19	सहायक निदेशक, कौशल विकास और औधोगिक प्रशिक्षण विभाग	09
20	जिला सूचना एंव जन सम्पर्क अधिकारी, सूचना एंव जन सम्पर्क विभाग हरियाणा	10
21	सहायक प्रौफेसर (कालेज काडर) उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा की भर्ती 04 विषयों में:– (क) कंम्पयूटर विज्ञान (ख) समाज विज्ञान (ग) साइक्लोजी (मनोविज्ञान)	 09 20 25

22	सहायक श्रम आयुक्त, श्रम विभाग	08
23	उप–अधीक्षक जेल (मेल) गृह विभाग	04
24	(प) सहायक अभियंता (सिविल) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, हरियाणा। (पप) सहायक अभियंता (यांत्रिक) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, हरियाणा।	18 02
25	चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग।	954
26	वरिष्ठ कार्यकारी पायलट, सिविल विमानन विभाग।	01
	कुल योग	**1440**

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि उन्होंने अपने जवाब में डिपार्टमैंटवाईज लिस्ट दी है कि विभिन्न विभागों में कुल कितनी पोस्ट्स वेकैंट हैं? मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे यह बतायें कि एजुकेशन डिपार्टमैंट में कितने टीचर्ज की जरूरत है? बिजली बार्ड में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है? मंत्री जी मुझे इसकी डिटेल बतायें। इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पूरी हरियाणा स्टेट में जो बेरोजगारी की दर है वह कितनी है? (विघ्न) मैं यह भी जानना चाहता हूं सरकार हरियाणा प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देगी या नहीं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि विभिन्न विभागों में जो रिक्तियां हैं उन्हें कब तक भरा जायेगा?

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है कि सरकार द्वारा दिये गये रोजगार की विभागानुसार संख्या कितनी है? माननीय सदस्य के इस प्रश्न का जवाब हमने दे दिया है। अब इन्होंने दूसरी जानकारी मांग ली है। इस सम्बन्ध में मेरी इनसे यही रिक्वैस्ट है कि इसके लिए ये पृथक प्रश्न पूछ लें। उसके बाद इन्हें उसका जवाब दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : जगबीर सिंह जी, जो आपने प्रश्न पूछा था उसका जवाब आ गया है। अगर आप सरकार से कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग से लिखित प्रश्न दे दें।

———

Details of Political Programmes in the Universities

***1121. Shri Bharat Bhushan Batra**: Will the Education Minister be pleased to state-

(a) the datewise, University wise and political party wise details of political programmes organized by political parties in the Universities of State from September, 2019 till to date;

(b) the details of charges, electricity charges etc. togetherwith the details of party functionary who paid the said charges; and

(c) the details of party functionaries who applied for the permission of organizing the programmes mentioned in at (a) above togetherwith the details of authority who gave the permission thereof?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : (क) श्रीमान् जी, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा दो राजनीतिक कार्यक्रम चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा में क्रमशः दिनांक 09.12.2019 और 11.7.2021 को आयोजित किए गए थे। जननायक जनता पार्टी के छात्र संगठन नामतः इंडियन नेशनल स्टूडेंटस आर्गेनाइजेशन (आई0एन0एस0ओ0) ने दिनांक 05.08.2021 को महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के टैगोर सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया था।

(ख) जननायक जनता पार्टी के जिला सचिव ने दिनांक 09.12.2019 को करवाए गए कार्यक्रम के लिए एकमुश्त राशि रूपए 59,000/– का भुगतान (माल एवं सेवा कर सहित) तथा जिला कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, सिरसा ने दिनांक 11.07.2021 को करवाए गए कार्यक्रम के लिए एकमुश्त राशि रूपए 59,000/– का भुगतान किया। अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने दिनांक 05.08.2021 को आयोजित कार्यक्रम के लिए रूपए 1,77,000/–का भुगतान महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक को किया।

(ग) जननायक जनता पार्टी के जिला सचिव ने कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति के लिए सीधे चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा के कुलपति को आवेदन दिया था और कुलपति ने इसके लिए अनुमति प्रदान की थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति हेतु अनुरोध जिला प्रशासन के माध्यम से कानुन व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के बहुउद्देश्यीय हॉल में करवाने हेतू प्राप्त हुआ था तथा

कुलपति ने इसके बारे अपनी सहमति प्रदान की थी। अध्यक्ष, इंडियन नेशनल स्टूडेंटस आर्गेनाइजेशन ने कार्यक्रम के लिए कुलपति को आवेदन किया उन्होने इसकी अनुमति प्रदान की थी।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख होता है, बहुत चिन्ता का विषय है कि यूनिवर्सिटीज को राजनीतिक प्रोग्रामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। अभी कुछ दिन पहले ही केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में नैशनल ऐजूकेशन पॉलिसी 2021 की घोषणा की गई थी जिसमें ऐजूकेशन इंस्टीच्यूशन्ज में हायर ऑटोनोमी की बात कही गई थी। यूनिवर्सिटीज में राजनीतिक हस्तक्षेप और झंडे तथा बैनर लगाने का काम हमें तो आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला है। यूनिवर्सिटीज का मिसयूज हो रहा है और उसका कारण सिक्योरिटी को बताया गया है। इसमें ऐसा भी देखा गया कि यूनिवर्सिटी में कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के फोटोज लगे हुए थे जिनको इस राजनीतिक प्रोग्राम के लिए उतार दिया गया। इस प्रकार से कुछ अजीब सी परम्पराएं चलाई जा रही हैं जो कि प्रजातांत्रिक सैटअप के लिए अच्छी नहीं हैं। इस सबके लिए मंत्री जी ने जो कारण बताया है वह है सिक्योरिटी रीजन। This is no ground to use the University. This is not a right way to intervene in the University. अगर सिक्योरिटी की ही बात थी तो you have banquet Hall, you have Conventional Hall and other places also to use. इन जगह को भी आप किराये पर लेकर वहां पर सिक्योरिटी सिस्टम में इस तरह के प्रोग्राम कर सकते हैं। Why University should have been used? यह हमारे, हमारे प्रदेश और देश के लिए अच्छा नहीं है। आज तो माननीय मंत्री जी ने इसका कारण सिक्योरिटी को बता दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि भविष्य में यूनिवर्सिटीज में इस प्रकार का राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंने देंगे। ऑफिशियल प्रोग्राम और राजनीतिक प्रोग्राम में अन्तर होता है। ऑफिशियल प्रोग्राम में मुख्यमंत्री और मंत्री जाते हैं और वह यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल प्रोग्राम होता है। क्या मंत्री जी इस बात के लिए आश्वासन देंगे कि आज के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं होगा?

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, यह जो कार्यक्रम किये गये हैं ये सभी वी.सी. की अनुमति लेकर किये गये हैं। यह उनके अधिकार क्षेत्र में थे इसीलिए उनसे अनुमति लेकर प्रोग्राम किये गये हैं। जहां तक बच्चों का राजनीतिक कार्यक्रमों में इस्तेमाल

करने की बात है तो यह काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। अभी दो दिन पहले की ही बात है कि किस पार्टी ने बच्चों को साथ लेकर प्रदर्शन किया था? जिस प्रकार से इन्होंने बच्चों को साथ बैठा कर प्रदर्शन किया उससे ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी स्कूलों के विद्यार्थियों का राजनीतिक काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया, हमारी पार्टी में इस बात के लिए रोक है। यह बात ठीक है कि यूनिवर्सिटी का हॉल था और सुरक्षा कारणों से हमें प्रोग्राम करने के लिए उस हॉल की जरूरत थी इसलिए वहां पर कार्यक्रम किया गया और अपनी बात कही गई। हमने राजनीतिक कार्यक्रम के लिए स्टूडैंट्स को वहां पर नहीं बुलाया था। हमने केवल अपने कार्यकर्त्ताओं को वहां पर बुलाया था। इसके विपरीत हमारे विपक्ष के साथी क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं यह भी देख लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, अगर यह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था तो क्या वहां पर कीर्तन किया जा रहा था? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी में राजनीतिक कार्यक्रम करके एक गलत प्रैसीडैंट पेश किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, मंत्री जी ने जो कारण थे वे भी सदन के समक्ष रखे हैं और ये जो कार्यक्रम किये गये हैं ये विद परमिशन किये गये हैं। वाइस–चांसलर अथॉराइज्ड है और उन्होंने अनुमति प्रदान की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटीज को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, हमने टी.वी. पर बहुत बार देखा है कि राहुल गांधी यूनिवर्सिटीज में भाषण देकर आते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का कहना है कि दूसरी पोलिटिकल पार्टीज या पोलिटिकल पार्टीज के फंक्शनरीज और संगठन होते हैं वे इस तरह के प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज में नहीं करते हैं। मैं वर्ष 2017 का एक उदाहरण बताना चाहता हूं। एन.एस.यू.आई. तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ संगठन है। वर्ष 2017 में एम.डी.यू. में एन.एस.यू.आई. से 75 हजार रुपये लेकर उनको प्रोग्राम की अनुमति दी हुई है। इसी प्रकार Indian National Trade Union Congress (INTUC) ने दिनांक 17.10.2017 को महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी में 75 हजार रुपये देकर

कार्यक्रम किया था। यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार उनको पैसे लेकर किसी भी ऑर्गनाईज को कार्यक्रम करने के लिए अपनी बिल्डिंग देने की छूट है। यूनिवर्सिटी इसका प्रबंध स्वयं करें क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है। उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है। अगर उन्होंने किसी को परमीशन नहीं देनी है तो वह विषय उनकी ओर से आएगा। उनके पास परमिशन लेने के लिए तो कोई भी जाएगा। Organisation is an Organisation. इसलिए अगर कोई परमीशन लेने जाए और वाइस चांसलर उसको परमीशन देता है तो सरकार का उसमें क्या लेना–देना है। या तो इसको यूनिवर्सिटीज की ओर से बन्द करवाया जाए अर्थात सभी यूनिवर्सिटीज इसको बन्द कर दे।

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे इस बात के लिए कोई reasoning बनी नहीं। NSUI and ABVP are the student wings of Universities. अगर किसी मिनिस्टर को यूनिवर्सिटीज से निमंत्रण जाता है तब मिनिस्टर वहां जाता है। ऐसे कोई नहीं जाता। यह गलत परम्परा है।

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, जब अपने ऊपर बात आती है तो आप बात को दूसरी तरफ मोड देते हैं।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्परा है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, यूनिवर्सिटी ने वह परमीशन नियम के मुताबिक दी है। जब यूनिवर्सिटीज के रूल्ज में है तभी तो उन्होंने परमीशन दी है।

.....

Bad Condition of Hospital

***1142. Shri Dharam Singh Chhoker:** Will the Health Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that 100 beds Government hospital of Samalkha is in dilapidated Condition;

(b) whether it is also a fact that neither the doctors are appointed there as per required strength nor any other necessary equipments including x-ray machine are installed therein; and

(c) if so, the time by which the condition of above said hospital is likely to be improved?

@स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) नहीं श्रीमान जी।

(ख) चिकित्सको के 13 स्वीकृत पदो के विरूद्ध 06 नियुक्त हैं। उपकरण जैसे कि सक्शन मशीन, ई.सी.जी. मशीन, मल्टीपैरा मॉनिटर, रेडियंट वॉर्मर, नेब्युलाईजर, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर आदि उपलब्ध व चालू हालत में हैं। एक्स–रे मशीन की खरीद प्रक्रिया चल रही है।

(ग) भवन की हालत अच्छी हैं।

श्री धर्म सिंह छौक्कर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मैं यह प्रश्न हर सत्र में लगाता हूं। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में समालखा में 50 बैड के अस्पताल को बढ़ाकर 100 बैड का अस्पताल बनाया गया था। जिसकी बिल्डिंग 100 बैड की बन चुकी है। वहां ओ.पी.डी. जारी रहने की वजह से अभी 50 बैड का अस्पताल ही चालू है लेकिन वह 100 बैड का अस्पताल अपग्रेड नहीं हो पाया है। अभी मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह इंफॉरमेशन बिल्कुल गलत है। मैं परसों सी.एम.ओ. से मिलकर इसकी सारी डिटेल लेकर आया हूं। यह मेरे पास सिविल सत्र की चिट्ठी है। जिसमें इन्होंने कहा है कि इस संस्था में चिकित्सा अधिकारी के 14 पद स्वीकृत है जिनमें 11 मेडिकल ऑफिसर, 2 एस.एम.ओ. और 1 डैंटल सर्जन के पद स्वीकृत हैं। इन 14 डॉक्टर्ज में से आज वहां मात्र 3 डॉक्टर्ज ही उपलब्ध हैं। जहां तक स्टाफ नर्स की बात है वहां 13 में से 9 स्वीकृत पद हैं लेकिन उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भरा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बताना चाहूंगा जिसमें सिविल सर्जन की तरफ से मंत्री जी और डायरैक्टर जरनल हैल्थ को रिक्वैस्ट की गई है। इसमें लिखा है कि इस संस्था में स्वास्थ्य आंकड़ों में बढ़ौतरी के लिए महिला रोग विशेषज्ञ, दन्तक सहायक, रेडियोग्राफर, ओ.टी. तकनीशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र चिकित्सक, एनेस्थिसिया चिकित्सक व अन्य पदों पर स्टाफ की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति की जाए तथा संस्था की पुरानी बिल्डिंग में एक्स–रे मशीन ...

.....

@ Replied by the Cooperation Minister

को निर्धारित कमेटी द्वारा कंडम घोषित कर दिया गया है और इस संस्था में अल्ट्रासाउंड मशीन भी उपलब्ध नहीं है। अतः वर्तमान अस्पताल की 50 बैडिड की एस.एन.ई. व स्टाफ पोजिशन इस पत्र के साथ संलग्न करके भेजते हुए पुनः आपसे अनुरोध है कि जनहित को मद्देनजर रखते हुए इस संस्था को एक्स–रे मशीन व अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध करवाने तथा खाली पड़े स्वीकृत पदों को शीघ्र भरने का कष्ट करें ताकि इस संस्था के स्वास्थ्य आंकड़ों में बढ़ौतरी हो सके और जिससे इस संस्था को 100 बिस्तरीय अस्पताल में अपग्रेड करवाया जा सके। वहां कोई भी एक्स–रे मशीन व अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध नहीं है। वहां केवल डिलीवरी तो करवाई जाती है लेकिन उसके लिए भी पूरा इंतजाम नहीं है। वहां बिल्डिंग में गाय व कुत्ते सोते हैं। वहां 32 पोस्टें आउटसोर्सिज पॉलिसी के तहत भरी हुई हैं। पिछले दिनों मैं एक दिन चैकिंग पर गया तो वहां अस्पताल में केवल चार आदमी मिले बाकी पूरा अस्पताल खाली था। मैं आपके माध्यम से आज सदन में मंत्री जी से आश्वासन ही नहीं इस पूरी बात के लिए हां या नहीं में जवाब पूछना चाहता हूं। मैं इस अस्पताल को 100 बैड का करने के लिए हर सत्र में प्रश्न लगाता हूं। आप देखेंगे कि नैशनल हाई–वे पर दिल्ली से लेकर चण्डीगढ़ तक अगर कोई 100 बैड का अस्पताल है तो वह समालखा में स्थित है। बाकी सभी जगह अस्पताल अन्दर शहरों में स्थित हैं। रास्ते में अगर कोई एक्सिडैंट हो जाए तो अस्पतालों को ढूंढते फिरते हैं लेकिन वह अस्पताल ऑन रोड है। अगर किसी को दिन–रात में कोई दिक्कत आ जाती है तो वहां कोई सुविधा नहीं है। वहां कोई मशीन नहीं है, वहां पट्टी भी नहीं है, वहां दवाईयां भी नहीं हैं। वहां केवल एक एस.एम.ओ. और एक डॉक्टर हैं बाकी उस अस्पताल में कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 100 बैड की क्षमता का यह अस्पताल, समालखा में बिल्कुल जी.टी.रोड पर बना है जबकि अन्य जगहों पर अस्पताल शहर के अंदर बने हुए हैं। अगर बाईचांस कोई एक्सीडेंट हो जाये या किसी को मैडीकल ट्रीटमैंट की जरूरत पड़े तो इस अस्पताल का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन इस अस्पताल में न कोई सुविधा है, न किसी प्रकार की मशीनरी है, न कोई दवाईयां हैं और यहां तक की इसमें पट्टी करने तक का प्रबंध नहीं है। यहां पर एक एस.एम.ओ. स्तर का डॉक्टर है और एक अन्य डॉक्टर और नियुक्त है।

श्री अध्यक्षः छौक्कर जी, आपने सप्लीमैंट्री पूछी है अतः अब आप मंत्री जी को जवाब तो दे लेने दो।

श्री धर्म सिंह छौक्करः अध्यक्ष महोदय, मैं आज सारी बातें क्लीयर करके बताना चाहूंगा। मंत्री जी ने कहा कि यहां के लिए डॉक्टर्ज के 13 पद स्वीकृत हैं और 6 डॉक्टर्ज नियुक्त हैं। पहली बात तो यह है कि मंत्री जी को कम से कम आकड़ें तो सहीं बताने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरी माननीय मंत्री जी के सचिव से इस बारे में बात हुई थी और मैंने इस विषय को लेकर उनको फैक्स भी किया था। मेरे पास जो सिविल सर्जन की जो चिट्ठी है, यह चिट्ठी भी माननीय मंत्री जी के संज्ञान में होगी, माननीय मंत्री जी इस चिट्ठी को देखकर ही अपना जवाब दे देते ताकि सदन में गलत आकड़ें न दिए जाते और मेरी भी संतुष्टि हो जाती । मंत्री जी ने जो आकड़े प्रस्तुत किए हैं वह सारे के सारे गलत हैं। अध्यक्ष महोदय, समालखा में 100 बैड के हस्पताल की बड़ी सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः छौक्कर जी, आप अपने प्रश्न में तो लिख रहे हैं कि यह अस्पताल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है लेकिन अब आप कह रहे हैं कि यह बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है।

श्री धर्म सिंह छौक्करः अध्यक्ष महोदय, आप बिल्डिंग का विषय छोड़िये इसको तो मैं पी.डब्ल्यू.डी. आफिसर के साथ बात करके ठीक करवा लूंगा। मेरा निवेदन बस इतना है कि इस अस्पताल में स्टॉफ की पोस्टिंग कर दो और जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे एक्सरे मशीन है या अल्ट्रासाउंड मशीन है, बस इसका प्रबंध कर दो तो इससे मेरे क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ एक अनुरोध यह भी करना चाहूंगा कि 100 बैड के इस अस्पताल के लिए मनाना गांव की पंचायत ने 12 एकड़ की जगह फ्री ऑफ कास्ट दी थी। अस्पताल में जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं, यदि इस अस्पताल में इस गांव के बच्चों को आउटसोर्सिंग आधार पर नौकरी दे दी जाये तो इस गांव के साथ न्याय करने वाली बात होगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस विषय को लेकर गांव के 500 लोग आए थे। उन सबकी इच्छा थी कि गांव के 5–6 बच्चों को आउटसोर्सिंग पॉलिसी पर इस अस्पताल में लगाया जाये। मैंने उनको कहा था कि मैं इस बारे में सदन में आवाज उठाउंगा। अतः मेरा पुनः निवेदन है कि इस दिशा में सरकार की तरफ से यथासंभव प्रभावी कदम उठाये जायें।

श्री अध्यक्षः देखिए, बच्चे क्वालिफाइड होंगे तभी तो लगेंगे। यह अस्पताल का विषय है कोई आफिस का विषय नहीं है। अस्पताल में तो वे बच्चे लगने चाहिएं जो

क्वॉलिफाइड हो। आप कैसी बात कर रहे हैं ? अस्पताल में तो क्वालिफाइड डॉक्टर्ज की जरूरत होती है।

डॉ. बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन देता हूँ कि इनके अस्पताल में 15 दिन के अंदर एक्सरे मशीन आ जायेगी।

श्री अध्यक्षः छौक्कर जी, मंत्री जी ने आपको आश्वासन दे दिया है कि समालखा के अस्पताल में 15 दिन के अंदर एक्सरे मशीन आ जायेगी। अब आप प्लीज बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने क्षेत्र की अस्पताल से जुड़ी समस्या की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, ऐसे नहीं होता। यह प्रश्न काल है और प्रश्न काल में आपको इस तरह बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर आपके क्षेत्र की कोई समस्या है तो उसके लिए आप अपना प्रश्न लगाइये। छौक्कर जी ने प्रश्न लगाया है, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। आप प्लीज बैठिए। अब मलिक साहब की कोई भी बात रिकॉर्ड न की जाये।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, *******

डॉ. बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, जहां तक डॉक्टर्ज की बात है, यह ठीक बात है कि हरियाणा प्रदेश में डॉक्टर्ज की कमी है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी इस बात को कहते रहे हैं। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे यहां 980 डॉक्टर्ज की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और तीन महीने के अंदर अंदर यह भर्ती हो जायेगी और इसके बाद इन डॉक्टर्ज को यहां पर अपाइंट कर दिया जायेगा।

.....

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

Details of Rain Water Harvesting Pits

***1197. Shri Rakesh Daultabad:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the category wise number of Rain Water Harvesting Pits in residential and commercial area falling under MCG (Municipal Corporation of Gurugram) together with the capacity and location thereof?

@ शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है। नगर निगम, गुरुग्राम के अधिकार क्षेत्र में कुल 404 वर्षा जल संचयन गड्ढे मौजूद हैं। आवासीय क्षेत्र में 357 और वाणिज्यिक/संस्थागत क्षेत्र में 47 वर्षा जल संचयन गड्ढों का निर्माण किया गया है।

विवरण

महोदय, नगर निगम, गुरुग्राम के अंतर्गत आने वाले आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्र में मौजूद वर्षा जल संचयन गड्ढों का श्रेणीवार विवरण क्षमता एवं स्थान सहित निम्नानुसार है :–

एम. सी. जी. द्वारा निर्मित जल संचयन गड्ढों का विवरण					
क्रम संख्या	वार्ड संख्या	स्थान	श्रेणी (आवासीय/व्यावसायिक एवं संस्थागत)	कुल संख्या	वार्ड वार अनुमानित क्षमता एल0 पी0 एच0 में
1	1	Near C-1-40, C-Block, Palam Vihar, Gurugram	आवासीय	1	1700
2	1	Near C-2 Main Gate, C-2-Block,Palam Vihar, Gurugram	आवासीय	1	2300
3	1	Near D-1939, D-Block, Palam Vihar,Gurugram	आवासीय	1	1800
4	1	Near PVK E-2359, E-Block, Palam Vihar, Gurugram	आवासीय	1	2200
5	1	Near G-71-A,G-Block, Palam Vihar, Gurugram	आवासीय	1	1500
6	1	1. Near H-351-A,H-Block, Palam Vihar, Gurugram	आवासीय	1	2000
7	1	2. Near H-629-C ,H-Block, Palam Vihar, Gurugram	आवासीय	1	2500
8	1	3. Near Andhra Bank, H-Block, Palam Vihar, Gurugram	आवासीय	1	2000
9	1	Near Surya Infracon Building, H-Block, Palam Vihar, Gurugram	आवासीय	1	2000
10	2	Entry No.-3 along to RMC road in Green Belt	आवासीय	2	3800
11	2	Near Avtar Property	आवासीय	1	2200
12	2	Opp. House No 4043	आवासीय	1	2000
13	2	House No. 2061	आवासीय	1	1700
14	2	Tubewell No.1	आवासीय	1	2300
15	2	Tulip Golden Parking	आवासीय	1	2500
16	2	Back side HP Petrol Pump	आवासीय	1	1500
17	2	Primary School	संस्थागत	1	1800

18	2	Nandidham Gaushala	संस्थागत	1	2200
19	2	Kamdhenu Gaushala	संस्थागत	1	2000
20	3	Near plot no-533	आवासीय	1	2000
21	3	Near plot no-292	आवासीय	1	1500
22	3	Near plot no-614	आवासीय	1	2000
23	3	Near plot no-138	आवासीय	1	2500
24	3	Near plot no-249	आवासीय	1	1800
25	3	Near plot no-312	आवासीय	1	2200
26	3	Near plot no-3687	आवासीय	1	1700
27	3	Near plot no-3171	आवासीय	1	2000
28	3	Near plot no-3232	आवासीय	1	2300
29	3	Near plot no- 3240	आवासीय	1	2800
30	3	Near plot no- 3616	आवासीय	1	1200
31	3	Near plot no- 513	आवासीय	1	2800
32	3	Govt. Sr. Sec. School Village Choma	आवासीय	2	3200
33	4	Booster on road sec-21 & 22 park	आवासीय	1	1700
34	4	Near plot no-1019/22B	आवासीय	1	2300
35	4	Near plot no-574/22B	आवासीय	1	1800
36	4	Near plot no-744/22B	आवासीय	1	2200
37	4	Near plot no-620/22B	आवासीय	1	1500
38	4	Near plot no-893/22B	आवासीय	1	2000
39	4	Near plot no-786/22B	आवासीय	1	2500
40	4	Community Centre 22B	आवासीय	1	2000
41	4	Near H.No- 1203	आवासीय	1	2000
42	4	Near H.No- 1462	आवासीय	1	1700
43	4	Near H.No- 1516	आवासीय	1	2300
44	4	Near H.No- 1483	आवासीय	1	1800
45	4	Near H.No- 1144	आवासीय	1	2200
46	4	Near H.No- 1141	आवासीय	1	1500
47	4	Near H.No-1138	आवासीय	1	2000
48	4	Near H.No-932	आवासीय	1	2500
49	4	Near H.No- 336	आवासीय	1	2000
50	4	Near H.No- 320	आवासीय	1	2000
51	4	Near H.No- 417	आवासीय	1	1700
52	4	Near H.No- 691	आवासीय	1	2300
53	4	Near H.No- 1188	आवासीय	1	1800
54	4	Near H.No- 1190	आवासीय	1	2200
55	4	Near H.No- 1080	आवासीय	1	1500
56	4	Near H.No- 1504	आवासीय	1	2000
57	4	In Front of Shiv Mandir	आवासीय	1	2500
58	4	Govt. Sr. Sec. School Dundahera	आवासीय	1	2000
59	5	Sukhi ram market	आवासीय	1	1700
60	5	Near RPS School	आवासीय	1	2300
61	5	Near h.no-253	आवासीय	1	1800
62	5	Near h.no-248	आवासीय	1	2200
63	5	Opp. h.no-150	आवासीय	1	2000
64	5	Opp. h.no-126	आवासीय	1	2000
65	5	Opp. h.no-122	आवासीय	1	2500
66	5	Opp. h.no-117	आवासीय	1	2000

67	5	Opp. h.no-115	आवासीय	1	2000
68	5	Park went to gate 1	आवासीय	1	1700
69	5	park near h.no-15	आवासीय	1	2300
70	5	Opp. plot No.- 75	आवासीय	1	1800
71	5	Near Canera Bank	आवासीय	1	2200
72	5	Main water Works Corner	आवासीय	1	1500
73	6	Community Centre	आवासीय	1	2200
74	6	Near h.no-557	आवासीय	3	5000
75	6	Near h.no-324 & 281	आवासीय	1	2000
76	6	Near h.no-361	आवासीय	1	2500
77	6	Girls college (sec-14)gate right	आवासीय	3	6000
78	6	Girls college (sec-14)gate left	आवासीय	2	4000
79	6	Girls college (sec-14)gate Ground	आवासीय	5	10000
80	6	Near plot no-435A	आवासीय	1	2300
81	6	Near Y.S Gupta JC house (back side)6x10 3 pits	आवासीय	1	1800
82	6	Water pump	आवासीय	1	2200
83	8	Dispensary Gurgaon Gaon	संस्थागत	1	2000
84	9	Sector-5, Part-III,HUDA Park, Gurugram	आवासीय	1	2000
85	9	Sector-5, Part-IV,HUDA Park, Gurugram	आवासीय	1	2000
86	12	Basai Opp. Govt. School	आवासीय	1	2000
87	13	In Civil Hospital Campus	संस्थागत	1	1700
88	13	In Civil Hospital Campus	संस्थागत	1	2300
89	13	In Park Near Plot No - 178	आवासीय	1	1800
90	13	In Park Near Plot No - 500	आवासीय	1	2200
91	13	In Community Center Premises	संस्थागत	1	2000
92	13	In Open Land Near Plot No - 576	आवासीय	1	2000
93	13	In Water Works Premises	आवासीय	1	2000
94	13	In Commercial Market on Patudi Road	संस्थागत	1	2000
95	13	In Commercial Market on Patudi Road	संस्थागत	1	2000
96	13	In Nursery School Near plot No. - 689	आवासीय	1	1700
97	13	In Park Near Plot No.- 670	आवासीय	1	2300
98	13	In Park Near Plot No.- 824	आवासीय	1	1800
99	13	In Open Land Near Plot No.- 966	आवासीय	1	2200
100	15	Sector 4	आवासीय	1	1800
101	15	Sector 4	आवासीय	1	2200
102	15	Sector 4	आवासीय	1	1700
103	15	Sector 4	आवासीय	1	2300
104	15	Sector 4	आवासीय	1	1800
105	15	Sector 4	आवासीय	1	2200
106	15	Sector 4	आवासीय	1	2000
107	15	Sector 4	आवासीय	1	2000
108	15	Sector 4	आवासीय	1	2000
109	15	Sector 4	आवासीय	1	2000
110	15	Sector 4	आवासीय	1	2000
111	15	Sector 4	आवासीय	1	1700
112	15	Sector 4	आवासीय	1	2300
113	15	Sector 4	आवासीय	1	1800

114	15	Sector 4	आवासीय	1	2200
115	15	Sector 4	आवासीय	1	1700
116	15	Sector 4	आवासीय	1	2300
117	15	Sector 4	आवासीय	1	1800
118	15	Sector 4	आवासीय	1	2200
119	15	Sector 4	आवासीय	1	2000
120	15	Sector 4	आवासीय	1	2000
121	15	Sector 4	आवासीय	1	2000
122	15	7 Extn.	आवासीय	1	2000
123	15	7 Extn.	आवासीय	1	2000
124	15	Near Laxmi Bazaar	आवासीय	1	1700
125	15	Near Colony Dushera Ground	आवासीय	1	2300
126	15	At the back side of Mother Dairy	आवासीय	1	1800
127	15	At the back side of Mother Dairy	आवासीय	1	2200
128	17	Primary School	संस्थागत	1	2000
129	17	Girls School, Bhim Nagar, backside of Rainbasera	संस्थागत	1	2000
130	18	Kamla Nehru Park Roshanpura	आवासीय	1	2000
131	18	Housing Board Colony Patel Nagar	आवासीय	2	4000
132	19	In park H.no-1385	आवासीय	3	5700
133	19	In park H.no-1315	आवासीय	1	2300
134	19	park near h.no-1498	आवासीय	1	1800
135	19	Near h.no-1102	आवासीय	1	2200
136	19	Near h.no-939 & 942	आवासीय	1	2000
137	19	Near h.no-1428	आवासीय	1	2000
138	19	Green belt	आवासीय	2	4000
139	19	Community Centre	आवासीय	1	2000
140	19	park near h.no-1601	आवासीय	1	2000
141	19	In central park	आवासीय	1	1700
142	19	park near h.no-1072	आवासीय	2	4300
143	19	Near Water works	आवासीय	1	1800
144	19	Near h.no-973	आवासीय	1	2200
145	19	Near plot no-1190	आवासीय	1	1700
146	19	Near plot no-1394	आवासीय	1	2300
147	19	Near plot no-1594	आवासीय	1	1800
148	19	Near plot no-1470	आवासीय	1	2200
149	19	Near plot no-1197	आवासीय	1	2000
150	19	Near plot no-1394	आवासीय	1	2000
151	19	Citizen park	आवासीय	1	2000
152	19	Baandh	आवासीय	2	4000
153	19	Near h.no-39	आवासीय	1	2000
154	19	Near h.no-74	आवासीय	1	1700
155	19	Near h.no-239	आवासीय	1	2300
156	19	Near plot no-102	आवासीय	1	1800
157	19	Near plot no-240	आवासीय	1	2200
158	19	Near plot no-292	आवासीय	1	1700
159	19	Near plot no-289	आवासीय	1	2300
160	19	Near plot no-469	आवासीय	1	1800
161	19	Near plot no-507	आवासीय	1	2200
162	19	Near plot no-525	आवासीय	1	2000

163	19	Near plot no-92	आवासीय	1	2000
164	19	Sec-31 Market	आवासीय	3	6000
165	19	Peepal wala park near 529	आवासीय	1	2000
166	19	Silver jubilee park near	आवासीय	2	4000
167	19	Park near Radha Krishan mandir	आवासीय	1	1700
168	19	Market wala park	आवासीय	2	4300
169	19	Between Community Center	आवासीय	1	1800
170	19	Opposite market wala park	आवासीय	1	2200
171	19	Community Center	आवासीय	1	2000
172	19	Pushpanjali Hospital Civil Line	आवासीय	1	2000
173	19	Mini Secretariat	आवासीय	2	3700
174	19	Court Road	आवासीय	3	6300
175	19	H.No- 239	आवासीय	1	1800
176	19	Jyoti Hospital	आवासीय	1	2200
177	20	Ramlila Ground Arjun	आवासीय	1	2000
178	20	Near Gurudwara	आवासीय	1	2000
179	23	In Park Near Plot No.- 367	आवासीय	1	1700
180	23	In Park Near Plot No.- 749	आवासीय	1	2300
181	23	In Park Near Plot No.- 428	आवासीय	1	1800
182	23	In Park Tube well No - 5 Plot No.- 91	आवासीय	1	2200
183	23	In Park Near Plot No.- 14P	आवासीय	1	2000
184	23	In Park Near Plot No.- 140	आवासीय	1	2000
185	23	In Park Near Water Works	आवासीय	1	2000
186	23	In Park Near Plot No.- 1491	आवासीय	1	2000
187	23	In Police Station Premises Near Plot No- 1570	संस्थागत	1	2000
188	23	In Park Near Plot No.- 1854	आवासीय	1	1700
189	23	In Housing Board Colony	आवासीय	1	2300
190	23	Near Water Works	संस्थागत	1	1800
191	23	Near Plot No - 34	आवासीय	1	2200
192	23	In Park Near Plot No.- 663	आवासीय	1	1700
193	23	In Commercial Complex Near Plot No - 589	संस्थागत	1	2300
194	23	In Park Near Plot No.- 572	आवासीय	1	2000
195	23	In Park Near Plot No.- 547A	आवासीय	1	1700
196	23	In Park Near Plot No.- 510	आवासीय	1	2300
197	24	Govt. Primary School Kherki Daula in one Corner	संस्थागत	1	2000
198	24	Govt. Primary School Kherki Daula in other Corner	संस्थागत	2	4000
199	24	Sr. Sec - School Mohammadpur Jharsa	संस्थागत	2	4000
200	25	Badshapur Community Center	संस्थागत	1	2200
201	25	Badshapur Govt. Boys Senior Sec. School	संस्थागत	1	1800
202	25	Badshapur Govt. Girls Senior Sec. School	संस्थागत	1	2000
203	25	Badshapur Govt. Primary Sec. School	संस्थागत	1	2000
204	26	Begampur Khatola School	संस्थागत	1	2000
205	26	Fazilpur Main Entrance	आवासीय	1	2000
206	26	South City -II Block A-1	आवासीय	1	2000
207	26	South City -II Block A-1	आवासीय	1	2000
208	26	South City -II Block C	आवासीय	1	2000

209	26	South City -II Block A	आवासीय	1	2000
210	26	South City -II Block A	आवासीय	1	2000
211	27	Naharpur Rupa Shamsan ghat	आवासीय	1	2000
212	27	Naharpur Rupa Govt. Primary School	संस्थागत	1	2000
213	28	School	संस्थागत	1	1700
214	28	School	संस्थागत	1	2300
215	28	Community Center	संस्थागत	1	1800
216	28	Public Place	संस्थागत	1	2200
217	28	Shamsan Ghat	आवासीय	1	2000
218	28	Park	आवासीय	1	2000
219	28	Park	आवासीय	1	2000
220	28	Park	आवासीय	1	2000
221	28	Community Center	आवासीय	1	2000
222	28	Green belt	आवासीय	1	1700
223	28	Old Age Home	आवासीय	1	2300
224	28	Park	आवासीय	1	1800
225	28	Park	आवासीय	1	2200
226	28	Park	आवासीय	1	2000
227	28	Park	आवासीय	1	2000
228	28	Public Place	आवासीय	1	1700
229	28	Park	आवासीय	1	2300
230	28	Community Center	आवासीय	1	1800
231	28	Shopping Center	संस्थागत	1	2200
232	29	In School Samaspur	संस्थागत	1	1700
233	29	Vishvas School in Sec - 46	संस्थागत	1	2300
234	29	Aadrash Park in Sec - 46	आवासीय	1	1800
235	29	Parsuram Park in Sec - 46	आवासीय	1	2200
236	29	Ravinder Nath Tagor Park In Sec - 46	आवासीय	1	2000
237	29	Community Center Sec- 46	संस्थागत	1	2000
238	29	Radha Krishen Park , Sec - 46	आवासीय	1	2000
239	29	Rao Tula Ram Park ,Sec -46	आवासीय	1	2000
240	29	Guru Nanak Park ,Sec -46	आवासीय	1	2000
241	29	Sir Chotu Ram Park , Sec - 46	आवासीय	1	1700
242	29	Shaheed Bhagat Singh Park , Sec - 46	आवासीय	1	2300
243	29	Near Shiv Mandir, Sec - 46	आवासीय	1	1800
244	29	Near H. No- 2748, Sec - 46	आवासीय	1	2200
245	29	HUDA Booster , Sec - 46	आवासीय	1	1700
246	29	Aadrash Park Back Side , Sec - 46	आवासीय	1	2300
247	29	In Front of Urban Green Society , Sec - 46	आवासीय	1	1800
248	29	Near city Heights Society	आवासीय	1	2200
249	29	Bada Park , Sec - 47	आवासीय	1	2000
250	29	Near H. No- 278, Sec - 47	आवासीय	1	2000
251	29	Rail Vihar , Sec - 47	आवासीय	1	2000
252	29	Near H. No- 180 Park , Sec - 47	आवासीय	1	2000
253	29	Near H. No - 720, Sec- 47	आवासीय	1	2000
254	29	Samaspur near Chaupal	आवासीय	1	1700
255	29	Near H. No - 863, Sec- 47	आवासीय	1	2300
256	29	Community Center , Sec - 47	आवासीय	1	1800

257	29	Left Side 86-75, Service line Road, Sec - 47	आवासीय	1	2200
258	29	Near H. No - 1011, Sec- 47	आवासीय	1	1700
259	29	Near H. No - 236(IELTS Facilitation Center) , Sec- 47	आवासीय	1	2300
260	29	DPS (Delhi Public School) , Sec - 47	संस्थागत	1	1800
261	29	Near H. No - 949(Media House Society) , Sec- 47	आवासीय	1	2200
262	29	In the New Block/ Near Boosting / Samaspur Entry , Sec - 51	आवासीय	1	2000
263	29	In Front of Plot No - 1031 , Sec - 51	आवासीय	1	2000
264	29	In Front of Plot No - 889 , Sec - 51	आवासीय	1	2000
265	29	In Front of Plot No - 723 , Sec - 51	आवासीय	1	2000
266	29	In Front of Plot No - 458 , Sec - 51	आवासीय	1	2000
267	29	In Front of Plot No - 422 , Sec - 51	आवासीय	1	1700
268	29	In Front of Plot No - 271 , Sec - 51	आवासीय	1	2300
269	29	In Front of Plot No - 2221 , Sec - 57	आवासीय	1	1800
270	29	In Front of Plot No - 1666 , Sec - 57	आवासीय	1	2200
271	29	In Water Works , Sec - 57	आवासीय	1	2000
272	29	In Front of Plot No - 1390 , Sec - 57	आवासीय	1	2000
273	29	In Front of Plot No - 1456 , Sec - 57	आवासीय	1	2000
274	29	In Front of Plot No - 1111 , Sec - 57	आवासीय	1	2000
275	29	In Front of Plot No - 3386 , Sec - 57	आवासीय	1	1700
276	29	Back Side of Temple , Sec- 57	आवासीय	1	2300
277	29	In Front of Plot No - 3169 , Sec - 57	आवासीय	1	1800
278	29	In Front of Plot No - 2596 , Sec - 57	आवासीय	1	2200
279	30	sector-55 near Arunodaya sec-55	आवासीय	1	1700
280	30	sector-56 inside park near Plot no-217 P	आवासीय	1	2300
281	30	sector 56 (near madinova apartment sec-56	आवासीय	1	1800
282	30	Sector 56 (near H. No 1 opposite Kendriya vihar sec-56	आवासीय	1	2200
283	30	sector-55 near vita Haryana dairy	आवासीय	1	2000
284	30	sector 56 near yoga park	आवासीय	1	2000
285	30	sector 56 near More Market	आवासीय	1	2000
286	31	sector-52 near gate entry	आवासीय	1	1700
287	31	sector-52 near green belt plot no-1853	आवासीय	1	2300
288	31	sector-52 green home society	आवासीय	1	1800
289	31	sector-52 near H.no 1601	आवासीय	1	2200
290	31	sector 52 near H.no-624	आवासीय	1	2000
291	31	sector 52 near H.no 1179	आवासीय	1	2000
292	31	sector 52 near H.no 09	आवासीय	1	2000
293	31	At red light sec-52	आवासीय	1	2000
294	31	in front of plot no 148	आवासीय	1	2000
295	31	in front of plot no. 98	आवासीय	1	1700
296	31	in front of plot no. 176	आवासीय	1	2300
297	31	in front of plot no.261	आवासीय	1	1800
298	31	in front of plot no.517	आवासीय	1	2200

299	31	in front of plot no.626	आवासीय	1	1700
300	31	in front of plot no.1257	आवासीय	1	2300
301	31	in front of plot no.1395	आवासीय	1	1800
302	31	in front of old age home	आवासीय	1	2200
303	31	in front of plot no.1557	आवासीय	1	2000
304	31	in front of plot no.1733	आवासीय	1	2000
305	31	in front of water work entry	आवासीय	1	2000
306	31	in front of plot no. G H 12	आवासीय	1	2000
307	31	in front of plot no. G H 1	आवासीय	1	2000
308	31	in front of Red light MR 52/57	आवासीय	1	1700
309	31	in front of plot no GH 8	आवासीय	1	2300
310	31	in front of plot no GH 4	आवासीय	1	1800
311	31	in front of plot no. 1780	आवासीय	1	2200
312	31	in front of plot no. 669	आवासीय	1	1700
313	31	in front of plot no. 1556	आवासीय	1	2300
314	32	sector-45 near community center	आवासीय	1	1700
315	32	sector-45 near H.no.318	आवासीय	1	2300
316	32	sector-45 near H.no.365	आवासीय	1	1800
317	32	sector-45 near H.no.580	आवासीय	1	2200
318	32	sector-44near Plot no-13	आवासीय	1	2000
319	32	sector-44 Park near Plot no-46	आवासीय	1	2000
320	32	sector-54 Suncity near R D city gate no-2	आवासीय	1	2000
321	32	sector-45 near house no.115	आवासीय	1	2000
322	32	south city -1 near H no-D127	आवासीय	1	2000
323	32	sector-54 suncity near H.no-B-94	आवासीय	1	1700
324	32	sector-54 suncity near H.no-A 325	आवासीय	1	2300
325	32	sector-54 suncity near H.no-D 86	आवासीय	1	1800
326	32	south city near H no-A 325	आवासीय	1	2200
327	32	south city near My home Hospital	आवासीय	1	1700
328	32	south city near Arya samaj mandir	आवासीय	1	2300
329	32	in front of plot no. 12 sec-44	आवासीय	1	1800
330	32	in front of plot no. 46 sec-44	आवासीय	1	2200
331	32	in front of plot no. 5 sec-44	आवासीय	1	2000
332	32	near water work sec-44	आवासीय	1	2000
333	32	in front of Ramada hotel	आवासीय	1	2000
334	32	in back of Ramada hotel	आवासीय	1	2000
335	32	in the Dispensary sec-45	आवासीय	1	2000
336	32	at Red light sec-45	आवासीय	1	1700
337	32	sector-45/52	आवासीय	1	2300
338	32	In front of plot no- 1115 sec-45	आवासीय	1	1800
339	32	In front of plot no- 365 sec-45	आवासीय	1	2200
340	32	In front of plot no- 417 sec-45	आवासीय	1	1700
341	32	In front of plot no- 175 sec-45	आवासीय	1	2300
342	32	In front of plot no- 586 sec-45	आवासीय	1	2000
343	32	In front of plot no- 1592 sec-45	आवासीय	1	2000
344	32	In front of plot no- 1762 sec-45	आवासीय	1	2000
345	32	In front of plot no- 2002 sec-45	आवासीय	1	2000
346	32	In front of plot no- 2026 sec-45	आवासीय	1	1700
347	32	At police site	संस्थागत	1	2500

348	32	In front of 1791	आवासीय	1	1800
349	33	Shiv Mandir Community Center	संस्थागत	2	4000
350	33	Johri Wala Community Center Old Edge Home Chakkarpur	संस्थागत	1	2000
351	33	Sec.-43 Near H.No.-18P	आवासीय	1	2000
352	33	Sec.-43Near Entry Gate from Sector 27 Dividing Road, Near House No. 46P	आवासीय	1	2000
353	33	Sec.-43 Nearby Mandir	आवासीय	1	2000
354	33	Govt. Sr. Sec. School Chakkarpur	संस्थागत	1	2000
355	34	Housing Board Near By Tube well No.-6	आवासीय	1	1700
356	34	Veersaver Block Nearby Tube well No.-1	आवासीय	1	2300
357	34	Maruti Vihar H.No.-1071	आवासीय	1	1800
358	34	Maruti Vihar H.No.- 1168	आवासीय	1	2200
359	34	Maruti Vihar H.No.- 1524	आवासीय	1	2000
360	34	Maruti Vihar H.No.- 1553	आवासीय	1	2000
361	34	Sec.- 27 in gate No.-1 Right Side	आवासीय	1	2000
362	34	Sec.- 27 in gate No.-2 Right Side	आवासीय	1	2000
363	34	Sec.- 27 in Out gate No.-1 Left Side	आवासीय	1	2000
364	34	Sec.-28 H.No.-194	आवासीय	1	1700
365	34	Sec.-28 H.No.- 196	आवासीय	1	2300
366	34	Sec.-28 H.No.- 209	आवासीय	1	1800
367	34	Sec.-28 Jain Partinidhi Apartment	आवासीय	1	2200
368	34	Samshan Ghat, Sikenderpur	आवासीय	1	2000
369	34	Sec.-42 H.No.- 198	आवासीय	1	2000
370	34	Sec.-42 H.No.- 310	आवासीय	1	2000
371	34	Sec.-42 H.No.- 420	आवासीय	1	2000
		कुल योग		**398**	**796000**
नवनिर्मित वर्षा जल संचयन गड्ढे					
1	2	Palam Vihar Green Belt C1 Block	आवासीय	1	1600
2	3	Near Park Sector 23	आवासीय	1	2000
3	27	Govt. School Naharpur Rupa	आवासीय	1	1800
4	27	Ek Lavya Mandir Khandsa	आवासीय	1	2200
5	27	Govt. School Khandsa	आवासीय	2	4400
		कुल योग		**6**	**12000**

श्री राकेश दौलताबादः अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न हमारे गुरूग्राम के लिये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे यहां पर वॉटर लोगिंग की बहुत भारी समस्या है। पूरे देश को इस बात का पता है कि थोडी सी ही बरसात में गुरूग्राम में जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है। पहले तो गुरूग्राम में हीरो होंडा चौक पर ही जाम लगता था लेकिन अब तो गुरूग्राम में 37 ऐसे चौक हैं, जहां पर थोड़ी सी ही बरसात में भयंकर जाम लग जाता है। जाम के कारण राजीव चौक पर तो एक ऑटो रिक्शा वाले की मृत्यु भी हो गई थी। हरियाणा को गुरूग्राम सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है,

इसके बावजूद भी ट्रैक्टर के माध्यम से वॉटर पम्प लगाकर पानी निकासी का देसी सा जुगाड़ किया हुआ है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग गड्ढे की जो संख्या है, इसके बारे में इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि गुरूग्राम में जमीनी पानी का स्तर कितना नीचे चला गया है, इस बात से हम सभी अवगत हैं। इसके साथ–साथ वॉटर लोगिंग की समस्या का हल भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो 404 वर्षा जल संचयन गड्ढों की संख्या बताई है, अगर यह समस्या अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट देखेगा तो यह समस्या हल नहीं होगी। वास्तव में गड्ढों की संख्या 404 नहीं है। जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट के अंदर रिहायशी इलाके हैं, सोसायटीज हैं और मकान हैं सबको एन.ओ. सी. तभी मिलती है, जब वह यह सिस्टम लागू करता है।

पंडित मूल चंद शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि नगर निगम, गुरूग्राम के सरकारी क्षेत्रों में कुल 404 वर्षा जल संचयन गड्ढे मौजूद हैं, जहां 8 लाख लीटर पानी प्रति घंटा के हिसाब से नीचे जाता है। अध्यक्ष महोदय, यदि 100, 150, 200, 500 या 1000 गज के प्लॉट जो भी हो उसका नक्शा पास नहीं होगा, जब तक कि वे यह रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपने यहां नहीं बनाते। माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि जल भराव की भयंकर समस्या है, उसके लिये पांच सदस्यों की एक कमेटी गठित कर दी गई है। जिसमें एम.सी. गुरूग्राम, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, डी.एल.एफ., इरीगेशन और पब्लिक हैल्थ विभाग के अधिकारी भी हैं। यह टीम हाइवे या दूसरी जगहों पर भी पानी की निकासी का काम करेगी। अब इसकी जिम्मेवारी एक–दूसरे डिपार्टमैंट के ऊपर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि सभी विभागों के अधिकारी इक्ट्ठे होकर इस काम को देखेंगे।

श्री राकेश दौलताबादः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सदन में बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। मैं फिर भी माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि जो 404 वर्षा जल संचयन गड्ढे हैं, वे वर्ष 2019 से हुडा विभाग से एम.सी.जी. (नगर निगम गुरूग्राम) के पास आये थे लेकिन उस समय इन गड्ढों की संख्या 267 के करीब थी उसमें से सिर्फ 35–40 गड्ढे ही काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि लगभग 250 गड्ढों के बारे में कहा जा रहा है कि इनका टैंडर निकाल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे इस प्रोजैक्ट पर पहले ही 12 से लेकर 15 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। पहला प्रश्न तो यह कि बरसातों से पहले हमने इसके लिये क्या–क्या

इंतजाम किय हैं? दूसरा प्रश्न यह है कि जो 250 गड्ढों का टैंडर निकाल रहे हैं, क्या वे अगले सीज़न के लिये वर्किंग में होंगे या नहीं होंगे? यह बहुत ही अच्छी बात है कि जी.एम.डी.ए. के चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं। हमारी असली प्रॉब्लम यह है कि अरावली से जो पानी फ्लो होकर आता है वह सेक्टर चार व नौ की तरफ से होते हुए नज़फगढ़ ड्रेन की तरफ आता है। इसमें तीन लेन बनी हुई है, लेकिन इन तीनों लेन की कैपेसिटी उस पानी को ले जाने की नहीं है। पानी ओवर फ्लो होता है और वह जमीन पर आ जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमें इनकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और यह काम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जी.एम.डी.ए. के पास जिस तरीके से फंड आना चाहिए था उस तरीके से नहीं आ रहा है। इस विषय पर हमें काम करने की जरूरत है। तीसरी बात यह है कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का जो काम कंपनी को दिया गया है वह क्या कर रही है रेतीली मिट्टी को तो सोख लेती है लेकिन चिकनी व पथरीली मिट्टी पर पानी ऊपर ही रह जाता है। जमीन इस तरीके से आइडेंटीफाई करनी पड़ेगी जिससे पता चले कि वह पानी किस–किस जमीन पर हार्वेस्ट करने के लिए उपयुक्त है । इसमें यू.एल. बी. डिपार्टमैंट को काफी मेहनत करने की जरूरत है । (विघ्न)

पंडित मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल मूल प्रश्न से बिल्कुल अलग है । माननीय सदस्य ने नजफगढ़ झील की बात की है जहां पर 3 लाइनों–लाइन नं. 1, लाइन नं. 2 और लाइन नं. 3 का पानी जाता है । ये वहां की बात कर रहे हैं जहां का एरिया सबसे ज्यादा झील में है । वहां पर एन.जी.टी. का भी केस चल रहा है । उन तीन लाइनों से जो नाले निकलते हैं वे गांवों में पानी पहुंचाते हैं। माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा कि उन नालों के पानी से ग्रामीणों की फसलें खराब हो जाती हैं । जहां पर ये लाइन्स टूटी हुई हैं उनके लिए हमने एक कमेटी का गठन कर दिया है । जैसे ही हमारे पास उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी वैसे ही हम माननीय सदस्य श्री राकेश दौलताबाद के बताए हुए कार्य को कर देंगे ।

श्री राकेश दौलताबाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना है कि इसके लिए उस कमेटी को एक महीने का समय दिया गया था ।

पंडित मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उसमें पॉल्यूशन और कई अन्य विषय भी शामिल हैं । हम इनके कार्य को जल्दी ही करवा देंगे ।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी और माननीय सदस्या श्रीमती शैली के तारांकित प्रश्न संख्या 1106 एवं 1207 समान विषय के हैं, इसलिए इनको एक–साथ टेक अप किया जाता है ।

Providing Mustard Oil to BPL Families

***1106. Smt. Kiran Choudhry:**
***1207.Smt. Shally Chaudhary:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the Government is not providing/giving Mustard Oil to the BPL families in the State through Public Distribution System;

(b) the year wise comparative statement of mustard procured by the Government through State Agencies during the last three years;

(c) whether any alternative plan has been made by the Government to meet the shortage of the mustard oil for supply to the BPL families in State?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) : (a) Yes Sir.

(b) The year wise comparative statement of mustard procured by the Government through State Agencies during the last three years is as under:-

Year	**Procurement (in LMT)**	**Minimum Support Price (MSP) Rs./quintal**
2019-20	6.15	4200/-
2020-21	7.49	4425/-
2021-22	Nil	NA

(c) Due to shortage of the mustard oil for supply with the State Procuring Agency HAFED, the State Government has decided to

provide Rs. 250/- per BPL family per month as Direct Benefit Transfer (DBT) in lieu of mustard oil, from June, 2021 onwards.

To Provide Mustard oil to BPL Families

@*1207. Smt. Shally Choudhary: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the Government has stopped the supply of mustard oil to BPL families in State;

(b) whether it is also a fact that the Government is considering to pay a certain amount in place of mustard oil to BPL families in State; if so the time by which either an amount or mustard oil is likely to be provided to BPL families of State?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): (a) Yes Sir.

(b) Yes Sir. The Government has decided to make Direct Benefit Transfer into the bank accounts of BPL families @ Rs. 250/- per family per month in place of Mustard Oil. First installment for the month of June has been paid into all the validated bank accounts. Card holders of incorrect accounts have been requested to get their accounts corrected/validated.

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में जून–जुलाई के महीनों में 11.40 लाख बी.पी.एल. परिवारों को सरसों के तेल का तड़का नहीं मिल पाया जबकि इस बार सरसों की बम्पर पैदावार हुई थी । इसके बावजूद गरीब आदमी को सरसों के तेल से वंचित रखा गया । अमीर व्यक्ति तो वैसे ही सरसों के तेल का तड़का नहीं लगाते । गरीब आदमी सरसों के तेल के साथ तड़का लगाकर दाल वगैरह बनाकर अपना गुजारा कर लेता है । सरकार ने कहा था कि वह गरीब आदमियों के खाते में 250 रुपये डालेगी । मैंने इस बारे में पता किया है और मुझे पता लगा है कि ये रुपये चुनिंदा लोगों के ही खाते में डाले गए हैं । ये रुपये सभी

@ This question was clubbed with Question No. 1106 being same subject.

के खातों में नहीं डाले गए हैं । सरकार ने गरीबों के लिए सरसों के तेल का जो रेट निर्धारित किया है उसके बारे में मैं बताना चाहती हूं कि हैफेड के 1 लीटर सरसों के तेल का रेट 180 रुपये है । ऐसे में गरीब और बी.पी.एल. परिवारों को सरसों के तेल के लिए 110 रुपये अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अब कोविड–19 महामारी का समय है, बेरोजगारी का आलम है, बुरा हाल है और जिन गरीब लोगों को पहले 20 रुपये प्रति लीटर सरसों का तेल मिल जाता था अब उनको सरसों के तेल के लिए 110 रुपये एक्सट्रा देने पड़ रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, यह गरीबों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है । इसका सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ।

श्री दुष्यन्त चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने सरसों के तेल की बात बड़ा तड़का लगाकर की है । माननीय सदस्या पिछले सत्र में प्रश्न करती थी कि किसानों को एम.एस.पी. मिलेगा या नहीं । इस बार सरसों की कीमत इतनी बढ़ी कि सरसों एम.एस.पी. से भी 600–700 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा रेट पर बिकी । इस कारण हैफेड को मंडियों से सरसों नहीं मिली । हैफेड ही सरसों को खरीदकर बी.पी.एल. परिवारों को देती थी । हमारे प्रदेश में सरकार बी.पी.एल. परिवारों को सरसों के तेल पर लगभग 200 रुपये प्रति 2 लीटर सब्सिडी देती थी । इस बार हमने उस सब्सिडी को बढ़ाकर 250 रुपये प्रति 2 लीटर कर दिया और निर्णय लिया कि हम इसे Direct Benefit Transfer के माध्यम से 11.40 लाख बी.पी.एल. परिवारों में के खाते में डालेंगे। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्या ने चुनिंदा परिवारों के बारे में बात की है। मैं इसको करैक्ट करना चाहूंगा कि 5 लाख से ऊपर बी.पी. एल. परिवारों के खातों में पिछले महीने और इस महीने का पैसा ट्रांसफर हो चुका है। हमने जिन 2 लाख 20 हजार परिवारों का आधार कार्ड के साथ खाता नम्बर लिंक्ड हैं, उनके खातों में पैसा पुश कर दिया है। चूंकि आज सोमवार है, इसलिए उनको यह पैसा अगले 1–2 दिनों में मिल जाएगा। कई ऐसे बी.पी.एल. परिवार हैं जिनके खाता नम्बर न तो आधार कार्ड के साथ लिंक्ड हैं और न ही राशन कार्ड के साथ लिंकड हैं। हमने स्पैशली ओवर नाइट काम करवाकर meraparivar.haryana.gov.nic एक वैब पोर्टल बनवाया है। यह मोबाइल से भी ऑपरेट होता है और लोकल लेवल पर सी.एच.सी. से भी ऑपरेट होता है। इस पर संबंधित फैमिलीज अपना अकाउंट अपडेट करवा सकती हैं। माननीय सदस्या के संज्ञान में यह बात लाना चाहूंगा कि सभी बेनिफिशरीज को प्रत्येक महीने के 250

रुपये मिलेंगे और चाहे वह पैसा पिछले महीने का हो, चाहे इस महीने का हो या चाहे इससे अगले महीने का हो। अगर कोई भी परिवार अपने राशन कार्ड को अकाउंट से 4 महीने के बाद भी लिंक करवाएगा तो उसको हमारी सरकार 4 महीने का प्रति महीने 250 रुपये के हिसाब से 1,000 रुपया डी.बी.टी. करवाने का काम करेगी। यह डी.बी.टी. इसलिए करवाएगी ताकि संबंधित बेनिफिशरीज अपनी च्वॉईस का सरसों का तेल खरीद सकें। चाहे वह हैफेड से सरसों का तेल खरीदें, चाहे किसी बड़ी कम्पनी से सरसों का तेल खरीदें या लोकल सप्लायर से सरसों का तेल खरीदना चाहें तो वे खरीद सकते हैं। इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया था। चूंकि सरकार की एजेंसीज के पास अबकी बार सरसों नहीं आयी। हम अगर मार्केट से सरसों प्रोक्योर करते, फिर उसका तेल निकलवाते, उसके बाद बोटलिंग करवाते और उसके बाद संबंधित बी.पी.एल. परिवारों तक पहुंचते तो उसका आउट पुट कॉस्ट मार्केट सप्लाई के आउट पुट कॉस्ट से बहुत ज्यादा होता है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि सभी 11 लाख 40 हजार प्लस बी.पी.एल. परिवारों के खातों में 250 रुपये प्रत्येक महीने का देने का काम करेंगे।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी बी.पी.एल. परिवारों को सरसों के तेल के लिए 250 रुपये प्रत्येक महीने मिलेंगे, परन्तु उनको जून से लेकर अभी तक का पैसा नहीं मिला है। जब उनको संबंधित अमाउंट मिलेगी तभी पता चलेगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी कि जो गरीब व्यक्ति होता है, उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं होती है। अगर आप उसको यह 1,000 रुपये बाद में देंगे तो उनका भूख से बुरा हाल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त माननीय उप–मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाईन सिस्टम के थ्रू अकाउंट अपडेट करवाने की बात की है, परन्तु ज्यादातर समय ऑनलाईन सर्विसिज नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बन्द रहती हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि गरीबों के पास कोई सुविधाएं नहीं हैं। 11.40 लाख फैमिलिज ऐसी हैं जिनको इस स्कीम का लाभ नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हैं कि इस मामले को इस तरह से रफा–दफा करना हमारे प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या की सोच जरूर दिखती है कि गरीब आदमी इन्टरनेट यूज नहीं कर सकता। हमारी सरकार उनको सक्षम बना रही है ताकि गांवों से जुड़ा हुआ बी.पी.एल. परिवार का अनपढ़ व्यक्ति भी अपने मोबाईल का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट को अपडेट करे। दूसरी बात माननीय सदस्या ने

कही है कि सरकार उनको सरसों का तेल नहीं दे रही है। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि यह सरसों का तेल इनकी सरकार के समय में नहीं दिया जाता था बल्कि हमारी सरकार के समय से देना शुरू किया है। अगर आने वाले समय में हैफेड द्वारा सरसों की प्रोक्योरमैंट होगी तो उनको दोबारा से सरसों का तेल देने का फैसला भी करेंगे। माननीय सदस्या कह रही थी कि इनकी सरकार गरीबों को नमक नहीं देती। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने जो नमक बाजार में 10, 12 और 14 रुपये के हिसाब से मिलता है उसको भी 4 रुपये सस्ता करके फेयर प्राइस शॉप पर ला दिया है ताकि गरीब आदमी भी सस्ता नमक ले सकें। हमने एक चीज और की है कि पिछली बार बाजरे की प्रोक्योरमैंट ऐतिहासिक हुई थी। हमने मंडियों से खरीदकर लगातार 5– 6 महीने तक गरीब आदमियों को बाजरा देने का काम किया है।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एम.एस.पी. के ऊपर सरसों बिकी है। यह बहुत अच्छी बात है और मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहती हूं, लेकिन जिन किसानों ने अपनी सरसों बाहर बेची है, वह 5,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी है। जबकि अब सरसों बाजार से बाहर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही है। इससे किसानों को फायदा नहीं हुआ है बल्कि नुकसान हुआ है।

15:00 बजे

श्री अध्यक्ष: किरण जी, ये फसलों के भाव तो ऊपर नीचे होते रहते हैं।

श्रीमती शैली चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि पहले बी.पी.एल. परिवारों को सरसों का तेल मिलता था उनको सरसों का तेल दोबारा से देने का काम किया जाये जिससे गरीब लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बहुत से लोगों के बैंक खातों में आज तक सरसों के तेल का पैसा नहीं आया है। आप चाहे तो गांवों में जाकर गांव वालों से पूछ सकते हो। जब सरकार ने एक चीज शुरू की थी तो बंद क्यों कर दी? लोग यही कहते है कि आज सरसों का तेल काफी महंगा हो गया है तो क्या सरकार इन परिवारों को सरसों का तेल खरीदकर देना ही नहीं चाहती है? जब सरकार ही सरसों का तेल खरीदकर नहीं दे सकती है तो गरीब लोग कहां से खरीदेंगे? आप इस बारे में बतायें। मेरी माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है कि गरीब परिवारों को सरसों का तेल देना शुरू किया जाये क्योंकि गरीब लोगों को इसके पैसे नहीं मिल रहे हैं।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि इसका फैसला अपनी पार्टी में कर ले क्योंकि पिछले सैशन में यही लोग खड़े होकर कह रहे थे कि ये तीनों कृषि कानून किसान को मार देंगे और एम.एस.पी. खत्म हो जायेगी । (शोर एवं व्यवधान) आज सरसों एम.एस.पी. से ऊपर बिक रही है। कांग्रेस पार्टी खुद इस बात को कहती है कि पहले सरसों 5000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका करती थी और आज 7000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिक रही है। माननीय सदस्या श्रीमती शैली चौधरी जी ने कहा है कि गांव के आदमी को अपना बैंक अकाउंट दुरुस्त नहीं करना आता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, आप प्लीज बैठ जायें।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज इनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 25 हजार लोगों ने अपने बैंक अकाउंट दुरुस्त कराने का काम पिछले एक महीने में किया है। जब से मेरा परिवार हरियाणा डॉट कॉम डॉट इन पोर्टल आया है। मैं चाहूंगा कि हमारी एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी ड्यूटी बनती है कि अगर ऐसी समस्या प्रदेश में कहीं आ रही है तो इनके तमाम गांवों और शहर के तमाम बोर्डों में सी.एच.सी. बनी हुई हैं। अगर इनको इनका ब्यौरा चाहिए तो वहां से ले सकते हैं। जो ऐसे लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट अभी तक दुरुस्त नहीं हुए हैं तो उनके बैंक अकाउंट अपडेट करवाईये। हमारी सरकार के पास लोगों के 25 हजार बैंक अकाउंट दुरुस्त होकर आये थे, हमने उनके बैंक अकाउंट्स में ऑलरेडी पैसा ट्रांसफर कर दिया है।

———

To Hand Over the Bus Stand of Jind

***1145. Dr. Krishan Lal Middha:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the reasons for which the New Bus Stand of Jind City constructed by PWD has not been handed over to the Transport Department even after 8 months of its inauguration together with the details thereof?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): Sir, New Bus Stand of Jind could not be handed over due to non construction of service lane and non-availability of potable drinking water.

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बस स्टैंड का उद्घाटन हुए लगभग 8 महीने हो गये हैं लेकिन इसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है वह वाकिफ सवाल है। मैं बताना चाहूंगा कि पीने के पानी की पाइप लाइन का कनैक्शन बस स्टैंड तक नहीं हो पाया है। इसके लिए पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट को ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट ने लिखकर दिया है और जल्द ही इसका कनैक्शन हो जायेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे ही पीने के पानी का कनैक्शन ट्रांसफर हो जायेगा तो 30 दिन के अंदर–अंदर बस स्टैंड का कार्य फंक्शनिंग करवा दिया जायेगा।

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री को बताना चाहूंगा कि मैंने कोआर्डिनेशन डिपार्टमैंट की मीटिंग ली थी उन्होंने मुझे यह कहा था कि जब तक सर्विस लाइन नहीं बनेगी। हम एन.ओ. सी. नहीं देंगे। इसके लिए एन.एच.ए.आई. ने साफ मना कर दिया था कि जब तक सर्विस लाईन नहीं बनेगी तब तक हम इस बस स्टैंड को प्रारम्भ नहीं करेंगे।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए सरकार ने लगभग 9.25 करोड़ रुपये का ऐस्टिमेट्स ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट को भेज दिया गया है। जैसे ही एडीशनल ग्रांट अप्रूव हो जायेगी, उसके तुरन्त बाद उसका भी टैंडर करके तीन महीने के अंदर–अंदर इस कार्य को भी कम्पलीट करवा दिया जायेगा। जहां तक बस स्टैंड की फंक्शनैलिटी की बात है तो मैं एश्योर करता हूं कि जैसे ही पीने के पानी का कनैक्शन हो जायेगा और मुझे उम्मीद भी है कि 30 दिन के अंदर–अंदर पीने के पानी का कनैक्शन हो जायेगा। हम इस बस स्टैंड की फंक्शनैलिटी शुरू कर देंगे और एन.एच.ए.आई. की सर्विस लाइन का कार्य शुरू कर देंगे।

To provide the vehicles to Police Chowkis

***1177. Shri Ram Kumar Kashyap**: Will the Home Minister be pleased to state-

(a) the number of police chowkis in the State together with the number of vehicles it provided therein; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the government to provide vehicles to the police chowkis in State?

@गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : जी हाँ, श्रीमान। इस संबध मे ब्यौरा विधानसभा पटल पर प्रस्तुत है।

ब्यौरा

(क) I. सूचित किया जाता है कि हरियाणा सरकार ने राज्य में 59 पुलिस चौकियां स्वीकृत की हैं। पुलिस विभाग ने राज्य में इन सभी पुलिस चौकियों में निम्नलिखित वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं:–

क्र0 सं0	जिले का नाम	कुल स्वीकृत पुलिस चौकियां	पुलिस चौकियों में उपलब्ध करवाए गए हल्के वाहनों की संख्या	पुलिस चौकियों में उपलब्ध करवाए गए मोटरसाईकिल की संख्या	कुल उपलब्ध वाहन
1	गुरूग्राम	1	1	1	**2**
2	फरीदाबाद	1	कार्यरत नही	–	**0**
3	पंचकुला	7	2	7	**9**
4	अम्बाला	2	1	2	**3**
5	भिवानी	3	0	3	**3**
6	हिसार	2	1	1	**2**
7	हांसी	1	1	0	**1**
8	फतेहाबाद	5	2	5	**7**
9	सिरसा	6	5	1	**6**
10	जीन्द	2	2	2	**4**
11	झज्जर	2	1	2	**3**
12	रोहतक	1	0	1	**1**
13	सोनीपत	2	कार्यरत नही	–	**0**
14	चरखी दादरी	1	0	1	**1**
15	पानीपत	1	0	1	**1**
16	करनाल	3	2	3	**5**
17	कैथल	7	0	9	**9**
18	कुरूक्षेत्र	2	0	6	**6**
19	यमुनानगर	1	0	1	**1**
20	रेवाडी	2	1	1	**2**
21	नारनौल	3	1	2	**3**
22	मेवात	2	2	3	**5**
23	पलवल	2	3	0	**3**
	कुल	**59**	**25**	**52**	**77**

.....

@ Replied by the Power Minister

II. इसके अलावा, यह भी सूचित किया जाता हे कि वर्तमान में राज्य में कानून और व्यवस्था के कर्तव्यों के लिए 270 अस्वीकृत पुलिस चौकियां अस्थायी रूप से कार्यरत हैं और पुलिस विभाग द्वारा इन पुलिस चौकियों में निम्नलिखित वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं:–

क्र0 सं0	जिले का नाम	कुल अस्वीकृत पुलिस चौकियां	पुलिस चौकियों में उपलब्ध करवाए गए हल्के वाहनों की संख्या	पुलिस चौकियों में उपलब्ध करवाए गए मोटरसाईकिल की संख्या	कुल उपलब्ध वाहन
1	गुरूग्राम	20	21	32	**53**
2	फरीदाबाद	30	24	20	**44**
3	पंचकुला	8	1	8	**9**
4	अंम्बाला	18	7	20	**27**
5	भिवानी	9	0	15	**15**
6	हिसार	15	1	15	**16**
7	हांसी	6	3	4	**7**
8	फतेहाबाद	7	5	8	**13**
9	सिरसा	10	4	11	**15**
10	जीन्द	15	8	17	**25**
11	झज्जर	11	10	2	**12**
12	रोहतक	20	1	21	**22**
13	सोनीपत	24	0	24	**24**
14	चरखी दादरी	4	3	3	**6**
15	पानीपत	8	4	9	**13**
16	करनाल	13	8	13	**21**
17	कैथल	2	0	2	**2**
18	कुरूक्षेत्र	5	1	15	**16**
19	यमुनानगर	8	7	5	**12**
20	रेवाडी	11	8	10	**18**
21	नारनौल	8	3	7	**10**
22	मेवात	6	4	6	**10**
23	पलवल	12	12	18	**30**
	कुल	**270**	**135**	**285**	**420**

ख. वर्तमान वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान पुलिस विभाग ने 1443 अलग–अलग प्रकार के वाहन नकारा वाहनों के विरूद्ध खरीदने के लिए 43,94,00,000/– (रू0 43.94 करोड़) की स्वीकृति देने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है ताकि राज्य में कानून एवं व्यवस्था सूचारू रूप से चलती रहे। इस प्रस्ताव के तहत जो वाहन खरीद किए जाएगें उनका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :–

क्र0 सं0	वाहनों के प्रकार	वाहनों की संख्या	यूनिट मूल्य (लगभग लाख में)	कुल लागत (लगभग करोड़ में)
1.	बस	6	25.00	1.50
2.	मिनी बसें	27	20.00	5.40
3.	ट्रक	14	25.00	3.50
4.	क्रेन	8	17.00	1.36

5.	वाटर कैन्न	1	60.00	0.60
6.	कैदी वैन	31	15.00	4.65
7.	एम्बुलैन्स	8	15.00	1.20
8.	वज्रा	1	15.00	0.15
9.	हल्के वाहन (जैसे बोलेरो, अर्टिगा आदि)	114	8.00	9.12
10.	फॉर्च्यूनर	18	35.00	6.30
11.	स्टाफ कार	5	9.50	0.48
12.	मोटरसाईकिल	1210	0.80	9.68
		1143		**43.94 करोड़**

श्री राम कुमार कश्यप : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हरियाणा में कुल 329 पुलिस चौकियां हैं और जो इन पुलिस चौकियों को 150 हल्के वाहन दिये गये हैं। मैं टू व्हीलर की बात न करके हल्के वाहन की बात करूं तो एक पुलिस चौकी को एक हल्का वाहन भी नहीं आता है क्योंकि हल्के वाहनों की संख्या बहुत कम है। आज कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिप्सी जैसी गाड़ियों की बहुत जरूरत है। मेरा निवेदन है कि एक पुलिस चौकी को कम से कम एक हल्का वाहन जरूर दिया जाये। मेरे हल्के में दो पुलिस चौकियां हैं, इनमें बहुत ही पुराने वाहन हैं और पुराने वाहन आउट डेटिड भी हो गये हैं इसलिए जो पुराने वाहन हैं उनके स्थान पर नये वाहन उपलब्ध करवाये जायें। माननीय मंत्री जी से मैंने दूसरा प्रश्न यह पूछा था कि पुलिस चौकियों को वाहन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है तो माननीय मंत्री जी ने हां में इसका जवाब दिया है। अगर मैं छोटे वाहन की बात करूं तो इसमें इन्होंने कहा कि 114 छोटे वाहन खरीदे जायेंगे। अगर ये छोटे वाहन पुलिस चौकियों को दिये जायेंगे तब भी बात नहीं बनेगी। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि एक पुलिस चौकी को कम से कम एक छोटा वाहन जरूर उपलब्ध करवाया जाये।

श्री रणजीत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है कि उस सम्बन्ध में मैं उनको बताना चाहूंगा कि हम 1200 मोटर साइकिल खरीद कर पुलिस कर्मचारियों को आबंटित कर रहे हैं। इसके अलावा मैं यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि जो हमारा टोल फ्री नम्बर 100 था उसे अब बदलकर 112 कर दिया गया है उसके तहत हमने 630 गाड़ियों को शामिल किया है। जिनको

इमरजैंसी पर्पज़ के लिए रखा जाता है। इसके अलावा हमारे पास हल्की श्रेणी के 2666 वाहन हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में पुलिस के पास 5095 वाहन हैं। इसके अलावा हमारी जो अनसैंक्शंड 270 चौकियां हैं उनमें भी 420 वाहन हैं। इसके साथ मध्यम श्रेणी के 380 वाहन हैं, भारी श्रेणी के 210 वाहन हैं और दोपहिया वाहनों की संख्या 1839 है। इस प्रकार से हरियाणा पुलिस के पास वाहनों की कोई कमी नही है।

श्री राम कुमार कश्यपः स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए आपका एवं माननीय मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद।

.....

Payment to Contractor Without Any Works

***1135. Shri Neeraj Sharma:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that crores of rupees were paid to the company named Satbira Construction by the Municipal Corporation, Faridabad without executing any work; and

(b) the steps taken by the Government to check corruption in Municipal Corporation, Faridabad?

@शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) और (ख) श्रीमान जी, प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य सतर्कता विभाग हरियाणा को पत्र क्रंमाक 52/45/2020–5–II दिनांक 05.02.2021 के तहत मामले में जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। रिपोट की प्रतीक्षा है।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यह भ्रष्टाचार का एक बहुत ही गम्भीर विषय था। मैं यह चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसका विशेष रूप से संज्ञान लें। मैं मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के हौंसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि पहले तो वे जनप्रतिनिधियों को बहकाते थे, अफसरों को बहकाते थे लेकिन मुझे यह बड़े दुख के

@ Replied by the Transport Minister

साथ कहना पड़ रहा है कि आज उनके द्वारा पूरे के पूरे सदन को बहकाया जा रहा है। शायद किसी ने मेरे प्रश्न को सही से नहीं पढ़ा। मेरे प्रश्न का (ख) पार्ट यह था कि नगर निगम फरीदाबाद में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाये गये? नीचे से लेकर ऊपर तक यह जवाब बनता है और ब्रीफिंग होती है। इस विषय के ऊपर सरकार द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई। इसके अभाव में मैं सप्लीमैंट्री क्वैश्चन कहां से पूछूंगा? मेरा जो प्रश्न था कि सतबीर कंस्ट्रक्शन कम्पनी को बिना काम के पेमैंट कर दी। मंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया कि इस मामले की इंक्वॉयरी चल रही है। मंत्री जी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाये, इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : नीरज जी, जो आपने प्रश्न पूछा उसका मंत्री जी ने प्रॉपर जवाब दे दिया है। इसके अलावा अगर आप भ्रष्टाचार के किसी अन्य मामले पर सरकार से जवाब चाहते हैं तो आप उसके लिए लिखित रूप में पृथक प्रश्न दे दें।

पण्डित मूल चंद शर्माः अध्यक्ष जी, माननीय साथी ने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में मैं उनको यह भी बताना चाहूंगा कि दिनांक 07.07.2020 को श्री महेन्द्र सिंह, पार्षद, वार्ड नम्बर–09, श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, पार्षद, वार्ड नम्बर–06, श्री दीपक यादव, पार्षद, वार्ड नम्बर–38 एवं श्री दीपक चौधरी, पार्षद, वार्ड नम्बर–37 द्वारा आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद को बिना कार्य करवाये करोड़ों रुपये की राशि का भुगतान शीर्षक से शिकायत दी गई जिसमें लेखा विभाग के पत्र क्रमांक 301, दिनांक 28.05. 2020 की सूचना तथा अधिकांश पार्षदों के द्वारा किए गए विचार–विमर्श के अनुसार यह पाया गया कि विभिन्न वार्डों में बिना कार्य किए करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया है और उनके वार्डों में यह काम नहीं करवाया गया है। उक्त शिकायत पर आयुक्त, नगर निगम फरीदाबाद ने मामले की जांच के लिए कार्यालय आदेश क्रमांक 241 दिनांक 09.07.2020 के तहत संयुक्त (एफ), मुख्य अभियंता और क्षेत्रीय और कराधान अधिकारी (मुख्यालय) की एक समिति गठित की व आयुक्त, नगर निगम फरीदाबाद ने पत्र क्रमांक 3190 दिनांक 13.08.2020 के तहत श्री मनमोहन गर्ग, उप–मेयर, श्री अजय बैंसला, पार्षद, वार्ड नंबर 26 को भी गठित जांच समिति में शामिल किया गया। गठित समिति द्वारा जांच की है और अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई।

इसके अलावा यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार ने मामले में संज्ञान लेते हुए पत्र क्रमांक 52/45/2020–5–II, दिनांक 05.02.2021 के माध्यम से राज्य

सतर्कता विभाग हरियाणा को मामले में जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए हैं। राज्य सतर्कता विभाग द्वारा अपने स्तर पर जांच की जा रही है।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने गलत जवाब दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि हकीकत क्या है?

श्री अध्यक्षः नीरज जी, आपने सतबीर कंस्ट्रक्शन के बारे में प्रश्न पूछा था उसका जवाब मंत्री जी ने दे दिया है कि उसकी जांच विजिलैंस को दे दी है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा था कि नगर निगम, फरीदाबाद में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। अगर आप भ्रष्टाचार का कोई पर्टिकुलर केस लेकर आयेंगे तभी तो पता चलेगा।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, नगर निगम, फरीदाबाद में बहुत अधिक भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के कारण सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है। यह एक अहम मुद्दा है इसलिए इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

श्री अध्यक्षः नीरज जी, आप स्पेसिफिक लिख कर दे दीजिए सरकार उसकी इन्कवायरी करवा लेगी।

पंडित मूल चन्द शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ये भरोसा रखें हमने नगर निगम, फरीदाबाद, गुरूग्राम तथा पंचकुला का ऑडिट सी.ए.जी. के माध्यम से करवाने का निर्णय ले लिया है।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ने 19.05.2021 की जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है उसमें फरीदाबाद निगमायुक्त ने हैड ऑफिस को लिखा है कि इस–इस ऑफिसर के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जाए।

श्री अध्यक्षः नीरज जी, आपकी बात समाप्त हो गई है इसलिए आप बैठ जाइए।

श्री नरेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं भी फरीदाबाद में रहता हूं इसलिए वहां की हकीकत से मैं भी वाकिफ हूं। सरकार ने नगर निगम का ऑडिट सी.ए.जी. से करवाने का जो निर्णय लिया है वह बहुत अच्छा निर्णय है। इस बारे में मेरा एक सुझाव है कि यह 200 करोड़ रुपये का मामला है इसलिए अगर जी.एस.टी. विभाग से भी इस मामले की जांच करा ली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो

जायेगा। यहां पर उप–मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं अगर वे जी.एस.टी. अधिकारियों को आदेश दें तो इसमें हमें बहुत कुछ सच्चाई पता चलेगी।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

.....

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

To Construct Under-Pass

***1213. Shri Ram Karan** : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct under-pass opposite tehsil near bus stand in Sahabad (M.); if so, the time by which it is likely to be constructed?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): No, Sir.

.....

To Construct Bye-Pass

***1189. Shri Subhash Sudha**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bye-pass from village Jyotisar at Pehowa road to G.T. road Delhi Phase-II (Delhi side) as per the announcement made by the Hon'ble Chief Minister ; and

(b) if so, the time by which the construction and demarcation work of land is likely to be started on the said bye-pass?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : (क) एवं (ख) श्रीमान् जी, गांव ज्योतिसर पेहवा सड़क से जी.टी. रोड (दिल्ली की तरफ) पर बाई–पास का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

.....

Mukhyamantri Antyodya Pariwar Utthan Abhiyan

***1116. Shri Varun Choudhary:** Will the Social Justice & Empowerment Minister be pleased to state the action taken by the Government on Mukhyamantri Antyodaya Parivar Uthaan Abhiyan in the State?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से सत्यापित डेटा प्राप्त करेगी और राज्य के सबसे गरीब परिवारों की पहचान करेगी। शिक्षा, कौशल विकास, मजदूरी रोजगार, स्वरोजगार और रोजगार सृजन से उपायों का एक पैकेज अपनाया जाएगा और प्रत्येक परिवार को उनके आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जाएगा ताकि परिवार शुरू में **1.00** लाख रू0 और बाद में सालाना **1.80** लाख रुपये की न्यूनतम आर्थिक सीमा तक पहुंच सके। राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स और जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

योजना कि पहचान अथवा लाभों कि रूपरेखा के मिलान हेतु जोनल कमेटी द्वारा चिन्हित परिवार के सदस्यों को संपर्क किया जायेगा । जोनल कमेटियों का गठन किया जा रहा है। क्षेत्रीय समिति चिन्हित परिवारों के सदस्यों के साथ बैठक के दौरान स्वरोजगार,मजदूरी रोजगार, कौशल विकास आदि से संबंधित विभागों के तहत उपलब्ध विभिन्न योजनाओं की व्याख्या करेगी। प्रत्येक व्यक्ति के साथ बातचीत के आधार पर, समिति आगे की कार्रवाई के लिए सुझाव देगी। प्रत्येक परिवार को अपना उत्थान सुनिश्चित करेंगे ताकि परिवार सालाना **1.80** लाख रुपये की न्यूनतम आर्थिक सीमा तक पहुंच सके।

सदस्यों की रूपरेखा और परिवारों के लिए योजना की पहचान पर दर्ज करने के लिए एक मोबाइल आधारित ऐप विकसित किया गया है। लाभार्थी परिवारों को मिलाने वाली योजना की पहचान की प्रक्रिया शुरू की जा रही है ।

.....

Construction of RUB

***1122. Shri Pardeep Chaudhary:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the proposal for the construction of R.U.B. at Pinjore approved by the Government in the year 2018;

(b) whether it is also a fact that the work for the construction of said R.U.B. has not been started so far, and

(c) if so, the reasons for the delay together with the time by which the construction work of the above said R.U.B. is likely to be started alongwith the details thereof?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान् जी।

(ग) कार्य में देरी होने का कारण यह है कि जनता की मांगानुसार रेलवे अंडर ब्रिज के डिजाइन में बदलाव किया गया था। अब बदले हुए डिजाइन के हिसाब से रेलवे अंडर ब्रिज की निविदा ठेकेदार को आबंटित कर दी गई है और कार्य के दिनांक 01.09.2021 से शुरू होने की संभावना है।

.....

Present Status of University

***1211. Shri Nayan Pal Rawat:** Will the Skill Development and Industrial Training Minister be pleased to state-

(a) the present status of construction of Skill Development University in Prithla Assembly Constituency togetherwith the number of courses started therein alongwith the number of admissions made till to date; and

(b) the details of process of the recruitment in the abovesaid University ?

परिवहन मंत्री (पंडित मूल चंद शर्मा) : श्रीमान्,

(क) श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, दूधोला, जिला पलवल का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा विश्वविद्यालय के प्रथम चरण का निर्माण कार्य लगभग 56 प्रतिषत पूर्ण हो चुका है। विश्वविद्यालय में अब तक सताईस नियमित पाठयक्रम/कार्यक्रम आरंभ किए गए है तथा अभी तक कुल 1548 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है।

(ख) भर्ती प्रक्रिया कार्यकारी परिषद, कौशल परिशद के अनुमोदन उपरान्त आरम्भ की जाती है और विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात् चयन समिति के माध्यम से सरकारी मानदंडों अनुसार पूर्ण की जाती है।

.....

To Construct Outer Jhajjar Link Drain

***1139. Smt. Geeta Bhukkal:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct outer Jhajjar link drain in Jhajjar city; and

(b) if so, the scope of work togetherwith its present status thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) झज्जर टाऊन के रिंग बंध (अब सड़क से ढका हुआ) के किनारे के साथ झज्जर लिंक ड्रेन (जेएलडी) की बुर्जी संख्या 5150 से बुर्जी संख्या 16500 तक एक आरसीसी ट्रफ बनाने की परियोजना की मंजूरी दी गई है। चैनल खंड अर्थात हाइड्रोलिक भाग का कार्य सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाएगा और सड़क का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। चैनल अनुभाग के कार्यों के लिए सरकार द्वारा 28.09.2020 को 4041.00 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है और तकनीकी डिजाइन के लिए परामर्श प्राप्त किया जा रहा है। इस बीच झज्जर–रेवाड़ी रोड़ स्थित झज्जर आउटफॉल लिंक ड्रेन में नाले से बाढ़ का पानी ले जाने के लिए लगाए गए पंपिंग सिस्टम को फरवरी, 2021 में 21.73 लाख रूपये की लागत से पूर्णोधार किया गया, जिससे नाले की वहन क्षमता में सुधार हुआ। इस प्रकार 'अतिप्रवाह के कारण बाढ़' की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो गई है।

.....

To Release the Amount Under Ambedkar Awas Navinikaran Yojna

***1111. Smt. Renu Bala :** Will the Welfare of SCs & BCs Minister be pleased to state the reasons for which the increased amount of the Ambedkar Awas Navinikaran Yojna has not been released by the Government even after the announcement made by the Hon'ble Chief Minister?

सहकारिता मंत्री (डॉ0 बनवारी लाल): श्रीमती जी, दिनांक 27.02.2021 को संत शिरोमणी गुरू रविदास जी की जयन्ती समारोह के अवसर पर मुख्य मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई थी कि डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मुरम्मत के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के सभी परिवारों को दिया जाएगा और आर्थिक सहायता की राशि 50,000/– रू0 से बढ़ाकर 80,000/– रू0 कर दी जाएगी।

इस बारे सरकार के यादि क्रमांक 391–स0क0(1)–2021 दिनांक 20.08.2021 द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

.....

To open ITI

***1124. Shri Jogi Ram Sihag :** Will the Skill Development and Industrial Training Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open an I.T.I. in village Badopati and Dhansu, if so, the details thereof ?

परिवहन मन्त्री (पंडित मूल चन्द शर्मा) : हां श्रीमान, गांव बाडोपट्टी में नया महिला आई0टी0आई0 तथा गांव धांसू में एक आई0टी0आई0 खोलने बारे अनुरोध दिनांक 27.01.2021 विभाग को प्राप्त हुआ था। यह अनुरोध विभाग में विचाराधीन है।

.....

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

To Constructed the Road

440. Shri Neeraj Sharma: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is fact that the tender of constructing road leading from Whirlpool Chowk to Saran Chowk has been released to Brij Goyal Construction by the HSIIDC and thereafter same tender has been given to some other company with less amount of Rs. 41.05 Crore by HSVP in regard to the above said road and some other roads;

(b) whether it is also a fact that Brij Goyal Construction company has been taken stay orders from the Hon'ble high court due to which the said road has not been constructed so far; and

(c) whether it is also a fact that the Brij Goyal Construction company had assured in writing to withdraw the case so that the road may be constructed?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) यह तथ्य है कि व्हर्लपूल चौंक से सारन चौंक तक जाने वाली सड़क निर्माण की निविदा मैसर्स ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को एच.आई.आई.डी.सी. द्वारा जारी की गई है। हालांकि उसके बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा संबंधित औद्योगिक सपंदा में

उसी सड़क के लिए सैक्टर अनुसार अलग से निविदाये बुलाई, जिसके तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की एजेंसियों द्वारा उद्वत दरें मैसर्स ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड जिसे एच.आई.आई.डी.सी. द्वारा निविदा जारी की थी से 41.05 करोड़ रुपये कम आई है और जिसको बाद में एच.आई.आई.डी.सी. द्वारा रद्द कर दिया गया था।

(ख) यह भी एक तथ्य है कि मैसर्स ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड ने सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 15977/2018 के तहत पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय में स्टे ले लिया था जिसके कारण उक्त सड़क का निर्माण अब तक नहीं किया गया है। हालांकि इसे अब 19.08.2021 को खारिज कर दिया गया है।

(ग) यह तथ्य है कि उक्त कंपनी ने 10.06.2021 को माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा से मामला वापस लेने का आश्वासन दिया था जो 19.08.2021 को माननीय उच्च न्यायालय ने याची की याचिका पर खारिज कर दिया है।

.....

To Start Construction Work of New Grain Market

394. Shri Dharam Singh Chhoker: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state the time by which the construction work of proposed New Grain Market in village Sanouli Khurd is likely to be started?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : वर्तमान में गांव सनौली खुर्द में 15 कनाल–13 मरला भूमि पर खरीद केन्द्र चल रहा है। गांव सनौली खुर्द में नई अनाज मंडी के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, इसलिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

.....

Details of Sanctioned Posts and Vacanices

402. Shri Varun Chaudhry: Will the Home Minister be pleased to state the post wise and rank wise details of the sanctioned posts & vacancies in Home Department as on 1st of July, 2021 together with the time by which these are likely to be filled?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): श्रीमान जी, इस संबंध में ब्यौरा विधानसभा पटल पर प्रस्तुत है।

ब्यौरा

पुलिस विभाग में सभी पद अर्थात राजपत्रित पुलिस अधिकारियों, अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों, लिपिक वर्ग कर्मचारी, वैज्ञानिक कर्मचारियों और समूह 'डी' कर्मचारियों में स्वीकृत, तैनात और रिक्तियों का पदवार विवरण निम्नानुसार हैः–

पद	स्वीकृत	नियुक्त	रिक्त
भारतीय पुलिस सेवा	144	109	35
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	35	29	06
उप पुलिस अधीक्षक	329	268	61
निरीक्षक (पुरूष)	1076	847	229
निरीक्षक (महिला)	84	79	05
उप–निरीक्षक (पुरूष)	3045	2053	992
उप–निरीक्षक (महिला)	276	210	66
सहायक उप–निरीक्षक (पुरूष)	5310	3862	1448
सहायक उप–निरीक्षक (महिला)	543	519	24
मुख्य सिपाही (पुरूष)	11466	7673	3793
मुख्य सिपाही (महिला)	917	668	249
सिपाही (पुरूष)	43706	31047	12659
सिपाही (महिला)	4138	2866	1272
योग	**71069**	**50230**	**20839**
	लिपिक वर्ग कर्मचारी		
प्रशासनिक अधिकारी	01	00	01
निजी सचिव	02	00	02
अधीक्षक (कार्यालय)	26	16	10
उप–अधीक्षक (कार्यालय)	36	35	01
निजी सहायक	15	09	06
सहायक	171	133	38
वरिष्ठ आशुलिपिक	68	15	53
कनिष्ठ आशुलिपिक	22	02	20
लिपिक	313	257	56
आषुटंकक	28	07	21
योग	**682**	**474**	**208**
	समूह 'डी' कर्मचारी		
सफाईकर्मी	819	297	522
रसोईया	1155	787	368
जल–वाहक	780	568	212
माली	206	161	45
धोबी	247	167	80
खलासी	33	26	7
राज मिस्त्री	35	22	13
पेन्टर	27	21	6
मोची	78	56	22
नाई	183	112	71
बढ़ई	39	30	9
सहायक	12	9	3
चौकीदार	7	5	2
इलैक्ट्रिशन	13	10	3
साईस	14	11	3
पलम्बर	6	5	1
केयर टेकर	2	1	1
स्कैल्टन मटिरियल क्लीनर	1	1	0

विसरा कटर	7	2	5
मजदूर	2	2	0
दर्जी	23	16	7
बोर्ड सर्वेन्ट	14	14	0
कैनल मैन	36	31	5
प्रयोगषाला परिचर	50	26	24
सेवादार	77	64	13
दफ्तरी	10	5	5
लिफ्ट ऑपरेटर	3	3	0
सीविर मैन	1	1	0
लौहार	2	0	2
परेड परिचर	3	1	2
कक्षा परिचर	2	1	1
जल वाहक–रसोईया	1	0	1
सीवरेज प्लांट संचालक	2	0	2
नलकूप चालक	3	0	3
पुस्तकालय परिचर	3	1	2
परिचर	2	1	1
योग	**3898**	**2457**	**1441**

न्यायवैद्विक प्रयोगशाला, मधुबन और 04 क्षेत्रीय न्यायवैद्विक प्रयोगशाला, गुरूग्राम, रोहतक, हिसार व पंचकूला।

पद	स्वीकृत	नियुक्त	रिक्त
न्यायवैद्विक प्रयोगशाला, मधुबन			
निदेशक	01	00	01
उप–निदेषक	04	03	01
सहायक निदेषक	22	18	04
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	45	25	20
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	44	18	26
वैज्ञानिक सहायक	34	04	30
प्रयोगषाला सहायक	29	11	18
प्रयोगषाला परिचर	34	18	16
डार्क कक्ष परिचर	01	00	01
योग	**214**	**97**	**117**
क्षेत्रीय न्यावैद्विक प्रयोगशाला, भौण्डसी, गुरूग्राम			
सहायक निदेषक	01	01	00
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	04	01	03
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	04	01	03
वैज्ञानिक सहायक	04	00	04
प्रयोगषाला सहायक	04	00	04
प्रयोगषाला परिचर	04	02	02
योग	**21**	**5**	**16**
क्षेत्रीय न्यावैद्विक प्रयोगशाला, सुनारियां, रोहतक			
सहायक निदेषक	01	01	00
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	04	02	02
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	04	01	03
वैज्ञानिक सहायक	04	00	04
प्रयोगषाला सहायक	04	00	04
प्रयोगषाला परिचर	04	01	03
योग	**21**	**5**	**16**
क्षेत्रीय न्यावैद्विक प्रयोगशाला, हिसार			
सहायक निदेषक	01	00	01
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	04	00	04
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	04	00	04
वैज्ञानिक सहायक	04	00	04
प्रयोगषाला सहायक	04	00	04
प्रयोगषाला परिचर	04	03	01

योग	**21**	**3**	**18**
क्षेत्रीय न्यावैद्विक प्रयोगशाला, मोगीनंद, पंचकूला			
सहायक निदेषक	01	01	00
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	04	02	02
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	04	00	04
वैज्ञानिक सहायक	04	00	04
प्रयोगषाला सहायक	04	00	04
प्रयोगषाला परिचर	04	02	02
योग	**21**	**5**	**16**

भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा की जाती है। जहां तक अन्य पदों में रिक्तियों का संबंध है रिक्त पदों को भरना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, जो जारी है।

इस विभाग द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग/हरियाणा लोक सेवा आयोग को निम्न नियुक्तियों हेतु मांग पत्र इस प्रकार से भेजा जा चुका है।

चयन आयोग को भेजे गए मांग पत्र का पद अनुसार विवरण

क्रम संख्या	**पद का विवरण**	**कुल पद संख्या**
1	उप–पुलिस अधीक्षक	07
2	उप–निरीक्षक (पुरूष)	400
3	उप–निरीक्षक (महिला)	65
4	सिपाही पुरूष (सामान्य ड्यूटी)	5500
5	सिपाही महिला (सामान्य ड्यूटी)	1100
6	वरिष्ठ आषुलिपिक	02
7	समूह 'डी' कर्मचारी	502
8	सिपाही महिला (एच.ए.पी. दुर्गा–1)	698
9	सिपाही पुरूष (कमाण्डो)	520

Repair of Roads

434. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Deputy Chief Minister be pleased to State-

(a) whether it is a fact that the following roads of Gohana Assembly Constituency are in very bad condition-

(i) Gohana to B.P.S. Mahila Medical College Khanpur Kalan;

(ii) village Katwal bus stop to Gohana Kharkhoda Road to Kakana Bhadri via Lath and Jauli;

(iii) Tihar Khurd to Tihar Kalan;

(iv) Gohana to Sonepat road portion upto village Bidhal; and

(b) if so, the time by which these roads are likely to be repaired?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): (क) और (ख) हाँ श्रीमान जी, क्रम संख्या (i) व (ii), सड़कों की बुरी अवस्था थी। यह सड़कें पी.एम.जी.एस.वाई.–III स्कीम के तहत स्वीकृत की गई है और इन सड़कों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा क्रमशः 31 दिसंबर, 2021 और 31 मार्च, 2022 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

क्रम संख्या (iii) सड़क अच्छी अवस्था में है और इस सड़क की मरम्मत जून, 2021 में की गई है।

क्रम संख्या (iv) सड़क का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रखरखाव किया जा रहा है और सड़क के चारमार्गीकरण का कार्य प्रगति पर हैं तथा सड़क अच्छी अवस्था में है।

.....

Construction of Road

384. Shri Neeraj Sharma: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that a complaint has been given by Shri Devi Charan Sharma Pardhan and all residents of Rajeev Colony, Banke Bihari Colony, Gali No.1–7, vide letter No.LFA/2019/1524 dated 27.9.2019 to the Grievances Committee, Faridabad but no action has been taken by the Government on said complaint till to date; and

(b) if so, the time by which the main road of Banke Bihari Mandir at Rajeev Colony is likely to be constructed after solving the abovesaid complaint?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : (क) जी हाँ, श्रीमान जी।

उक्त शिकायत जिला लोक शिकायत एवं निवारण समिति की बैठक में उठाई गई थी, जिस पर समिति के अध्यक्ष ने आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद को नालों की सफाई करवाकर रुके हुए पानी की समस्या का समाधान करने का आदेश दिया और एक्सईएन (पीआर) को राजीव कालोनी स्थित बांके बिहारी मंदिर के मुख्य मार्ग को विधायक फण्ड के अंतर्गत कार्य को करवाने के लिए प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिये थे और शिकायत फाइल कर दी गयी थी।

(ख) जब भी विधायक, एनआईटी फरीदाबाद द्वारा कार्य का अनुमान विधायक फण्ड के अन्तर्गत तैयार करने की सिफारिश एक्सईएन (पीआर) फरीदाबाद को प्रदान की जाती है, नियमानुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

.....

To Complete the Construction Work of Sugar Mill

395. Shri Dharam Singh Chhoker: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether it is a fact that the construction work of Sugar Mill, Panipat is in very slow process; if so, the time by which it is likely to be completed?

सहकारिता मंत्री (डॉ. बनवारी लाल) :पानीपत में नई सहकारी चीनी मिल का कार्य नवंबर, 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है।

.....

The details of procurement on MSP

407. Shri Varun Chaudhary: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the year-wise details of procurement of Wheat, Paddy, Cotton, Pulses, Maize, Gram, Mustard, Sunflower, bajra made by the Government on minimum support prices in the State for past five years?

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : गत पांच वर्षो से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा गेहूं, धान, कपास, दालों, मक्का, चना, सरसों, सूरजमुखी, बाजरा की खरीद का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	गेहूं (लाख एम.टी)	धान (लाख एम.टी)	कपास (लाख क्विं. में)	दालें (मूंग) एम.टी	मक्का (एम.टी)	चना (एम.टी)	सरसों (लाख एम.टी)	सूरजमुखी (एम.टी)	बाजरा (एम.टी)
2016-17	67.54	53.48	-	-	-	-	-	-	6341
2017-18	74.25	59.57	-	-	-	-	-	-	31449
2018-19	87.57	58.82	-	-	175	-	2.68	-	183110
2019-20	93.60	64.71	30.21	3726	-	200	6.15	10787	310921
2020-21	74.01	56.54	52.61	1099.65	4016.55	10636.46	7.49	16207	776909
2021-22	84.93	-	-	-	-	-	-	4072	-

.....

Details of Liabilities of HSAMB

435. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state &

(a) whether it is a fact that the Haryana State Marketing Board is under debt; if so, the details of liabilities against each head; and

(b) whether it is also a fact that some mandis and sub-centres of the State were closed during the past wheat procurement season and their grains/ wheat was diverted in Silos; if so, the district wise details thereof?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

ब्यौरा

(क) माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में विभिन्न विकास कार्यो के लिए की गई घोषणाओं को क्रियान्वित करने हेतू हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा नाबार्ड से आर. आई. डी. एफ. योजना के तहत ऋण लिया गया है। स्वीकृत ऋण तथा प्राप्त की गई धनराशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	परियोजना का विवरण	परियोजना के लिए स्वीकृत ऋण (राशि करोड़ रू0 में)	नाबार्ड से प्राप्त ऋण (राशि करोड़ रू0 में)
1	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अर्न्तगत 246 ग्रामीण सड़को का निर्माण ।	200.04	111.26
2	सेब, फल एवं सब्जी मंडी, पिजौंर का निर्माण।	117.31	31.54
कुल जोड़		**317.35**	**142.80**

ऋण का भुगतान 7 वर्षो में किस्तों में किया जाना है तथा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मार्किट फीस तथा प्लाटों की बिक्री से अर्जित धनराशि द्वारा इस ऋण को समय पर चुकाने में सक्षम हैं ।

(ख) कोविड–19 महामारी के चलते सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए रबी सीजन 2020–21 के दौरान नियमित मंडियों के अलावा नये खरीद केन्द्र स्थापित किए गए । गेहूं की खरीद के लिए स्थापित खरीद केन्द्रों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रमांक	वर्ष	गेहूं के लिए घोषित खरीद केन्द्रों की सख्यां	गेहूं के लिए स्थापित खरीद केन्द्रों की सख्यां	खरीद की गई मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	टिप्पणी
1	2019–20	384	369	92.44	–
2	2020–21	1892	1555	74.06	कोविड़–19 महामारी के

					चलते ज्यादा संख्या में खरीद केन्द्र स्थापित किए गए।
3	2021–22	386	376	84.97	–

मंडियों की सम्भावित आवक को ध्यान में रखते हुए रबी खरीद सीजन 2021–22 के दौरान 386 गेंहू के खरीद केन्द्रों की घोषणा की गई। अधिकतम आवक के समय पर मंडियों में भीड़–भाड़ की स्थिति को तथा मंडी में आवक को नियन्त्रित करने हेतू किसानों के मंडी में फसल लाने का समय निर्धारित किया गया।

निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने पत्र दिनांक 10.04.2021 द्वारा 4 साईलोस को मंडी के रूप में घोषित किया। गेंहू को साईलोस में डाईवर्ट नही किया गया था बल्कि किसानों को अपनी उपज को निर्धारित मंडी में या नजदीकी साईलोस मे ले जाने के दोनो विकल्प दिए गए थे। सभी सचिव–एवं–कार्यकारी अधिकारियों को पत्र दिनांक 11.04.2021 द्वारा निर्देश दिए गए थे कि वे मंडी के गेटो पर इस सूचना को प्रदर्शित करेंगे तथा गेट पास जारी करते समय किसानों को दोनो विकल्पों की जानकारी देने हेतू मंडियों में गेट पर सूचना प्रदर्शित करने बारे जारी किया गया लेख निम्न प्रकार है :–

"यह मण्डी भम्भेवा/ सोलहूमाजरा/ भटटू/ मोहाना साईलो से जोड़ी गई है। अतः जो किसान अपनी कृषि उपज इस मण्डी में लाना चाहते हैं वो अपना गेट पास यहॉ से जारी करवाऍ और अपनी कृषि उपज को मण्डी में लाकर प्लेटफार्म पर उतार दें । जो किसान अपनी कृषि उपज सीधे साईलो पर ले जाना चाहते है उनका गेट पास साईलो पर ही जारी किया जाएगा । सीधे साईलो पर ले जाने वाले किसान से उतराई व सफाई का कोई खर्चा नही कटेगा।"

यहां पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि जो किसान अपनी उपज को सीधे साईलोस में ले जाते है तो उन पर उतराई व सफाई का शुल्क नहीं होगा।

जिलावार साईलोस तथा नजदीकी मंडियों में खरीद की गई गेहूं का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	**जिले का नाम**	**साईलोस का स्थान**	**साईलोस गेहूं खरीद केन्द्र (मीट्रिक टन में)**	**नजदीकी मंडी**	**गेंहू की मात्रा (मीट्रिक टन में)**
1	कैथल	सोलूमाजरा	1,00,699	सोलूमाजरा	0
				पुंडरी	16,890
				ढाण्ड	0
				कौल	0
				पाई	17,942
				रसीना	2,657
2	जीन्द	भम्भेवा	6,135	फतेहगढ	0
				पिल्लूखेड़ा	60,550
				लुदाना	9,472
				एन्चराकलां	2,594
				सिवानामाल	2,368
				खरक रामजी	5,994
				हाट	0

				सफीदों	87,838
3	सोनीपत	मोहाना	6,859	कासन्दी	0
				पुरखास	0
				फरमाना	13,530
				हुल्लाहेडी	0
				गोहाना	1,40,726
				मोहाना	58
				खानपुर कलां	0
कुल जोड़			**1,13,693**		**2,19,893**

.....

To Complete the Construction Work of Road

385. Shri Neeraj Sharma: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the construction work of Faridabad-Dabua-Pali road has been started as per the announcement no.- 10217 made by the Hon'ble Chief Minister but the said work has not been complete so far; and

(b) if so, the time by which the construction work of abovesaid road is likely to be completed?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) हाँ, श्रीमान जी। घोषणा नं0 10217 के अनुसार, डबुआ–पाली सड़क निर्माण कार्य को 70% पूर्ण किया जा चुका है, शेष कार्य धन राशि के अभाव के कारण रुका हुआ था। मुख्यमंत्री घोषणा के तहत अब यह धन राशि सरकार से प्राप्त हो गई है और शेष 30% कार्य जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा।

(ख) यह कार्य शीघ्र पूरा होने की संभावना है।

To Complete The Construction Work of Bridge

396. Shri Dharam Singh Chhoker: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the construction work of bridge on the Yamuna Nagar–Bilaspur road has been started approximately 8 years ago but the said work has not been completed so far; and

(b) if so, the time by which it is likely to be completed?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : (क) श्रीमान् जी, **यमुनानगर-बिलासपुर सड़क (एस.एच.1) यमुनानगर जिले में आती है और इस सड़क पर कोई बड़ा पुल नहीं बनाया जा रहा है। हालांकि समालखा विधानसभा क्षेत्र में बिलासपुर गांव के पास यमुना नदी पर एक बड़ा पुल निर्माणाधीन है। यमुना पुल हरियाणा के समालखा, आटा, बिलासपुर और खोजकीपुर गांवों को उत्तर प्रदेश के टांडा, नागल, कुर्डी गांवों से जोड़ेगा। इस पुल के निर्माण का कार्य दिनांक** 27.11.2018 **को** 24 **महीने की समय सीमा के साथ प्रारंभ किया गया था।**

(ख) कार्य 31.07.2022 तक पूरा होने के संभावना है।

.....

Details of Dairy Animals

408. Shri Varun Chaudhary: Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state whether the year wise number of dairy animals ear tagged and insured by the Government in the State for the past five years?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : श्रीमान जी, राज्य में गत् पांच वर्षों में कान पर टैग लगाये गये तथा बीमा किये गये डेयरी पशुओं की वर्षवार संख्या निम्नानुसार हैः–

वर्ष	कान पर टैग लगाये गये डेयरी पशुओं की संख्या	बीमा किये गये डेयरी पशुओं की संख्या
2016–17	198017	60544
2017–18	105517	21582
2018–19	127706	57444

2019—20	246398	192100
2020—21	1786834	366803
कुल	**2464472**	**676891**

.....

Overflow of Sewerage

423. Shri Neeraj Sharma: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the people of Ward no. 5 in Faridabad are facing great difficulties due to overflow of sewerage in the pocket of Bal Kalyan School from the last many years; and

(b) if so, the time by which said problem is likely to be solved?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) :(क) हाँ, श्रीमान जी।

(ख) नगर निगम, फरीदाबाद ने बाल कल्याण पॉकेट में स्टॉर्म वॉटर लाइन की गाद निकालने के लिए दिनांक 16.02.2021, 02.03.2021, 15.04.2021, 16.06.2021 और 11.08.2021 को कई बार निविदाएं आमंत्रित की थीं। अब, दो निविदाएं प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच की जा रही है और कार्य आवंटन के बाद यह कार्य 3 माह के भीतर पूरा करवा दिया जाएगा।

.....

To Construct ROB

397. Shri Dharam Singh Chhoker: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the approval of road over bridge on the G.T. Road at village Manana in Samalkha Assembly Constituency has already been sanctioned; if so, the time by which it is likely to be completed?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) :हां, श्रीमान जी, कार्य एजैंसी को आवंटित कर दिया गया है और वह प्रगति पर है। इस कार्य के पूरा होने की संभावित तिथि जनवरी, 2022 है।

.....

Storage for Agriculutre Produce

409. Shri Varun Choudhary: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the action taken by the Government for creating storage for agriculture produce in the State?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : महोदय, राजय में भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिए, भारतीय खाद्य निगम सहित राज्य की खरीद संस्थाओं ने पिछले तीन वर्षों 2018–19, 2019–20 और 2020–21 के दौरान 4.84 लाख मीट्रिक टन क्षमता के कवर्ड गोदाम तथा 1.50 लाख मीट्रिक टन क्षमता के स्टील साईलो का निर्माण किया है। इसके अलावा, वर्ष 2021–22 के लिए राज्य की खरीद संस्थाओं की 9.50 लाख मीट्रिक टन कवर्ड भण्डारण क्षमता निर्माणधीन है।

उपरोक्त के अलावा भारत सरकार ने कवर्ड और प्लिंथ (CAP) क्षमता को धीरे–धीरे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्णय लिया है और रबी सीजन वर्ष वैज्ञानिक भण्डारण सुविधा जैसे साईलो और कवर्ड गोदामों में पूरी तरह से तबदील करने की योजना तैयार करने की सलाह दी है। राजय की खरीद संस्थाओं ने 2021–22 से 2024–25 तक अगले चार वर्षों में 31.10 लाख मीट्रिक टन CAP क्षमता क्षमता को समाप्त करते हुए वैज्ञानिक भण्डारण यानि गोदामों और साइलों में तबदील करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

.....

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है।

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आजकल जो एक समसामयिक विषय जिसने हरियाणा को कलंकित करने का काम किया है, की ओर दिलाना चाहता हूं। आज हम सत्ता पक्ष में हैं और जो पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आप पहले विपक्ष को बोलने के लिए समय दीजिए। माननीय सदस्य तो पहले बोल चुके हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने अपना सवाल शुरू भी नहीं किया है। हमारे विपक्ष के साथियों को पहले ही किस बात का डर सता रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, मेरे पास सभी सदस्यों का समय लिखा हुआ है कि किस पार्टी के सदस्य कितनी देर बोले हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में बोलने के लिए समय देने की डिस्क्रीशन आपकी है और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बोलने का समय मांग रहा हूं लेकिन आप मुझे बोलने का समय ही नहीं दे रहे हैं। I have a right to speak. मैं जब भी बोलने के लिए हाथ खड़ा करता हूं तो आप बीच में किसी और सदस्य को बोलने के लिए खड़ा कर देते हैं। Speaker Sir, please keep the House in order. (शोर एवं व्यवधान) Speaker Sir, You are not keeping the House in order. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, प्लीज आप बैठिये। हाऊस ऑर्डर में आ जाएगा।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप हमें क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जीरो ऑवर की बात कर रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति पर बात नहीं कर रहा हूं। जिस प्रकार से आप जीरो ऑवर को चला रहे हैं उससे हमें ऑब्जैक्शन है। अगर जीरो ऑवर ऐसे ही चलाना है तो फिर जीरो ऑवर को बन्द कर दीजिए। अगर आपने ऐसे ही जीरो ऑवर चलाना है तो we don't want the zero hour like this. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, अगर आप जीरो ऑवर को खत्म करने के लिए कहेंगे तो हम जीरो ऑवर को खत्म कर देंगे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई सदस्य जरूरी इशू को उठाना शुरू करे तो यह नहीं होता कि कोई दूसरा सदस्य कोई लिस्ट उठाए और आप उसको बोलने के लिए अलाउ कर दो। अगर ऐसा करना है तो फिर आप हाउस की डिस्कशन का समय बढ़ा लें और सबको बोलने का समय दे दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जीरो ऑवर का मतलब सभी सदस्यों की बात को सुनना होता है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान) जीरो ऑवर का यह मतलब थोड़ी है कि कोई जो मर्जी बोले। (शोर एवं व्यवधान) I am on leg. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, अगर आप चाहते हैं कि जीरो ऑवर को कॉन्टीन्यू करें तो हम कॉन्टीन्यू करेंगे। अगर आप नहीं चाहते तो नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने ही तय किया था कि जीरो ऑवर में सभी लोग तीन–तीन मिनट बोलेंगे। अगर आपको यह लगता है कि कोई कुछ भी बोले तो हम वह अलाउ कर देते हैं। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, आप यह कह रहे हैं कि जीरो ऑवर का मतलब यह है कि कोई कुछ भी बोले।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जीरो ऑवर का ये मतलब नहीं है कि आप सभी सदस्यों को तीन–तीन मिनट बोलने का समय दे दो। यह एक सदस्य को तीन मिनट बुलवाने का फैसला भी आपका था हमारा नहीं था।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, उस समय यह तीन मिनट का समय हाउस ने ही तय किया था। यह फैसला मैंने तय नहीं किया था। आप चाहें तो इस फैसले को दोबारा बदल लें।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, उस समय भी हमने इसके बारे में कहा था लेकिन फिर भी एक दिन तो आपने जीरो ऑवर को चला लिया।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप आज के बारे में बताईय कि जीरो ऑवर को कैसे चलाना है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अगर आप जीरो ऑवर में प्रत्येक सदस्य को तीन–तीन मिनट बोलने का समय देंगे तो हाउस की डिस्कशन बढ़ा दीजिए। जीरो ऑवर का मतलब ये नहीं है कि आप सभी सदस्यों को तीन–तीन मिनट बोलने का समय देंगे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बता दीजिए कि जीरो ऑवर का क्या मतलब होता है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जीरो ऑवर का मतलब ये है कि अगर कोई ज्वलंत मुद्दा है तो उसको हाउस में उठाने का सभी का हक है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगर आप सभी एक बार इक्ट्ठे होकर बोलेंगे तो किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। अगर आपको यह लगता है कि जो मर्जी मुद्दा उठाना है तो उठाईये।(शोर एवं व्यवधान)

.....

राज्य में कोविड–19 की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों का मामला उठाना

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्वलंत मुद्दा यह है कि कल सदन के नेता ने हाउस को गुमराह किया है। उन्होंने सदन में यह कहा है कि हरियाणा में ऑक्सीजन से एक भी मृत्यु नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा ज्वलंत मुद्दा और कोई नहीं हो सकता। कल के टाईम्स ऑफ इण्डिया में लिखा है – "Hisar probe report had in June confirmed 5 O_2 deaths." ऑक्सीजन की कमी से गुरूग्राम में आठ और दिल्ली में 12 संक्रमितों की जान गई। ये अखबारों की फाईंडिंग है। अखबार में हैडिंग हैं– "Govt denial of O_2 shortage has families of Covid victims fuming." (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, अखबारों की कटिंग से सदन नहीं चलता है। सदन तथ्यों के आधार पर चलता है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ये कमेटी की रिपोर्ट्स हैं। अखबार में आपने क्या पढ़ा है? अखबार में हैडिंग हैं– "Haryana AG office had pleaded to save lives." ये जो कमेटी बनाई गई थी।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, अगर आपके पास कोई तथ्य हैं तो आप उनको सदन में लेकर आएं। अखबारों की कटिंग कोई तथ्य नहीं हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अखबार में लिखा है:–''अस्पताल के बाहर तड़पकर मर गई महिला, बेटा बोला ऑक्सीजन मिलती तो बचती जान।'' हम यह नहीं कह रहे कि इसमें सरकार का कोई कसूर है। हम तो यह कह रहे हैं कि सदन के नेता को सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, जैसाकि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैंने अर्थात सदन के नेता ने कल सदन को गुमराह करने का काम किया है, के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि मैं कल सदन में पूरे तथ्यों के साथ इस विषय पर अपनी

स्टेटमैंट दूंगा और हुड्डा साहब मेरी स्टेटमैंट को सुनने के लिए तैयार रहें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आक्सीजन की कमी से कोई भी व्यक्ति हरियाणा में नहीं मरा वाली कल की स्टेटमैंट पर आज अपना जवाब नहीं दे सकते तो मेरा अनुरोध है कि उनको कल दी हुई अपनी इस स्टेटमैंट को विद्ड्रा कर लेना चाहिए। (विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हुई कि विद्ड्रा कर लें। मैंने कल जो सदन में स्टेटमैंट दी थी उसी स्टेटमैंट के कंटीनुएशन में मैं कल सदन में अपनी स्टेटमैंट दूंगा और उसके बाद हुड्डा साहब जो चाहे बोल सकते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एस.डी.एम. हिसार की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है किः–

"After going through all the relevant record and files of the patients and their summaries, enquiry committee is of the opinion that shortages of oxygen... "

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जीरो ऑवर में यह इशू उठाया है और अब वह इस इशू का जवाब चाह रहे हैं तो उनको जवाब दिया जायेगा। कल मैं सभी तरह की जानकारी लेकर सदन में ऑथेंटिक जवाब दूंगा।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आपने प्रश्न किया है तो सरकार को जवाब देने के लिए भी तो समय दिया जाना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्टेटमैंट दी और उस पर आपने जो ऑब्जैक्शन उठाया है, इसको क्लेरिफाई करने के लिए समय की जरूरत तो होगी ही ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, हमें तो जवाब भी नहीं चाहिए अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कल की स्टेटमैंट को विद्ड्रा कर लें और आश्वासन दें कि सरकार द्वारा इस विषय पर एक हाई लैवल कमेटी बनाई जायेगी जोकि जांच करेगी कि प्रदेश में आक्सीजन की कमी की वजह से कितनी डैथ हुई है तो सब कुछ क्लीयर हो जायेगा और हम भी उनका सहयोग करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, यह तो कोई बात नहीं हुई कि आपने ही सवाल उठाया, आपने ही फैसला दे दिया कि कमेटी बना दी जाये। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, यह जीरो आवर है इसमें हुड्डा साहब को केवल अपनी बात ही रखनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इस तरह से जीरो ऑवर नहीं चला करता। जीरो ऑवर में मुद्दे पर बात की जाती है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी की बात से संतुष्ट नहीं है कि वे कल अपनी स्टेटमैंट के माध्यम से जवाब देंगे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, अगर जीरो ऑवर आपको सही नहीं लगता है तो इसको बंद कर देते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब तो देने दो। हुड्डा साहब असंतुष्ट है, इसका कोई मतलब नहीं बनता।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष का कोई भी सदस्य बीच में बोलने लग जाता है यह क्या तरीका हुआ ? इस तरह का व्यवहार सदन में नहीं चलना चाहिए। इस तरह के व्यवहार को सहन करने का मैंने बहुत प्रयास कर लिया है। अब ऐसा व्यवहार सहन नहीं किया जायेगा। सदन इस तरह से नहीं चला करता है ?(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप अपने सदस्यों को भी तो समझायें ? (शोर एवं व्यवधान) आपको तो आपकी पार्टी के सदस्य ही नहीं बोलने दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि या तो मुख्यमंत्री महोदय यह बात कहें कि इन्होंने कल सदन में जो स्टेटमैंट दी थी, ये उस स्टेटमैंट पर अटल हैं या फिर अपनी स्टेटमैंट को विद्ड्रा कर लें। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस यह स्टेटमैंट दी थी कि आक्सीजन की कमी की वजह से प्रदेश में किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई।(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मेरी पुरानी और नई स्टेटमैंट एक ही है उसमें अंतर नहीं है। मेरे पास यह रूल्ज ऑफ प्रौसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन हरियाणा लैजिसलेटिव असम्बैली की बुक है। मैं इसको पढ़कर सुनाता हूँ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी रूल बुक उठा लेते हैं। रूल बुक में इसका प्रावधान थोड़े ही मिलेगा। क्या बार बार कह रहे हैं पुरानी बात–पुरानी बात। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट ऑफ आर्डर है। मेरे पास जो रूल बुक हैं इसमें रूल 57(1) लिखा है किः–

> "The Speaker may allot half-an-hour for raising discussion on a matter for sufficient public importance which has been the subject of a recent question, oral or written and the answer to which needs elucidation on a matter of fact. Such discussion shall take place after the hour of interruption or after the conclusion of the business of the day, whichever is earlier."

इसलिए यह जीरो ऑवर खत्म होने के बाद आप लोग आधा घंटे का समय इस पर डिसक्शन कर सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, हॉफ एन ऑवर डिसक्शन एक अलग चीज है और जीरो आवर अलग चीज होती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, पर आप तो जीरो ऑवर को मान ही नहीं रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः कौन नहीं मान रहा ? अगर आप नहीं मानते तो न मानो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, जीरो आवर के अंदर सिर्फ बात बोली जाती है, उस बात का रिप्लाई नहीं दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा मुद्दा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अगर मुख्यमंत्री जी यह बात कह दें कि इन्होंने जो कल कहा था वह ठीक था तो बात खत्म। मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए कि वे कल की स्टेटमैंट पर आज भी खड़े हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं हुड्डा साहब की बात का जवाब तथ्यों सहित कल सदन में दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आप जवाब क्यों नहीं चाह रहे हो ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय यह क्यों नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने कल जो कहा था वह ठीक कहा था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिए, मुख्यमंत्री जी कल फैक्ट्स के आधार पर अपना जवाब देंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, स्पीकर का यह काम नहीं होता, जो अब आप हाउस में कर रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आप एक बार बैठ जायें और मेरी बात सुनिए। जीरो आवर के अंदर यह होता है कि कोई भी इशू उठाया जा सकता है परन्तु उस सवाल का जवाब उसी समय नहीं मिलता है। यह जीरो ऑवर का मतलब है। अगर आप यह कहें कि जीरो आवर के अंदर कोई प्रश्न उठा दिया गया है और उसका जवाब उसी समय मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप प्रश्न उठा सकते हैं लेकिन जवाब जब मिलेगा जब सरकार चाहेगी। जीरो ऑवर में इशू रखा जा सकता है लेकिन जवाब नहीं मांगा जा सकता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन के नेता से जवाब नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो केवल यह चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल सदन में जो ऑक्सीजन के संबंध में कहा था कि प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई। क्या वह बात ठीक कही थी? (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवल पाल): अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जवाब नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि जो हुड्डा साहब ने कहा है उसमें सत्यता नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में सदन में कल जवाब दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोयद, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल जो बात कही थी क्या वह बात ठीक थी? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, शून्यकाल में तुरंत जवाब नहीं दिया जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, कल सदन को गुमराह किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बात कल सदन में कही थी, क्या वह बात ठीक थी? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ऑक्सीजन की कमी के कारण हरियाणा में जिनकी मृत्यु हुई हैं, आज उनकी आत्माएं क्या कहेंगी? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, शून्यकाल में किया गया जवाब का उत्तर तुरंत नहीं दिया जाता। आप स्वयं लोकसभा के सदस्य भी रहे हो, आपको इस बात का अच्छी तरह से पता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने कल स्टेटमैंट दी थी कि एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। क्या यह बात सही है? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, हम जवाब नहीं मांग रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने के लिये अलाउ किया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैंने एक इशू सदन में उठाया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, जीरो ओवर में सौ प्रश्न उठेंगे लेकिन किसी भी प्रश्न का उत्तर उसी समय देना जरूरी नहीं होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि हम जवाब नहीं मांग रहे हैं बल्कि यह कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो कल सदन में कहा था क्या वह स्टेटमैंट सही थी? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि इस संबंध में कल स्टेटमैंट दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, आप पहले हमारी बात तो सुन ले। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अमरजीत ढाण्डाः अध्यक्ष महोदय, हमें भी शून्यकाल में बोलना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आपकी स्टेटमैंट रिकॉर्ड हो चुकी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी बात पर स्टैण्ड करते हैं या नहीं? सदन को यह बताया जाये? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल सदन में कहा था कि एक भी डैथ नहीं हुई है, इस बात के लिये सदन से माफी मांगे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, आप हमें बोलने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, नियमानुसार जीरो ओवर में उत्तर देना जरूरी नहीं होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल इस संबंध में बहुत ही जबरदस्त स्टेटमैंट दी है, वही बात आज हम रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, हम कम से कम यह आश्वासन चाहते हैं कि इस संबंध में हाई लैवल कमेटी बनाई जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, आज सदन में विपक्ष के साथियों ने भी एक गंभीर सवाल उठाया है। प्रदेश में शिक्षा नीति को लेकर चिंता जाहिर की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार की तरफ से जवाब भी आप ही देते हो और अध्यक्ष के तौर पर भी जवाब आप ही देते हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, जीरो ओवर में किसी भी बात का रिप्लाई उसी समय देना संभव नहीं होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं और यह मेरा अधिकार भी है कि वे हमें आश्वस्त करें कि मैं एक हाई लैवल की कमेटी बनाऊँगा । वह कमेटी जांच करेगी कि कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं और कितने लोग कोरोना वायरस से मरे हैं । इससे सारे हिन्दुस्तान के अखबारों में कोविड–19 से मरने वाले हरियाणा के व्यक्तियों की फिगर की जो खबरें छपी हैं उनकी हकीकत का पता चल जाएगा । इसमें सरकार को क्या दिक्कत है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है हुड्डा साहब, आपका अनुरोध रिकॉर्ड हो गया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे समय मिलता तो मैं अलग से सारी रिपोर्ट आपके सामने लाकर जरूर रखता लेकिन इमिजिएटली मुझे जो जानकारी मिली है मैं उसके अनुसार सदन को जानकारी दूंगा। इसमें पहली बात तो यह है कि यह मुद्दा हिसार, गुरूग्राम और रेवाड़ी में उठा है। इन तीनों स्थानों पर मैजेस्ट्रिसल इंक्वायरी करवाई गई है। दो स्थान गुरूग्राम और रेवाड़ी की मैजेस्ट्रिसल इंक्वायरी में यह बात साबित हो गई है कि ऑक्सीजन गैस की कमी

की वजह से किसी भी कोरोनाग्रस्त व्यक्ति की मौत नहीं हुई है । जहां तक हिसार की बात है तो हिसार में एक सोनी बर्न होस्पिटल है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री चिरंजीव राव : अध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति की अस्पताल में जब मौत हुई तब मैं होस्पिटल में स्वयं मौजूद था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में कोविड–19 महामारी से लगभग 13 हजार मौतें हुई हैं । इनमें से साढ़े 9 हजार लोग तो हरियाणा प्रदेश के रहने वाले थे और साढ़े 3 हजार लोग हरियाणा से बाहर के थे । यह वह आंकड़ा है जो रिपोर्टिड है । अब हर मौत तो हम में से किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखी और न ही हर अस्पताल में हम में से कोई व्यक्ति उपस्थित था । उस समय जिस प्रकार की परिस्थितियां थी उसको हम भी जानते हैं विपक्ष के साथी भी अच्छी तरह से जानते हैं । इसके बावजूद हमने उस समय हर संभव प्रयत्न किया कि हर अस्पताल में 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे । जहां तक सोनी बर्न होस्पिटल, हिसार की बात है हमारे पास वहां की रिपोर्ट भी आई है । मेरे पास डॉक्ट्र्स के नैग्लीजैंस को चैक करने के लिए बने हुए बोर्ड की भी रिपोर्ट है और मेरे पास 'मैजिस्टिरयल बोर्ड' की भी रिपोर्ट है । इनमें से एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि लापरवाही हुई है जिसके कारण लोगों की मृत्यु हुई है । मैं इस रिपोर्ट को पढ़ देता हूं ।

> "संबंधित डॉक्टर द्वारा बताया गया कि वह स्वयं 24 घंटे अस्पताल में उपस्थित रहता है व सर्जन होने के नाते उसे मरीजों के इलाज व ऑपरेशन आदि का पूर्ण ज्ञान है । सर्जन होने के कारण उनके द्वारा लगभग आपातकालीन मरीजों को ही डील किया जाता है । आपातकाल में ऑन कॉल डॉक्टर की सुविधा है । जांच के दौरान श्री अनिल कुमार भाटिया, एम. डी. मैडिसिन ने ब्यान दिया कि वे सेवक सभा हॉस्पिटल में physician कार्यरत है । जब भी उन्हें संबंधित हॉस्पिटल द्वारा इलाज के दौरान बुलाया जाता था वे मौके पर हाजिर होते हैं । घटना की रात को उनसे संपर्क नहीं किया गया, इसलिए वे मौके पर उपस्थित नहीं थे ।"

यह बहुत लम्बी रिपोर्ट है । इसमें अंत में लिखा गया है कि –

> "मिसिल पर उपलब्ध रिकॉर्ड, सभी संबंधित ब्यानात्, सभी संबंधित अस्पताल और डॉक्ट्र्स को निजी रूप से सुनने के उपरान्त निष्कर्ष यह है कि घटना की रात को वर्णित अस्पताल में फिजिशियन व विशेषज्ञ मौके पर हाजिर नहीं थे व घटना की रात को अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज हेतु फिजिशियन से कोई सम्पर्क भी नहीं किया गया । इस प्रकार यह आरोप हॉस्पिटल की लापरवाही को दर्शाता है।"

यह नैग्लीजैंस को चैक करने के लिए बने हुए डॉक्ट्र्स के बोर्ड की रिपोर्ट है।

"घटना की रात से पहले वर्णित अस्पताल में कोविड–19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण हॉस्पिटल में दिनांक 14.04.2021 से ऑक्सीजन सिलैंडर की खपत 5 सिलैंडर से बढ़कर दिनांक 25.04.2021 तक 80–90 सिलैंडर तक पहुंच गई थी जबकि हॉस्पिटल में लगभग 20 सिलैंडर ही उपलब्ध थे ।" (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इससे संबंधित अखबार की कटिंग्स हैं ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को मेरी बात पूरी सुननी चाहिए क्योंकि उनके पास अखबार की कटिंग्स हैं लेकिन मेरे पास पूरी की पूरी रिपोर्ट्स हैं । यह ठीक है कि कोविड–19 के मरीजों के इलाज के लिए प्रैशर था । यह 24–25 अप्रैल की बात है जब हम पर कोविड–19 के मरीजों के इलाज के लिए प्रैशर बढ़ रहा था । ऐसे में कुछ अस्पतालों ने अपनी क्षमता से भी ज्यादा मरीजों को एडमिट किया था। कुरूक्षेत्र के सी.एम.ओ. ने हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड लगा दिया था कि अब हमने नये कोविड–19 के पेशैंट्स को अपने हॉस्पिटल में एडमिट करना बन्द कर दिया है। माननीय सदस्य श्री सुभाष सुधा जी ने हमको इस बारे में शिकायत भी की थी। हमने पता किया तो उन्होंने बताया कि उनके पास पहले जितने पेशैंट्स एडमिट हैं, उनका इलाज करेंगे। ऐसा न हो कि हॉस्पिटल में इतना प्रैशर बढ़ जाए जिससे कोविड–19 के नये आने वाले पेशैंट्स भी न बच सकें और पुराने पेशेंट्स भी न बच सकें। अगर उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करेंगे तो जहां पर एडमिट किया जाएगा, वहां पर एडमिट हो जाएंगे। यह प्रैशर लगातार बढ़ता रहा और कोविड–19 का 15 मई के आसपास पीक आया है। 25 अप्रैल के आसपास 80–90 ऑक्सीजन सिलैंडर की खपत पहुंच गयी और उनके पास केवल 20 ही आक्सीजन सिलैंडर थे। हमसे भी ऑक्सीजन की डिमांड की गयी थी। हमने इंडस्ट्रीयल एरिया की ऑक्सीजन को बन्द करके सभी हॉस्पिटल्ज में सिलैंडर उपलब्ध करवाए हैं। इस आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक दिन 5 बार सिलैंडर रिफिल करने के लिए जाना अनिवार्य था। ऐसी परिस्थितियों में अन्य आक्सीजन सिलैंडर खाली नहीं होने के कारण उन बीते 5 दिनों किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी रही। यह आरोप भी हॉस्पिटल की लापरवाही को दर्शाता है। अतः उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्णित हॉस्पिटल द्वारा कोविड–19 के मरीजों के जीवन स्वास्थ्य बारे लापरवाही बरती गयी है। रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आगामी

कार्यवाही हेतू प्रेषित है। यह एस.डी.एम. की रिपोर्ट है। उसके बाद डॉक्टर्ज का एक बोर्ड बैठा दिया क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है कि किसी हॉस्पिटल को जिम्मेवार ठहराने से पहले एक्ट के अनुसार बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर्ज को केस देना पड़ता है। उसके खिलाफ सीधे ही धारा 304 नहीं लगायी जा सकती। उन्होंने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि इसमें डॉक्टर्ज की लापरवाही है। विभाग द्वारा संबंधित रिपोर्ट एस.पी. हिसार को दे दी गयी है और उसके ऊपर एस.पी. हिसार कार्रवाई करेंगे। उस हॉस्पीटल में डॉक्टर्ज के खिलाफ जो कार्रवाई बनेगी, वह कार्रवाई करेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मैं एच.एच.आर.सी., चण्डीगढ़ की रिपोर्ट की कॉपी पढ़ देता हूं। इसमें एच.एच.आर.सी. के आदेश पर कमेटी बनी थी जिसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि–

> "After going through all the relevant record and files of the patients and their summaries, enquiry committee is of the opinion that shortages of oxygen is the apparent cause of mortality..."

What else you want to say? लेकिन मैं इस बात पर नहीं जा रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने कोविड–19 वायरस को रोकने के लिए पूरे प्रयास किये हैं। इसमें नैचुरली जिसकी जिम्मेवारी है, वह इसको रोकने का प्रयास करेगा। यह एक महामारी थी। मुझे एतराज इस बात पर है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी पेशेंट की डैथ नहीं हुई है। सरकार ने कोविड–19 वायरस को रोकने के लिए प्रयास किया है, मैं इसमें किसी को कसूरवार नहीं बता रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि जो पिछले दिनो हुआ था, उससे आप कुछ सीख लें। हमने भी विपक्ष में रहते हुए कोविड–19 वायरस को रोकने के लिए प्रयास किए हैं और हर इंसान ने प्रयास किया है। जिसके दिल में इंसानियत होगी, वह इस बारे में जरूर सोचेगा। लेकिन जो पेशेंट्स आक्सीजन की कमी से मरे हैं, आप उनके ब्यान पढ़ लें। सरकार कह रही है कि एक भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा तो उन मरने वालों की आत्मा क्या कहेगी ? मुझे इस बात की तकलीफ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए कि इन्होंने ऑफिसर्ज के कहने से ब्यान दिया है और उसकी इन्क्वायरी करवाएं तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कमेटी की रिपोर्ट पढ़ ली और

मैंने एच.एच.आर.सी. की कमेटी की रिपोर्ट पढ़ ली। अध्यक्ष महोदय, इस पर आप कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया है।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, मैं यह कह रहा हूं कि आपने एच.एच.आर.सी. की रिपोर्ट पढ़ी है। सरकार के पास भी रिपोर्ट है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा है कि सरकार ने उन कोविड–19 वायरस के पेशैंट्स को मारा है या सरकारी हॉस्पिटल्ज में मरे हैं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि ऑक्सीजन की कमी से कितने पेशेंट्स मरे हैं ? माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी आत्मा से बता दें कि शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन से कोविड–19 के पेशेंट्स मरे हैं या नहीं? पूरे देश में ऑक्सीजन की शॉर्टेज से पेशेंट्स मरे हैं और पूरी दुनिया में भी मरे हैं। एक हरियाणा प्रदेश ऐसा है जहां पर कोई भी पेशैंट ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय, जहां तक हिसार के अस्पताल की बात है तो मैं और डॉक्टर कमल गुप्ता जी हिसार के अस्पताल में ऑक्सीजन से संबंधित इंचार्ज लगाये गये थे। सोनी अस्पताल में उस दिन जो घटना घटी या थोड़ी बहुत नैग्लीजैंसी रही, वह अस्पताल वालों की तरफ से रही होगी। ऐसा नहीं है कि उस दिन हिसार के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी थी या फिर ऑक्सीजन उपलब्ध ही नहीं थी। उस दिन गुप्ता एजेंसी के पास ऑक्सीजन उपलब्ध थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार इन्क्वायरी करवा ले।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय, जहां तक ऑक्सीजन की कमी की बात आई है तो मैं बताना चाहूंगा कि हिसार में ऑक्सीजन की दो एजेंसीज हैं। उन दिनों में इन दोनों एजेंसीज के पास ऑक्सीजन उपलब्ध थी। अगर अस्पताल के पास ऑक्सीजन की कमी थी तो उनको संबंधित एजेंसीज से ऑक्सीजन लेनी चाहिए थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट जिसको श्रीमान भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने पढ़ना शुरू किया था। रिपोर्ट लम्बी है। मैं इस रिपोर्ट का कन्क्लूडिंग पैरा पढ़ देता हूं। मेरे पास यह रिपोर्ट आ गई है। (शोर एवं व्यवधान) उन्होंने इस रिपोर्ट में भी रिकमंडेशन दी है। वह मैं पढ़ देता हूं। जो मैंने पहले इनको बताया कि एक मैजिस्ट्रीरियल कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। इसके बाद बोर्ड ऑफ डॉक्टर्ज की कमेटी बनाई गई थी, उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। तीसरी ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। हम तीनों रिपोर्ट्स का

अध्ययन करवाकर अगर कोई क्लीयर कट केस बनता होगा हम उसमें एफ.आई. आर. पुलिस में करवायेंगे तो अपने आप इसकी इन्क्वायरी होगी। अगर इनको लगता है कि तीनों रिपोर्ट्स के बाद भी नई रिपोर्ट किसी मैजिस्ट्रेट से या किसी अन्य एजेंसी से करवाने की आवश्यकता होगी तो एक बॉडी और बना देंगे, बाद में सभी रिपोर्ट्स का अध्ययन करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं किसी एक अस्पताल या एक कमेटी की रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो पूरे प्रदेश के अस्पतालों की बात कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ब्यान आया था कि हरियाणा में किसी भी अस्पताल में कोरोना पेशैंट्स की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। मैं इस बारे में पूछ रहा हूं।

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, हम लोग इसके दो हिस्से करते हैं। जिस समय की यह रिपोर्ट है और जिस दिन की यह घटना है। उस दिन प्रदेश में टोटल कितने कोरोना पेशैंट्स अस्पतालों में एडमिट थे उसका एक डाटा निकलवा लेते हैं। उस दिन कितने एक्टिव कोरोना पेशैंट्स जिनका इलाज घरों में चल रहा था। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आखिर हमें कहीं तो जाना पड़ेगा। इसमें एक पार्ट है सरकार की लापरवाही और एक पार्ट है डिफरैंट अस्पतालों की लापरवाही। मैं आपको हिसार के अस्पतालों की जानकारी दे रहा हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं किसी अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। उनकी लापरवाही होगी, तभी तो हुआ है। सवाल इस बात है कि लापरवाही मेरी है, लापरवाही सरकार की है, लापरवाही अस्पताल की है या लापरवाही डॉक्टर की है। यह एक अलग बात है। सवाल इस बात का है कि ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई है या नहीं? सरकार इस बारे में बताये?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की ओर से स्टेटमैंट दे रहा हूं कि हमारे रिकॉर्ड के अनुसार सरकारी खाते में कहीं ऑक्सीजन न पहुंची हो, ऐसा विषय नहीं है। हमारी सरकार प्रदेश के अस्पतालों में दिन–रात ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाने में लगी रही। अब मैं इनको हिसार जिले के अस्पताल की बात बता रहा हूं। मैं इनको एक सप्ताह की रिपोर्ट दे देता हूं। दिनांक 19 अप्रैल, 2021 को 527 पेशैंट्स जो हिसार के रैजिडैंट हैं वे अस्पतालों में दाखिल थे। दिनांक 20 अप्रैल, 2021 को 549, दिनांक 21 अप्रैल, 2021 को 524, दिनांक 22 अप्रैल, 2021 को 680, दिनांक 23 अप्रैल, 2021 को 785 दिनांक 24 अप्रैल, 2021 को 857, दिनांक 25

अप्रैल, 2021 को 940, दिनांक 26 अप्रैल, 2021 को 908 ये पेशैंट्स हिसार के अस्पतालों में इलाज करवा रहे थे। अगर 800–900 पेशैंट्स इलाज करवा रहे थे तो एक अस्पताल में ऐसी घटना हुई है तो इसमें कम से कम लापरवाही किसकी है, उसकी सजा देना हमारा काम है। (शोर एवं व्यवधान) अगर वहां ऑक्सीजन की कमी होती तो फिर 900 मरीजों को ऑक्सीजन कैसे मिली? सरकार ने अपनी ओर से सभी एजेंसीज को पूरी ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रखी थी। आगे ऑक्सीजन देने का काम संबंधित एजेंसीज का होता है। हिसार में गुप्ता गैस एजेंसी है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करने की जिम्मेदारी उनकी बनती थी। अगर इन्क्वायरी होगी तो गुप्ता गैस एजेंसी पर होगी। आखिर सरकार हरेक अस्पताल को ट्रकों के ट्रक ऑक्सीजन उपलब्ध करवाती रही है। किसी एक जगह पर जहां एक घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होती थी या किसी कारणवश अस्पतालों में ऑक्सीजन दूर से नहीं पहुंच पाती थी तो उसको नजदीक के शहर से ऑक्सीजन उपलब्ध करवाकर दी गई थी इसलिए वहां से ऑक्सीजन भेजी जाती थी। कुल मिला करके पूरे प्रदेश में तीन से चार हजार हॉस्टिल्ज़ होंगे। चार हजार हॉस्पिटल्ज़ को सीधे तौर पर सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर सकती। इसके लिए तो हरेक जिले में और हरेक शहर के अंदर एजेंसीज बनी हुई हैं। उन एजेंसीज के माध्यम से ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य होता था। अगर किसी हॉस्पिटल के स्तर पर ऑक्सीजन की कोई कमी रही है तो सरकार उसकी जांच करवा सकती है। यह बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी कहीं पर भी नहीं होने दी गई। अगर इस मामले में कोई इंक्वॉयरी करवानी होगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, सरकार अपनी आत्मा को साक्षी मानकर यह कह दे कि कोविड–19 काल के दौरान पूरे हरियाणा प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण एक भी डैथ नहीं हुई है। (विघ्न) अगर आपको जीरो ऑवर के बारे में लोक सभा का हवाला देना है तो देते रहिए।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप मुझे यह बता दें कि यह कहीं पर नियमों के अंदर लिखा है कि जीरो ऑवर में कही गई बात का रिप्लाई सरकार को देना होगा। जीरो ऑवर के अंदर कोई भी माननीय सदस्य अपनी बात कह सकता है लेकिन किसी रूल में यह नहीं लिखा है कि सरकार उसका रिप्लाई देने के लिए बाध्य है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, हम सदन के नेता से इसी का तो रिस्पांस चाहते हैं। क्या सदन के नेता हमारी पार्टी के विधायकों के साथ दिनांक 20.08.2021 को हुए बर्ताव की जांच के लिए कमेटी का गठन करेंगे?

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय नेता को यह कहना चाहता हूं कि हम उनके द्वारा जीरो ऑवर में आज उठाये गये मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन करेंगे और जहां–जहां लापरवाही हुई है उसके बारे में रिपोर्ट ली जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ता : आदरणीय अध्यक्ष जी, यह बड़े दुःख और खेद की बात है कि प्रदेश, देश और पूरे विश्व में एक महामारी आई। अगर मैं विपक्ष के साथियों को आंकड़ों की जानकारी दूं तो इनको इनके सभी प्रश्नों का जवाब अपने आप ही मिल जायेगा। इनको हरियाणा प्रदेश को देश, यू.एस.ए. और पूरे विश्व के साथ कंपेयर करना चाहिए। मैं इनकी जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व का कोविड–19 के दौरान रिकवरी रेट 89 परसैंट था। इसी प्रकार से अमेरिका का रिकवरी रेट 79 परसैंट था लेकिन हरियाणा का रिकवरी रेट 98 परसैंट था। हरियाणा का रिकवरी रेट पूरे विश्व में सबसे ज्यादा था। स्पीकर सर, कांग्रेस के माननीय साथियों ने एक छोटी सी बात पर पूरे सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब कर रखा है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, अब मैं डैथ रेट के बारे में बताना चाहता हूं। वर्ल्ड का डैथ रेट 2.09 परसैंट, अमेरिका का डैथ रेट 1.67 परसैंट लेकिन हरियाणा का डैथ रेट 1.25 परसैंट रहा। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं कांग्रेस के माननीय साथियों की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में प्रति 10 लाख की आबादी पर 563 डैथ्स हुई, इसी प्रकार से अमेरिका में प्रति 10 लाख की आबादी पर 1917 डैथ्स हुई लेकिन हरियाणा में प्रति 10 लाख की आबादी पर 330 डैथ्स हुई। (शोर एवं व्यवधान) इस प्रकार से हरियाणा सरकार ने इस महामारी से निपटने के लिए अच्छे से अच्छा मैनेजमैंट किया। अध्यक्ष महोदय, एक महामारी आई और हमारी सरकार ने उस महामारी को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद पहली बार इस देश में वैक्सीन बनाई गई। हमारे विपक्ष के साथी बताएं कि क्या इनकी सरकार के समय में कभी देश में वैक्सीन बनाई गई? पहले इंग्लैंड में वैक्सीन बनती थी तो 20 साल बाद भारत में आती थी लेकिन पहली बार हिन्दुस्तान में अब तक तीन महीने में 56 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं और हरियाणा में 1 करोड़ 47 लाख कोरोना की वैक्सीन लग चुकी हैं।

जब इतनी बड़ी महामारी आती है तो कुछ हादसे भी होते हैं और यह सब कुछ ईश्वर के हाथ में होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कैसी बात कर रहे हैं? जिन लोगों के घर में मौत हुई है उनसे जा कर पूछें कि उनके ऊपर क्या गुजरी है? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी डॉक्टर्स के पीछे लगे हुए हैं तथा सरकार के पीछे लगे हुए हैं। विपक्ष के साथी प्रदेश में इस प्रकार का माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि आगे से कोई डॉक्टर मरीज को देखना ही बंद कर देगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हिसार के एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसैन एयरपोर्ट रखा है। इसके अलावा मेरी दो मांगें हैं कि अग्रोहा धाम के लिए रेल चलाई जाये तथा हिसार में जो पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं जिसकी 5–10 प्रतिशत ही खुदाई हुई है, उसकी खुदाई करके उस सभ्यता को और उभारा जाये। धन्यवाद। (शोर एवं व्यवधान)

.....

स्थगन प्रस्तावों की सूचना

डॉ.रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैंने तथा हमारी पार्टी के अन्य सदस्यों ने तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए एक काम रोको प्रस्ताव दिया था उसका क्या फेट है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, यह मैटर सब–ज्यूडिस होने के कारण आपका काम रोको प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया है। यह मामला कोर्ट में लम्बित है। किसी भी सब–ज्यूडिस मैटर पर हाउस में कोई डिस्कशन नहीं हो सकती है। (इस समय कांग्रेस पार्टी के बहुत से विधायक सदन की वैल में आकर अध्यक्ष महोदय के आसन के सामने खड़े हो गये तथा नारे लगाने लगे।)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, यह किसानों का बहुत ही अहम मुद्दा है इसलिए सारे काम रोक कर इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, यह मामला सुप्रीम कोर्ट मैं लम्बित है इसलिए इस पर हाउस में कोई डिस्कशन नहीं हो सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

वॉक आउट

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, अगर आप मेरे तथा हमारी पार्टी के अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए तीन कृषि कानूनों से संबंधित काम रोको प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम सदन से वॉक–आउट करते हैं।

(इस समय श्रीमती किरण चौधरी विधायक को छोड़ कर इंडियन नैशनल कांग्रेस के सदन में उपस्थित सभी विधायक, डॉ. रघुवीर सिंह कादियान, एवं उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों द्वारा कृषि कानूनों से संबंधित काम रोको प्रस्ताव को स्वीकृत न करने के विरोध में सदन से वॉक आउट कर गये।)

स्थगन प्रस्तावों की सूचना (पुनरारम्भ)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कृषि कानूनों के संबंध में किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को अवैध, असंवैधानिक तथा कठोर दमन के संबंध में आपकी सेवा में एक काम रोको प्रस्ताव दिया था आपने इस काम रोको प्रस्ताव के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। क्या उसको भी आपने नामंजूर कर दिया है?

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मैंने बताया है कि इसमें लिखा है कि यह विषय माननीय न्यायालय के अधीन विचाराधीन है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने इसको अनाउंस तो नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, यह सबज्यूडिस केस है और सबज्यूडिस केस को यहां कैसे डिस्कस कर सकते हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप इसको अनाउंस तो करते। आपने तो इसको अनाउंस ही नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपके काम रोको प्रस्ताव में जो विषय है वह सबज्यूडिस केस है और सबज्यूडिस विषय यहां पर डिस्कस नहीं हो सकता है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप जब कोई चीज रिजैक्ट करते हो तो उसके बारे में बता तो दिया करो कि रिजैक्ट किया गया है। यह तो आपको बोलना ही पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मैंने इसके बारे में कल भी अनाउंस किया था और आज फिर अनाउंस कर रहा हूं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसानों के विषय पर जो काम रोको प्रस्ताव दिया था क्या आपने उसको भी नामंजूर कर दिया है?

श्री अध्यक्ष : किरण जी, वह एक ही प्रस्ताव था इसलिए उस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया है। किसानों का वह एक ही केस है और वह केस सबज्यूडिस है और सबज्यूडिस केस यहां पर डिस्कस नहीं हो सकता है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, किसानों के प्रति सरकार के ये हालात हैं कि किसानों के विषय को भी डिस्कस नहीं करवाया जाता।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, सबज्यूडिस केस को यहां डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आप तो डिप्टी स्पीकर रही हैं इसलिए आपको तो इस बारे में पता होना चाहिए।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, तभी तो मैं बोल रही हूं।

श्री अध्यक्ष : आपको तो पता है कि सबज्यूडिस केस हाऊस में डिस्कस नहीं होता है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मर्यादा के अन्दर बोल रही हूं। आज किसान भाईयों को वहां बैठे हुए आठ महीने हो गये हैं और उनके खिलाफ sedation के केसिज लगाए जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, प्लीज आप बैठ जाईये।

.....

वॉक आउट

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा दिए गए कृषि कानूनों के संबंध में काम रोको प्रस्ताव को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसलिए इसके विरोध में मैं सदन से वॉक आउट करती हूं।

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी की एक सदस्या श्रीमती किरण चौधरी उनके द्वारा दिये गये काम रोको प्रस्ताव को स्वीकृत न करने के विरोध में सदन से वॉक आउट कर गई।) (शोर एवं व्यवधान)

.....

शून्य काल में विभिन्न मामले/मांगे उठाना (पुनरारम्भ)

श्री जोगी राम सिहाग : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं सबसे पहले चौधरी रणजीत सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मेरे विधानसभा के गांव बाडोपट्टी के अन्दर बिजली घर बनाने का कार्य किया है। सब डिवीजन बनाने का काम किया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री चिरंजीव राव : अध्यक्ष महोदय, हमें भी तो अपनी बात रखने का अधिकार है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपने साथियों के आने के बाद बोल लीजिए। अब आप बैठ जाईये।(शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप बैठ जाईये। ऐसे आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। आप बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जोगी राम सिहाग : अध्यक्ष महोदय, ये अपने आप बैठ जाएंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्यों को बोलने दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, प्लीज आप बैठ जाईये।(शोर एवं व्यवधान) यह आपके लिए ठीक नहीं है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जोगी राम सिहाग : अध्यक्ष महोदय, ये अपने आप ही बैठ जाएंगे। आप मेरी बात सुनिये।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी इस तरह करके सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। आप कोई मुद्दे के ऊपर बात कीजिए। आप सिवाय हल्ले–गुल्ले के और कोई काम ही नहीं करते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जोगी राम सिहाग : अध्यक्ष महोदय, ये सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान) इनके पास कोई काम नहीं है। इनका केवल एक ही काम है शोर मचाना। इन्होंने अपने राज में भी ऐसे ही किया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे कुछ गांव ऐसे हैं जिनके अन्दर कृषि योग्य भूमि बिल्कुल कम है। (शोर एवं व्यवधान) उनमें बैबलपुर, खेड़ी, बरखी, ऐसे गांव हैं जिनके अन्दर कृषि योग्य भूमि नाम मात्र है। मैं इसके बारे में सरकार से पहले भी मांग कर चुका हूं। आज भी मैं माननीय मुख्यमंत्री

जी व माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से चौधरी रणजीत सिंह ने मेरे क्षेत्र के बाडोपट्टी गांव के अन्दर सब डिविजन देकर हमारे ऊपर अहसान किया है उसी तरह शिक्षा मंत्री जी से भी मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे वहां कृषि योग्य भूमि न होने की वजह से वहां के नोजवान व महिलाएं बड़ी तकलीफ में हैं। उसको देखते हुए मैं आपका ध्यान एक चीज की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा में कोई भी महिला कॉलेज नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे बाडोपट्टी गांव के अन्दर एक आई.टी.आई. देने का कष्ट करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। यह मेरा आज का प्रश्न भी था और मेरा आपसे अनुरोध भी है। धन्यवाद।

परिवहन मंत्री (पंडित मूल चंद शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जोगी राम सिहाग जी ने जो कहा है उस संबंध में मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमने उनके बाडोपट्टी में एक महिला आई.टी.आई. दे दी है जिसकी घोषणा कर दी गई है।

16-00 बजे

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढाः अध्यक्ष महोदय, मैं एक गंभीर मुद्दे पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वर्ष 1947 में देश के बंटवारे के पश्चात हमारे देश के जो लोग देश के दूसरे हिस्से से इस तरफ आये उनको आज भी 'रिफ्यूजी' कहा जाता है। मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि क्यों न कोई ऐसा एक्ट बनाया जाये कि अगर कोई भी व्यक्ति इस 'शब्द' का इस्तेमाल करेगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, जो लोग इधर आये हैं, इन लोगों ने बहुत सी कुर्बानियां देने का काम किया है लेकिन इन लोगों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा और धर्म की रक्षा करते हुए ही यह लोग अपने ही देश के दूसरे हिस्से में आये थे और दूसरे हिस्से में आने के बाद भी इन लोगों ने अपनी तथा अपनी बच्चियों तक की कुर्बानियां देने का भी काम किया था तब जाकर यह लोग यहां पर सैटल हुए थे। अतः मेरा आज सदन के माध्यम से इस गम्भीर विषय पर अनुरोध है कि कोई ऐसा एक्ट बनाया जाये कि अगर कोई भी 'रिफ्यूजी' शब्द का इस्तेमाल करता है तो उस एक्ट के माध्यम से ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सजा का प्रावधान हो, उसके लिए सजा निर्धारित हो सके। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं सदन का ध्यान पंजाबी समुदाय के एक अन्य विषय की ओर भी दिलाना चाहूंगा। पंजाबी समुदाय में जब लड़की की शादी होती है तो फेरे के समय में ब्राम्हण जी के कहने पर लड़की का

नाम बदलवा दिया जाता है। जैसे मान लो कि जिस लड़की की शादी हो रही है, उसका नाम है 'सीता' और फेरे के समय उसका नाम 'ग' से निकलता है तो उस लड़की का नाम 'गीता' रख दिया जाता है और शादी के बाद 'सीता' लड़की 'गीता' के नाम से जानी जाने लगती है और इस प्रकार उस लड़की को अपना आधार कार्ड, बैंक की कापी या अन्य सभी डॉक्यूमैंट्स, 'गीता' के नाम से चेंज करवाने पड़ते हैं अर्थात शादी तो 'सीता' से हुई लेकिन बच्ची का नाम 'गीता' हो गया और इस कारण से उस लड़की के सारे डॉक्यमैंट्स 'गीता' के नाम पर चलते हैं। आजकल तो जो शादियां हो रही हैं, उन शादियों में तो बच्चे के डॉक्यूमैंट्स में दर्ज नाम के आधार पर ही शादी की सारी प्रक्रिया पूरी होती है लेकिन जो पुराने समय की शादियां हुई हैं, उन शादियों में डॉक्यूमैंट्स में बहुत ज्यादा भेद आता है। शादी 'सीता' से हुई होती है और बच्चे 'गीता' ने पैदा किए और 'गीता' नाम से ही आगे सारा जीवन चलता है। अतः मेरा आज सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस तरह की परिस्थिति में हुई शादी के लिए लड़की के लिए 'सीता उर्फ गीता शब्द' के नाम का प्रावधान किया जाये ताकि उनके डॉक्यमैंट्स ठीक हो सकें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज सदन में जीरो आवर के दौरान जो शोर शराबा हुआ, उस शोर शराबे ने जीरो आवर को वास्तव में जीरो ही कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक विशेष मुद्दा जिससे कोई वर्ग अछूता नहीं है, की तरफ सदन सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके सहयोगी उपमुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी श्रेष्ठ कार्यशैली और नितियों की वजह से प्रदेश के उन युवाओं को जो ग्रेड–3 और गेड–4 की सरकारी नौकरियों में औसतन 25 से 35 हजार रुपये की तनख्वाह लेते थे, को ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से 12 से 22 हजार रुपये की नौकरी तक सीमित कर दिया, के लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से सरकार ने जो आज इतनी बड़ी बचत की है, जिसके लिए मैं सरकार को नमन करता हूँ। सरकार ने इतनी महंगाई के दौर में भी युवाओं को जो कम पैसे में जीना सिखाया है यह भी काबिले तारीफ है। अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले

दिनों हरियाणा कौशल विकास निगम की स्थापना की गई थी। उपमुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उनकी सरकार ठेकेदारी प्रथा को बंद करने जा रही है लेकिन जिस प्रकार से इस निगम का गठन किया गया है, इसका सीधा सा मतलब है कि यह अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उपमुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने एक दिन सदन में कहा था कि उन्होंने जो अपने इलेक्शन मैनिफैस्टों में लिखा था कि ठेकेदारी प्रथा बंद कराने का काम किया जायेगा, उस वायदे को निभाते हुए उन्होंने ठेकेदारी प्रथा को बंद करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन के माध्यम से सरकार से और विशेषकर उपमुख्यमंत्री जी पूछना चाहता हूँ कि यदि वे वास्तव में ठेकेदारी प्रथा बंद करना चाहते हैं तो फिर यह हरियाणा कौशल विकास निगम क्यों बनाया गया ? सरकार द्वारा रेगुलर भर्ती करने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है। हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। जो युवा कभी ग्रेड–3 तथा ग्रेड–4 की पोस्ट्स के तहत 25 से 35 हजार लेते थे उनको महज 12 से 22 हजार रुपये की नौकरी तक क्यों सीमित कर दिया गया है। इस महंगाई में वे अपना खर्चा कैसे पूरा करेगा। अध्यक्ष महोदय, इतने कम पैसों की नौकरी करके हमारी आने वाली युवा पीढ़ी पल–पल मरने पर मजबूर हो जायेंगी। कोरोना वैश्विक महामारी के संक्रमण से जो मर गया वह तो एक दौर था। सभी को पता है कि वह अचानक आई हुई वैश्विक महामारी थी लेकिन यह तो ऐसी महामारी है, जिसका इलाज सरकार कर सकती है। सरकार को इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। आज जिस प्रकार का माहौल युवाओं के अंदर है, वह बहुत ही चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, यह ठेकेदारी प्रथा खत्म होने वाली नहीं है बल्कि सरकारी नौकरियां निकालने से ही इस पर काबू पा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से एक बात और कहना चाहता हूँ। सी.एम.आई.ई. की रिपोर्ट जुलाई, 2021 में आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 28.1 प्रतिशत का आंकड़ा बेरोजगारी का है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें इस विषय पर गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। आज हमारे प्रदेश के युवा सही रास्ते से भटक गये हैं। यदि उनका भविष्य सुरक्षित नहीं किया गया तो भविष्य में बहुत ही भयंकर रिजल्ट आयेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री प्रमोद कुमार विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ लाना चाहता हूँ। शहरी क्षेत्रों में रिहैब्लिटेशन स्कीम के तहत जहां–जहां लोगों को बसाया गया था, चाहे वह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आये हुए लोग थे या बाद में भी आये हुए लोग थे, वहां प्रॉपर्टी में सब–डिवीजन का कोई प्रोविजन ही नहीं है। वर्ष 1955 से लेकर आज तक कोई प्रोविजन नहीं किया गया। परिवार बड़े हो गये अर्थात् एक परिवार में चार भाई थे और 500 गज का प्लॉट था तो 125–125 गज के हिसाब से प्लॉट बांट लिया और उन्होंने इसकी रजिस्ट्री भी करवा ली है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है कि रजिस्ट्रियां उनके नाम न हो। यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिये जाता है तो उसे एन.ओ.सी. भी लेनी है और आई.डी. भी बनवानी है। अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट कहता है कि आपकी आई.डी. नहीं बन सकती क्योंकि रिहैब्लिटेशन जोन में प्रॉपर्टी का सब–डिवीजन का प्रोविजन नहीं है। शहरों में इस बात का बहुत ज्यादा आक्रोश है और उनके लिये बहुत ही गंभीर समस्या है। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय संबंधित मंत्री जी से निवेदन है कि इस समस्या का हल जल्दी से जल्दी निकाला जाये ताकि लोगों में संतुष्टि हो सके। दूसरी बात यह है कि आज कल कोरोना काल में स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों, टीचर्ज और स्कूल मैनेजमैंट्स में बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। कभी कोई माननीय न्यायालय के ऑर्डर की कॉपी दिखा देते हैं या कभी स्कूल मैनेजमैंट के ऑर्डर की कॉपी दिखा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि डी.ई.ओ. के माध्यम से सभी स्कूल्ज को निर्देश दिये जाये कि कौन सा पार्ट फीस का लेना है और कौन सा पार्ट फीस का नहीं लेना है या फिर कितना–कितना डिवैल्पमैंट चार्ज लेना है ताकि उनमें अच्छा समन्वय स्थापित हो सके। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह है कि अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट की साइट एच.ओ.बी.पी.ए.एस. (हरियाणा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम) जिसके अंतर्गत नक्शे पास होते हैं, वह एक महीने से बंद पड़ी हुई है और इससे रेवेन्यू लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को इसकी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। अंत में एक बात जल संरक्षण के संबंध में कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पानीपत इण्डस्ट्रीज बेस्ड है और वहां पर डाई हाउसिज हैं और वे लगभग 16 करोड़ लीटर पानी यूज कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बड़ी अच्छी योजना से लगभग 4 करोड़ लीटर पानी प्रति दिन एस.टी.पी. का इण्डस्ट्रीज

को दे दिया है। अध्यक्ष महोदय, जब तक वहां पर जैड.एल.डी. सिस्टम लागू नहीं होगा तब तक समस्या हल नहीं होगी। हम इतनी बड़ी मात्रा में जमीन में से पानी निकाल रहे हैं, यह बहुत ही गंभीर समस्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि पानीपत में जैड.एल.डी. स्कीम लाई जाये। इस स्कीम पर तकरीबन 1600 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। पानीपत वैसे भी डार्क जोन में है और हमारे लिये बहुत ही गंभीर समस्या है। धन्यवाद।

.....

विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला उठाना

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरे द्वारा दिए गए प्रिविलेज मोशन को स्वीकार कर लिया है और उसे प्रिविलेज कमेटी को रैफर कर दिया है । मेरा आपसे निवेदन है कि प्रिविलेज कमेटी की इस मामले में जो फाइंडिंग्स आयें, उन्हें टाइम बाउण्ड कर दिया जाए । इसके लिए बेशक 2 महीने का समय निर्धारित कर दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है कादियान साहब, हम इस मामले में प्रिविलेज कमेटी की फाइंडिंग्स को टाइम बाउण्ड करते हैं । इसके लिए 2 महीने का समय निर्धारित किया जाता है।

.....

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना (पुनरारम्भ)

श्री वरूण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त, 2021 को हमने अपने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है । बड़े ही सम्मान के साथ हम सबने अपने देश के झण्डे को लहराया लेकिन जिनके कारण हम अपने झण्डे को आजाद भारत में लहरा रहे हैं शायद सरकार उनको भूल गई है । अब तक 'हरियाणा स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समिति' का गठन ही नहीं किया गया है । बहुत दुःख की बात है कि हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और जिनकी वजह से मना रहे हैं हम उनको ही भूले बैठे हैं । मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि 'हरियाणा स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समिति' का जल्द–से–जल्द गठन हो । ऐसे 5500 के करीब परिवार हैं । उनमें से बहुत–से ऐसे परिवार भी हैं जिनकी स्थिति दयनीय हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जल्दी–से–जल्दी 'हरियाणा स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समिति' का गठन किया जाए । जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं उसी

तरह से सरकार को इन परिवारों की भलाई के लिए कम–से–कम उनकी हालत तो जांच लेनी चाहिए । क्या हम सबकी यह जिम्मेवारी नहीं है कि हम पता करें कि वे परिवार किस तरह से अपना जीवन–यापन कर रहे हैं ? अगर उनकी कोई समस्या है, तो उसको दूर भी किया जाना चाहिए । दूसरी बात, मैं पैंशन स्कीम के बारे में रखूंगा । वर्ष 2006 में हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए एक स्कीम आई थी । नई पैंशन स्कीम में न तो कोई मिनिमम पैंशन की गारण्टी है, न ही वह सालाना बढ़ती है और न ही उसमें फैमिली पैंशन का कोई प्रावधान है । अब न्यू पैंशन स्कीम के रिजल्ट्स आने शुरू हो गये हैं । दुःख की बात यह है कि न्यू पैंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले जो कर्मचारी अब रिटायर हो रहे हैं न्यू पैंशन स्कीम की वजह से उनको नुकसान हो रहा है । रिटायरमैंट के बाद उन कर्मचारियों को जो पैंशन मिल रही है वह बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान भत्ते से भी कम है । हरियाणा और केन्द्र दोनों में कर्मचारियों के बेसिक पे का 10 परसैंट अमाउंट एन.पी.एस. के तहत काटा जाता है और उसमें हरियाणा सरकार अपनी तरफ से 10 परसैंट अमाउंट एड करती है जबकि केन्द्र सरकार उसमें अपनी तरफ से 14 परसैंट अमाउंट एड करती है । अतः हरियाणा सरकार को इसको केन्द्र सरकार के साथ मैच करना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारियों की तरफ ध्यान दिया जाए और पुरानी पैंशन स्कीम को पुनः वापिस लागू किया जाए । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल समाप्त होता है ।

.....

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, मैंने भी कॉलिंग अटैंशन मोशंज दिए थे, उनके फेट के बारे में बताया जाए।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कॉलिंग अटैंशन मोशंज दिए थे उनके फेट बताये जाएं।

श्री अध्यक्षः गीता जी, एक दिन में 2 से ज्यादा कॉलिंग अटैंशन मोशंज नहीं लग सकते। हमने 3 दिनों के सैशन के लिए 6 कॉलिंग अटैंशन मोशंज असैप्ट कर लिए हैं। पहले एक दिन में एक ही कॉलिंग अटैंशन मोशन लगता था और अब दो कॉलिंग अटैंशन मोशंज लगते हैं। अगर एक दिन में 40 कॉलिंग अटैंशन मोशंज

आएंगे तो उन पर एक दिन में कैसे डिस्कशन की जा सकती है ? 3 दिन में तो मैक्सिमम 6 कॉलिंग अटैंशन मोशंज ही लग सकते हैं।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से जो कॉलिंग अटैंशन मोशंज लगाये गये थे, उनके फेट के बारे में बता दें।

श्री अध्यक्षः गीता जी, मैंने सभी कॉलिंग अटैंशन मोशंज के बारे में बता दिया है कि वे सभी रिजैक्ट हो गये हैं। एक दिन के अन्दर 2 से ज्यादा कॉलिंग अटैंशन मोशंज पर डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। सैशन के इन 3 दिनों में केवल 6 कॉलिंग अटैंशन मोशंज ही लग सकते हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, आप यह बता दें कि कौन–कौन से कॉलिंग अटैंशन मोशंज रिजैक्ट किये गये हैं ?

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आप सभी कॉलिंग अटैंशन मोशंज के फेट के बारे में पढ़कर बता दें।

श्री अध्यक्षः किरण जी, मैंने 20 अक्टूबर, 2021 को जो कॉलिंग अटैंशन मोशंज आये थे, उनके बारे में पहले ही बता दिया था। यह बात ऑन रिकार्ड है। इसके अतिरिक्त आज 23 अक्टूबर, 2021 के लिए जो कॉलिंग अटैंशन मोशंज दिये गये थे, उनमें श्री बिशन लाल सैनी, विधायक ने हरियाणा सरकार की लाल डोरा योजना में मकानों और प्लॉटों की रजिस्ट्रीज में भ्रष्टाचार और नगर निगम यमुनानगर में भ्रष्टाचार बारे कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया था। श्री जगबीर सिंह, विधायक एवं चार अन्य विधायकों द्वारा राज्य में उर्वरक की भारी कमी व उपलब्धता बारे कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया था। श्री बलबीर सिंह, विधायक एवं अन्य चार विधायकों द्वारा अतिथि अध्यापकों को नियमित किए जाने बारे कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया था। श्री आफताब अहमद, विधायक एवं चार अन्य विधायकों द्वारा regarding Rajya Sainik Board Haryana बारे में कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया था। ये सभी कॉलिंग अटैंशन मोशंज रिजैक्ट किये गये हैं। चूंकि 3 दिन के सैशन में 6 से ज्यादा कॉलिंग अटैंशन मोशंज नहीं लग सकते। हमने इन 3 दिनों के सैशन के लिए आलरेडी 6 कॉलिंग अटैंशन मोशंज असैप्ट किए हुए हैं, इसलिए इनसे ज्यादा कॉलिंग अटैंशन मोशंज नहीं लग सकते हैं। पहले तो नियम में एक ही कॉलिंग अटैंशन मोशन लगाने का प्रॉवीजन था, परन्तु हमने दो कॉलिंग अटैंशन मोशंज लगाने का प्रॉवीजन कर दिया है।

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, मैंने भी कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया था, उसके फेट के बारे में बता दें।

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, आपने यह कॉलिंग अटैंशन मोशन कब दिया था?

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, मैंने आज ही 12:00 बजे यह कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया था।

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, चूंकि आपने यह कॉलिंग अटैंशन मोशन आज ही 12:00 बजे दिया है, इसलिए इसमें प्रोसैस होने में समय लगता है।

———————————

(i) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव –

(i) कक्षा प्रथम से आठवीं के लाखों विद्यार्थियों को विद्यालयों से किताबें उपलब्ध न कराने संबंधी

माननीय सदस्यगण, मुझे माननीय सदस्य श्री वरुण चौधरी द्वारा 'कक्षा प्रथम से कक्षा आठवीं तक के लाखों विद्यार्थियों को विद्यालयों से किताबें उपलब्ध न करवाने संबंधी' ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचना संख्या–8 प्राप्त हुई है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। अब माननीय सदस्य श्री वरुण चौधरी अपनी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचना संख्या– 8 पढेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Varun Chaudhary : Respected Speaker Sir, I wants to draw the kind attention of this august House towards a matter of great public importance that lacs of Students from Class 1 to Class 8 enrolled in the Government Schools are waiting for their Books since the beginning of the session i.e. May 1, 2021. The above mentioned students used to get books from the department, free of cost but this year the Education Department for reasons not known, decided to pay Rs.200 for Class 1 to 5 and Rs.300 for Class 6 to 8 in lieu of books. The fact is that firstly, these books are not easily available in the market as they were provided free of cost to the students, for the past many years by the department. Secondly, if available, in case these books are sold at a much higher price vis a vis the amount decided to be paid to the students and thirdly, the amount decided to be paid to the students has not been transferred in the accounts of the students, till date. Further, due to Covid induced financial constraints, the enrolment of the students has increased in the

Government Schools. Without books, the future of these students who are the future of the State, is adversely affected and hence this Calling Attention Motion.

वक्तव्य–

शिक्षा मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 12.06.2021 प्रातः 11:00 बजे हरियाणा निवास, चण्डीगढ़ में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (HPPC) की बैठक आयोजित हुई जिसमें समग्र शिक्षा के तहत शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए कक्षा पहली से पांचवीं (ग्रुप–I) और कक्षा छठी से आठवीं (ग्रुप–II) के लिए पाठ्य पुस्तकों/काय पुस्तिकाओं के मुद्रण एवं आपूर्ति की दरों को अंतिम रूप दिया जाना था। कमेटी ने कहा कि यह उचित होगा कि वर्तमान वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कक्षा पहली से आठवीं में अध्ययनरत छात्रों के संबंधित बैंक खाते में प्रति छात्र के हिसाब से पुस्तकों की राशि स्थानांतरित कर दी जाए।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकर ने दिनांक 14.05.2020 को परियोजना अनुमोदन बोर्ड (PAB) की बैठक में कुल 46.00 करोड़ रुपये की राशि ''मुफ्त पाठ्य पुस्तकें'' मद के तहत कक्षा पहली से पांचवीं @250/- रुपये प्रति छात्र और कक्षा छठी से आठवीं के छात्रों हेतु @400/- रुपये प्रति छात्र वित्त वर्ष 2021–22 के लिए अनुमोदित की गई है।

उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (HPPC) द्वारा दिनांक 13.07.2021 को की गई सिफारिशों की अनुपालना में, विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के अनुसार निम्नलिखित कार्यवाही की हैः–

1. सभी कक्षाओं और सभी विषयों की ई–पुस्तकें एस.सी.ई.आर.टी. (SCERT) हरियाणा, गुरुग्राम की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन पर अपलोड कर दी गई हैं।
2. परिवार पहचान पत्र (पी.पी.पी.) की प्रक्रिया को अपनाकर @250/- रुपये प्रति छात्र कक्षा पहली से पांचवीं तथा @400/- रुपये प्रति छात्र कक्षा छठी से आठवीं के छात्रों के बैंक खाते में डी.बी.टी. प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाना है, जिसके लिए कक्षा पहली से आठवीं के छात्रों के बैंक खातों

के सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और शीघ्र ही राशि उनके संबंधित बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

3. शैक्षणिक वर्ष 2020–21 के दौरान पहली से आठवीं कक्षा के 9 लाख से अधिक छात्रों के बीच 49.83 लाख पाठ्य पुस्तकों का आदान–प्रदान किया गया। वर्ष 2021–22 के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है और 3.24 लाख छात्रों के बीच 16.54 लाख पाठ्य पुस्तकों का आदान–प्रदान किया गया है। पाठ्य पुस्तकों के आदान–प्रदान की प्रक्रिया अभी भी जारी है।
4. जहां तक कक्षा छठी से आठवीं की पुस्तकों की उपलब्धता का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि विभाग एन.सी.ई.आर.टी. (NCERT) की पाठ्य पुस्तकों को अपनाता है, जो एन.सी.ई.आर.टी. (NCERT) द्वारा प्रकाशित भी होती हैं और खुले बाजार में आसानी से उपलब्ध होती हैं।
5. इसके अतिरिक्त, कोविड–19 महामारी के प्रतिबंधें के कारण, पहली से पांचवीं तक की कक्षाएं ऑनलाईन एजूसैट के माध्यम से प्रसारित की जा रही हैं और विभिन्न टेलीविजन चैनलों पर भी उपलब्ध हैं।
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के दृष्टिगत, नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे के विकास की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके बाद अगले वर्ष से पाठ्यक्रम में बदलाव की उम्मीद है। अगले शैक्षणिक सत्र से नए पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के अनुरूप नई पाठ्य पुस्तकें छापी जाएंगी।

श्री वरुण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के जो विद्यालय हैं, उनमें बहुत ज्यादा कमी प्रिंसीपल, लैक्चरार, लाईब्रेरियन, सफाई कर्मचारी और पीयन की है और अब हमारे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए पुस्तकें भी नहीं है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि देश में हरियाणा पहला राज्य होगा जो नई शिक्षा नीति को लागू करेगा। आज हालात यह है कि खासतौर पर हमारे प्राईमरी स्कूलों के शिक्षकों द्वारा आपस में पैसा इक्ट्ठा करके स्कूलों में सफाई करवाने की व्यवस्था करते हैं। जो विभाग द्वारा सफाई की व्यवस्था नहीं करवाई जाती है। जहां तक बुक्स की बात है। आप इस बात को जानते हो कि हम सब विद्यालय में गये और पढ़े। जब हम उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे तो एक शौक होता था कि नई बुक्स मिलेगी। नई बुक्स को लेकर एक चाव और दिलचस्पी होती थी। नई बुक्स पर कवर चढ़ाया जाता था और उस पर नाम भी लिखा जाता था। आज कहा जा रहा है कि पुरानी पुस्तकें दी जा रही हैं। हमारे प्रदेश के छोटे–छोटे बच्चों ने क्या गलती की है और उनसे क्यों

बदला लिया जा रहा है? हाई पॉवर परचेज कमेटी की मीटिंग हो रही है और शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हां किताबें दी जायेगी और फैसला लिया जाता है कि पैसे देंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि इन बच्चों को क्यों पैसे देंगे? हमारे पढ़ने वाले जो छोटे बच्चे हैं, उस बुक में कोई काटा भी मारेगा, कोई किताब को फाड़ने का काम भी करेगा। किसी का भाई–बहन छोटा है, उसने उसके लिए किताबें रखनी हैं क्योंकि अगले साल उसके छोटे भाई–बहन के भी वही किताबें काम आयेंगी इसलिए वह क्यों अपनी पुस्तकों को देंगे? जब इन बच्चों का नई पुस्तकों पर अधिकार है तो फिर उनको नई पुस्तकें ही मिलनी चाहिए। सरकार की तरफ से कहा गया है कि किताबें इंटरनैट पर उपलब्ध हैं। क्या सरकार ने इस बारे में कोई आंकलन किया है जो हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे विद्यार्थी हैं, क्या उनके पास उनके घरों में स्मार्ट फोन उपलब्ध है? अगर उनके घर पर इंटरनैट की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो फिर वे कैसे इस सब को देखेंगे? स्पीकर सर, अगर इंटरनैट की ही बात है जो तर्क माननीय मंत्री जी ने दिया है। मेरा यही कहना है कि इंटरनैट पर तो इंसान के हर्ट की बाई–पास सर्जरी की जानकारी भी है। इसके अनुसार तो जो हमारे सारे के सारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं उन सभी को बंद कर देना चाहिए और वहां पर यह लिख दिया जाना चाहिए कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जो सारी जानकारी आप यहां पर लेने के लिए आये हैं वह सारी की सारी इंटरनैट पर उपलब्ध है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को जल्दी से जल्दी पुस्तकें दी जायें।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को पुस्तकें आबंटित करने के लिए दो ग्रुप बनाये गये। पहले ग्रुप में कक्षा 1 से 5 को रखा गया था और दूसरे ग्रुप में कक्षा 6 से 8 को रखा गया था। ये पुस्तकें खरीदने के लिए 15.12.2020 को टैंडर कर दिया गया था। टैंडर प्रक्रिया के लिए 90 दिन का निर्धारित समय होता है। कोविड–19 के कारण यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। इसके बाद हमने इसके लिए 15 मई, 2021 को निश्चित कर दिया लेकिन जो बोलीदाता थे वे इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने यह कहा कि कागज का रेट 25 से 30 परसैंट तक बढ़ गया है इसलिए वे पुराने रेट्स पर सरकार को पुस्तकें उपलब्ध करवाने में असमर्थ हैं। सरकार ने इसके लिए रि–टैंडर किया। रि–टैंडर में आठ फर्म्ज ने रेट्स कोट किये। इसमें इन सभी के

जो रेट्स आये वे 30 परसैंट बढ़े हुए थे। उस समय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि जब तक इन पुस्तकों की खरीद की जायेगी तब तक काफी देरी हो चुकी होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि बच्चों को पुरानी पुस्तकें एक्सचेंज करने के लिए पैसे दे दिए जाएं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह जानकारी भी देना चाहूंगा कि पिछली बार भी बिना सरकार के प्रयास के 09 लाख बच्चों ने अपने स्तर पर पुस्तकें एक्सचेंज की थी। कोविड–19 के कारण परिस्थितियों में काफी बदलाव आ चुका है। इस कारण सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस बार हम सरकार के स्तर पर भी प्रयास करेंगे और सभी टीचर्ज भी प्रयास करेंगे इसलिए मेरा विश्वास है कि इस बार पुस्तकें एक्सचेंज होने से कम से कम 80 परसैंट बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध हो जायेंगी। अगर इसके बावजूद भी कुछ बच्चे पुस्तकों से वंचित रह जायेंगे तो उन्हें एन.सी.ई.आर.टी. से उपलब्ध हो जायेगी। इसके अलावा कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें मार्किट से प्राप्त हो जायेंगी। ये पुस्तकें मार्किट में उपलब्ध हैं। इस प्रकार से कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी तो इन पुस्तकों को ले सकते हैं। हमें समस्या सिर्फ कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की पुस्तकों की है। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि सरकार के इस सिस्टम में थोड़ी बहुत कमी है लेकिन यह बात भी सच है कि इसका एकमात्र रीजन यही था कि कोविड–19 के कारण असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। इन असामान्य परिस्थितियों के कारण ही हमें यह निर्णय लेना पड़ा कि पुस्तकें खरीदने के लिए आवश्यक धनराशि को विद्याथियों के अकाउंट में डाल दिया जाये ताकि वे अपनी पुस्तकें ले सकें।

श्री वरूण चौधरी : स्पीकर सर, यह बहुत अच्छी बात है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कम से कम माना तो है कि पुस्तकों की समस्या है। मेरा इस सम्बन्ध में यह भी कहना है कि जब सरकार को ये पुस्तकें महंगी पड़ रही थी तो विद्यार्थियों को सस्ती कैसे मिल जाती?

श्री कंवर पाल : स्पीकर सर, शायद माननीय सदस्य ने मेरी बात को अच्छी तरह से सुना नहीं या फिर ये समझ नहीं पाये। मैंने यह कहा था कि जब पुस्तकें खरीद की टैंडर प्रक्रिया में पांच महीने की अनावश्यक देरी हो गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी को यह लगा कि अगर सरकार के स्तर पर पुस्तकें खरीदकर बच्चों को दी जायेंगी तो उसमें बहुत समय और लग जायेगा। इस कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हमने यह फैसला किया कि बच्चों के अकाउंट में पैसे डाल

दिये जायें जिससे वे समय रहते अपने लिए आवश्यक पुस्तकों की खरीद अपने स्तर पर कर सकें। विद्यार्थी समय पर पुस्तकों की खरीद कर सकें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमने यह निर्णय लिया।

श्री वरूण चौधरी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी के ध्यान में यह तथ्य लाना चाहूंगा कि पुस्तकें खरीदने के लिए आवश्यक धनराशि अभी तक भी विद्यार्थियों के खातों में नहीं गई है। यह बड़े दुख की बात है। जहां तक पुस्तकों की बात है। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आप हरियाणा के किसी भी जिले के किसी भी शहर में एक कमेटी को भेजकर पता करवा लें कि कक्षा 01 से 05 तक की पुस्तकें बाजार में उपलब्ध ही नहीं हैं। ये पुस्तकें बाजार में मिलती ही नहीं हैं क्योंकि पिछले बहुत से सालों से शिक्षा विभाग ही विद्यार्थियों को ये पुस्तकें मुफ्त में दिया करता था। जब पुस्तकें बाजार में उपलब्ध ही नहीं है तो उस स्थिति में विद्यार्थी पुस्तकों को कहां से खरीदेंगे? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जिस पैसे से विद्यार्थियों को पुस्तकों की खरीद करनी थी वह अभी तक क्यों नहीं उनके खातों में गया है? मैंने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जो बात सदन में रखी हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उनको मान लिया है कि हां यह बात है लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान कहां पर है?

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी श्री वरूण चौधरी जी ने कहा है कि बच्चों के अकाउंट्स में पैसे अभी तक नहीं गये हैं। हम भी कह रहे हैं कि अभी तक पैसे बच्चों के अकाउंट्स में नहीं डाले गये हैं। हम बच्चों के अकाउंट्स चैक करवा रहे हैं और 80 प्रतिशत खाते चैक हो चुके हैं। अगले 7 दिन में हम लगभग सभी बच्चों के खातों में पैसा डाल देंगे। एक बात और कही गई कि पहली कक्षा से पांचवी कक्षा तक की किताबें बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। हम भी इस बात को मानते हैं कि पहली से पांचवी कक्षा तक की किताबें बाजार में उपलब्ध नहीं हैं और उनको हम बच्चों में आपस में एक्सचेंज करवाते हैं। छठी व आठवीं तक की एन.सी.ई.आर.टी. की किताबें बाजार में उपलब्ध हैं और वे खरीदी जा सकती हैं।

श्री वरूण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कई लाख बच्चों का इनरोलमैंट अधिक हुआ है, उनको कैसे किताबें पूरी हो पायेंगी, हो ही नहीं सकती हैं? कृपया मंत्री जी बतायें कि इतने अधिक बच्चों के लिए किताबें कैसी पूरी होंगी?

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कालिंग अटैन्शन नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि सबसे ज्यादा शिक्षा ने सफर किया है, बच्चों ने सफर किया है और माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब भी है। किताबें हम हमेशा से विभागीय तौर पर टैंडर करके खरीदते हैं। कुछ किताबें हमारा शिक्षा बोर्ड भिवानी छापता है, कुछ किताबें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग छापता है और कुछ किताबें हाई पॉवर्ड परचेज कमेटी के माध्यम से ओपन टैंडर करके खरीदी जाती हैं जिनको बाहर के पब्लिशर्स छापते हैं। इस समय हमने इस तरह की कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई है। हमारी किताबें जब छपी ही नहीं, अगर आप बच्चों के खातों में पैसा डाल भी देंगे तो बच्चे ओपन मार्केट से किताबें खरीदेंगे कहां से क्योंकि किताबें उपलब्ध ही नहीं हैं? कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे और आज भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। आज भी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद हैं। न केवल स्कूल ऐजूकेशन बल्कि हायर ऐजूकेशन में भी यह समस्या है। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि एस.सी.ई.आर.टी. की वैबसाईट पर हमारी ओपन बुक्स उपलब्ध हैं। हमने सभी बच्चों को पास कर दिया और उनको डिग्री भी मिल गई क्योंकि हालात खराब थे और हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जब पिछली बार कोरोना की लहर आई थी उस समय मंत्री जी ने यह कहा था कि हम गरीब बच्चों को ऑनलाईन पढ़ाई के लिए स्मार्ट फोन, आई पैड, टैबलेट तथा लैपटॉप देंगे। कोरोना की पहली लहर आई उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर आई जिसमें बहुत से बच्चों ने अपने माता–पिता को खो दिया तथा बहुत से बच्चों के पेरेंट्स के रोजगार छिन गए अब तीसरी लहर आने को है लेकिन अभी तक सरकार द्वारा गरीब बच्चों को ऑनलाईन पढ़ाई के लिए स्मार्ट फोन, आई पैड, टैबलेट या लैपटॉप नहीं दिये गये हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम ये सभी सुविधाएं बच्चों को दे भी देंगे तो नैट सर्विसिज की बहुत ज्यादा दिक्कत है तो क्या हम उनको नैट डाटा भी उपलब्ध करवायेंगे? इसके साथ ही साथ उन स्मार्ट फोन, आई पैड तथा लैपटॉप इत्यादि में ई–कंटैंट्स तथा बच्चों का पाठ्यक्रम भी सुनिश्चित किया जाये। हमारी सरकार के समय में उत्कृष्ट सोसायटी का जो गठन हुआ था तो ऐजूसैट के माध्यम से तथा डी.टू.एच. के माध्यम से हमारी सरकार ने बच्चों को ऑनलाईन शिक्षा देने का प्रयास किया था। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि पिछला साल तो कोरोना के कारण जैसा निकला वह निकला लेकिन इस साल तो गरीब बच्चों को स्मार्ट फोन, आई पैड, टैबलेट या

लैपटॉप दिये जायें ताकि वे ऑनलाईन अपनी पढ़ाई निर्बाध रूप से कर सकें। इसके साथ ही साथ उनको ई–कंटैंट्स भी उपलब्ध करवाये जायें। सरकार की तरफ से दिये जा रहे 400 रुपये का बच्चे क्या करेंगे? जब आज तक हमने मार्केट में टैंडर करके बच्चों के लिए किताबें छपवाई ही नहीं तो किताबें बच्चों को कहां से मिलेंगी? हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश के बच्चों की पढ़ाई सफर हो इसके लिए आप चाहे कोई कमेटी बनाइये या बुक्स एक्सचेंज करें या ई–लाइब्रेरी बनाएं। आप चाहे कुछ भी करें लेकिन हमारे प्रदेश के बच्चों की शिक्षा सफर नहीं होनी चाहिए।

श्री कंवर पालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि उनकी गरीब बच्चों को टैबलेट देने की जो चिन्ता थी, वह वाजिब थी। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि गरीब बच्चों को टैबलेट देने के लिए टैंडर हो चुका है और जल्दी ही गरीब बच्चों को टैबलेट प्रदान करवा दिये जायेंगे। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस टैबलेट के साथ जो सिम डाल कर दिया जायेगा उसमें नैट डाटा फ्री होगा उसमें डाटा की कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन कितना डाटा दिया जायेगा यह अभी प्रोसैस में है। जहां तक बच्चों की संख्या बढ़ने की बात है तो यह बात सही है कि इस साल हमारे पास सरकारी स्कूलों में तीन लाख से ज्यादा बच्चे बढ़े हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी पूछा है कि किताबें कहां से आयेंगी। यह स्थिति कोरोना के कारण इसी वर्ष आई है। यह बात भी ठीक है कि एस.सी.ई.आर.टी. की वैबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट लेना बच्चों को महंगा पड़ेगा लेकिन मेरा यह अनुमान है कि 80 प्रतिशत बच्चों को किताबें उपलब्ध हो जायेंगी। किताबों की कमी का एक कारण जो हम ऑनलाईन ऐजूकेशन दे रहे हैं वह भी है। दूसरी बात यह है कि सरकार नई शिक्षा नीति 2025 तक लागू करने का कार्य कर रही है। इस कड़ी में कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को फाउंडेशन लिट्रेसी एण्ड न्यूम्रेसी के तहत पढ़ाई कराई जायेगी। जैसा कि माननीय साथी वरूण जी ने भी पूछा है पहली से पांचवी कक्षा तक के बच्चों की समस्या अधिक है और इन कक्षाओं में पहली से तीसरी कक्षाओं में ऑनलाईन पढ़ाई के लिए वर्क बुक खरीदी जा रही है। यह प्रक्रिया अगले महीने सितम्बर में पूरी कर ली जाएगी। यह सभी पुस्तकें हम उपलब्ध करवा देंगे। इसके अलावा सभी डी.ई. ओज. को कक्षा चार से पांच तक के छात्रों के लिए वर्क बुक छपवाने के टैंडर करने को कहा गया है और जल्दी ही छात्रों को यह वर्क बुक उपलब्ध हो जाएगी।

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक बच्चों के अकाउंट्स में पैसे जमा नहीं हुए हैं लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि एक हफ्ते में लगभग सभी बच्चों के अकाउंट्स में पैसे जमा हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि जब किताबें बाजार में ही उपलब्ध नहीं हैं तो बच्चों का भविष्य कैसे सेफ होगा। आप हमें इस बात का जवाब दीजिए। माननीय सदस्य श्री वरूण चौधरी का सवाल भी यही था लेकिन उसका जवाब मिल नहीं रहा है।

श्री कंवर पाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उसी प्रश्न का जवाब दिया है। मैंने यह कहा है कि पिछली बार लगभग 9 लाख बच्चों ने अर्थात लगभग 60 प्रतिशत बच्चों ने बुक्स एक्सचेंज की थी। इस बार उसमें हम भी साथ हैं और अध्यापकों को भी कहा है कि आप भी प्रयास करके ये पुस्तकें एक्सचेंज कराएं। अभी तक 3 लाख 24 हजार बच्चों की पुस्तकें एक्सचेंज हुई हैं। मेरा अनुमान है कि जैसे पिछली बार केवल उनके अपने प्रयास से 7 प्रतिशत पुस्तकें एक्सचेंज हुई थी और इस बार तो हम भी साथ हैं। मुझे लगता है कि इस बार 80 प्रतिशत बच्चों की पुस्तकें एक्सचेंज हो जाएंगी। यह मेरा मानना है। मैं इस बात से भी इंकार नहीं कर रहा हूं कि जो बच्चे उस वर्क बुक की हार्ड कॉपी निकालेंगे वह उनको महंगी पड़ेंगी। मैं वरूण जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं लेकिन जो परिस्थितयां थी उनके अनुसार इससे अच्छा डिसीजन और कोई नहीं था।

(ii) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–भिवानी जिले में पीने के पानी की भारी कमी संबंधी

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण मुझे श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा भिवानी जिले में पीने के पानी की भारी कमी से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–19 प्राप्त हुई है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। अब श्रीमती किरण चौधरी, विधायक अपनी सूचना पढ़ें।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे भिवानी और दादरी जिले में पानी की इतनी भयंकर किल्लत है जो कि पिछले तीन महीने से लगातार चलती आ रही है। इस महंगाई और बेरोजगारी के युद्ध में लोगों को उच्चतम स्तर पर पानी मोल लेकर पीना पड़ रहा है जिससे आम जन त्राहि–त्राहि कर रहा है। लगता है कि भिवानी व दादरी जिले की जनस्वास्थ्य विभाग की सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। जो पानी आ भी रहा है वह भी इतना दूषित है कि उसके उपयोग से तरह–तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। उस पानी में न तो कोई फिटकरी व क्लोरीन डाली

जा रही है और न ही दूषित पानी के संबंध में कोई नमूने लिए जा रहे हैं। सरकार ने जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया है। तोशाम जिले के कई गांव जैसे धारवानबास, आसलवास, दुबिया, खानक, अलखपुरा, ढ़ाणी माऊ, खारियाबास, भुरटाना, तोशाम, संडवा, छपार रांगडान, छपार जोगियान, बागनवाला, सागवान, टिटाणी, हेतमपुरा, मनसरबास, सरल व भिवानी शहर की कई कॉलोनियों में, गांव उपरावत, कोंट, ढाणा, बामला, के वॉटर टैंक व तालाब पूरी तरह सूख चुके हैं। गांव उमरावत में तो 6 महीने में 4 बार ही पानी आता है। अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री टेल तक सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने की घोषणा करते रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करते रहते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं। यह बात जनता के सामने बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि भाजपा के शासनकाल में पीने का पानी तो उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा फिर सिंचाई का पानी कैसे उपलब्ध करवाएंगे। सभी गांव वासी पीने के पानी के लिए 500 रुपये 600 रुपये प्रति टैंक खर्च कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सभी सदस्यों से यह गुजारिश करती हूं कि वह सरकार पर दबाव डालें कि यह झूठे जुमले और वायदे करने की बजाए वास्तविकता को अंजाम दे और पीने का स्वच्छ पानी लोगों को शीघ्र उपलब्ध करवाया जाए ना कि उन्हें अपने हाल पर छोड़ें जो intended नहरी पानी हमारे भिवानी और दादरी जिले का है, वह छोड़ा जाए।

वक्तव्य–

सहकारिता मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबधी

श्री उपाध्यक्षः अब माननीय सहकारिता मंत्री जी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे।

सहकारिता मंत्री (श्री बनवारी लाल): उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्मानित सदन के ध्यान में लाया जाता है कि हरियाणा सरकार भिवानी व चरखी दादरी जिलों की जनता को पीने के पानी के वितरण की मात्रा और गुणवत्ता के प्रति पूरी तरह से सचेत है। लोगों को पीने योग्य पानी की उपलब्धता करवाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। जहां पर भूजल पीने योग्य है, वहां पर जलापूर्ति योजनाएं नलकूपों पर और जहां पर भूजल पीने योग्य नहीं है, वहां सतही स्रोत पर आधारित हैं। चार शहरों नामतः भिवानी, बवानी खेडा, सिवानी व चरखी दादरी की जल आपूर्ति योजनाएं नहरी पानी पर आधारित हैं तथा लोहारु शहर को गहरे नलकूपों के माध्यम से जल आपूर्ति की जा रही है। भिवानी शहर के नगर पार्षदों ने लिखित में दिया है कि शहरवासियों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति की जाती है।

जिला भिवानी के ग्रामीण क्षेत्रों में 224 नहर आधारित व 205 गहरे नलकूप आधारित जलघर हैं। इसी प्रकार जिला चरखी दादरी के ग्रामीण क्षेत्रों में 73 नहर आधारित व 311 गहरे नलकूप आधारित जलघर हैं।

तोशाम निर्वाचन क्षेत्र के सभी 114 गांवों को 88 नहर आधारित जलघरों द्वारा जलापूर्ति की जाती है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 19 में उल्लेखित 20 गांवों में से 15 गांवों नामतः धारवनबास, अलखपुरा, खारियाबास, भुरताना, तोशाम, बागनवाला, असलवास दुबिया, टिटाणी, हेतमपुरा, खानक, मनसरबास, कौंट, बामला, ढाना व ढाणी माहू में पेयजल की कोई कमी नहीं है। परन्तु 5 गांवों नामतः संडवा, उमरावत, छपार रांगडान, छपार जोगियां व सागवान में कच्चे पानी की उपलब्धता में सुधार हेतु जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 989.37 लाख रुपये के अनुमान स्वीकृत किए जा चुके हैं। संडवा गांव में कार्य 31.10.2021 तक पूरा होने की संभावना है। गांव उमरावत, छपार रांगडान, छपार जोगियां व सागवान में कार्य शुरु होने की संभावित तिथि 01.10.2021 तथा कार्य पूरा होने की संभावित तिथि 31. 12.2022 है। गांव उमरावत मे पिछले 6 महीने से नियमित रुप से जल आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति के लिए कोई निजी टैंकर किराए पर नहीं लिए गए है। इसके अलावा पिछले 3 महीनों के दौरान सभी गांवों के तालाबों को भी नियमित रुप से नहरी पानी से भरा गया है। सभी गांवो व शहरों में क्लोरिनेशन की जाती है। फिटकरी को भी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। सभी लीकेज को ठीक कर दिया गया है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पानी के नमूनों का रासायनिक और जैविक परीक्षण नियमित रुप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिला निगरानी अधिकारी, भिवानी ने भी लिखित में दिया है कि पिछले तीन महीनों के दौरान जिला भिवानी में जल जनित बीमारियों का कोई प्रकोप नहीं हुआ है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरु किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा नूंह जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में 100 प्रतिशत कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। इस समय गोवा व तेलंगाना राज्यों के बाद हरियाणा राज्य कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन प्रदान करने के मामले में भारत में तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2021–22 के दौरान जेजेएम के अन्तर्गत 21380.00 लाख रुपये का प्रावधान है तथा अब तक

20968.90 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। तोशाम विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 381.86 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। तोशाम विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्रामीण परिवारों (55039) के घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन लगे हुए हैं।

लोगों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए सरकार सभी सुधारात्मक/उपचारात्मक उपाय कर रही है। कच्चे पानी की कमी और पेयजल आपूर्ति की मात्रा व गुणवत्ता से सम्बन्धित सभी अन्य मुद्दों को हल करने के लिए सरकार के स्तर पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का हमेशा ही ऐसा जवाब सदन के पटल पर आता है। पानी के लिये आमजन त्राहि–त्राहि करते फिर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास पीने के लिये पानी उपलब्ध नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगी कि जन स्वास्थ्य विभाग की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती इरीगेशन विभाग की है। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं इस विभाग की मंत्री हुआ करती थी, उस समय निगाना फीडर, जूही फीडर और सुन्दर नगर डिस्ट्रीब्यूट्री में 16 दिन नहर चला करती थी और 24 दिन बंद रहती थी। इस तरह का कैनाल का रनिंग शिड्यूल हुआ करता था। अब इस समय जो शिड्यूल चल रहा है, वह केवल 8 दिन कर दिया गया है यानी उसको 16 दिन से कम करके केवल 8 दिन कर दिया गया है और 32 दिन उसको बंद रखा जाता है। इसी वजह से निगाना फीडर, जूही फीडर और सुन्दर नगर डिस्ट्रीब्यूट्री की यह हालत है। सिवानी और लौहारू के अंदर, जब मैं जन स्वास्थ्य मंत्री हुआ करती थी, उस समय हमने बहुत सारे डिगिंग करवाई और गांव–गांव के अंदर वॉटर टैंक बनवाये थे। उपाध्यक्ष महोदय, वॉटर टैंक के अंदर पानी इसलिए नहीं आता क्योंकि नहर के अंदर 800 क्यूसिक इन्टेन्डिड पानी छोड़ा ही नहीं जाता है, तो जन स्वास्थ्य विभाग किस तरह से वॉटर टैंक भरेगा? पानी की बात तो छोड़ दीजिए मैं तो केवल पीने के पानी की ही बात कर रही हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर जो बातें रखी जाती हैं वे बिल्कुल सत्य होती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा यह होता कि 40 दिन का स्टोरेज यानी 32 +8 बनाकर दे देते। उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा होता कि हमारे लिये एक्सट्रा टैंक बना देते, इनलेट चैनल बना देते और सारे के सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा सुदृढ़ कर देते। उसके बाद चाहे नहर आठ दिन के लिये चला लेते तो

स्टोरेज से काम चल जाता। इस तरह का काम तो सरकार ने किया नहीं है। सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर तो डिवैल्प किया नहीं और 30 से 40 फीसदी पानी कम कर दिया। सरकार ने जो नहर 16 दिन पहले चला करती थी वह आठ दिन कर दी, इस प्रकार से हमारे जल घर कैसे भरेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, मैं सच्चाई के साथ ही सदन में बोल रही हूँ। यदि हमें नहरी पानी ही नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? सरकार ने इनलेट चैनल की रि–मॉडलिंग करने की बात कही है। सफीदों के पास जो 30–40 किलोमीटर सुन्दर और हांसी ब्रांच है, वह पूरी तरह टूटी–फूटी पड़ी हुई है। यदि उसकी रि–मॉडलिंग हो जायेगी तो हमारी नहरों के अंदर पानी अच्छा आ जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रि–मॉडलिंग की बात की तो हामी भरवाई जाती है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। एस.वाई.एल. नहर के ऊपर बार–बार उपवास रखे गये थे और कहा गया था कि एस.वाई.एल. नहर में पानी जरूर लेकर आयेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस पर भी सदन से पूछना चाहती हूँ कि एस.वाई.एल. नहर में पानी कब तक आ जायेगा ताकि एस.वाई. एल. नहर के पानी से हमारे भिवानी, दादरी और महेन्द्रगढ़ जिले के लोगों को पानी की कमी से राहत मिल जाये। जो व्यक्ति इस संबंध में उपवास कर रहे थे, उसका फायदा तो हमें मिलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में ऐसी स्थिति बनी हुई है, उसके बारे में सदन में बताना चाहती हूँ। छपार और रांगडान के दो वॉटर टैंक खाली पड़े हुए हैं, सरल गांव के दो वॉटर टैंक भी खाली हैं, छपार जोगियान में दो वॉटर टैंक खाली हैं, भारीवास में दो वॉटर टैंक खाली हैं, संडवा में केवल 5 फीट पानी है मतलब ऑलमोस्ट खाली है, पटौदी में वॉटर टैंक खाली है, कोहाड़ में केवल चार फीट पानी है, इसरवाल और खावा में वॉटर टैंक खाली है, झुल्ली में चार फीट पानी है, पिंजोखरा में वॉटर टैंक खाली है, भारण में चार फीट पानी है, निगाना खुर्द के अंदर चार फीट पानी रह गया है, ढाणी माउ में वॉटर टैंक बिल्कुल खाली है, किल्लोड़ में चार फीट पानी है दूसरे टैंक में तीन फीट पानी है, बिडौला में एक वॉटर टैंक है, उसमें दो फीट पानी रह गया है। सागवान में एक वॉटर टैंक है और उसमें भी पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है । यह रिकॉर्ड तो मैंने तोशाम ब्लॉक के गांवों का बताया है । अब मैं कैरू ब्लॉक के गांवों में पानी की स्थिति के बारे में बताना चाहती हूं । मालवास देवसर में दो वाटर टैंक्स हैं और वे दोनों ही ऑलमास्ट खाली हो चुके हैं । उनमें मुश्किल से 1–2 फुट पानी बचा हुआ है । ऐसी ही स्थिति कुशुम्बी और मालवास कोहाड़ की है (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : किरण जी, आपने पानी के बारे में काफी बातें बता दी हैं, इसलिए अब आप बैठ जाइये ।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भिवानी जिले में पानी की जो स्थिति है उसे रिकॉर्ड पर लाना चाहती हूं । यह बहुत जरूरी है । अगर पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है तो जीवन ही संभव नहीं है । हमारे शरीर का 75 प्रतिशत हिस्सा पानी से बना हुआ है । (शोर एवं व्यवधान)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में मेरा नाम आया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का नाम आया है और नहरी पानी का विषय भी उठाया गया है, इसलिए मेरा इस पर जवाब देना बहुत आवश्यक है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बीच में उठकर बोलना शुरू कर दिया है। यह ठीक नहीं है । यह क्या बात हुई ? मेरी बात पूरी होने पर माननीय मंत्री जी अपना विषय रख लें । यह तो मुझे मालूम ही है कि इन्होंने बाद में तो सदन को गुमराह करना ही है लेकिन अभी तो ये मुझे बोलने दें। ये बाद में उत्तर दे दें । इन्हीं कारणों से तो प्रदेश के ऐसे हाल हो रहे हैं और उनके बारे में सभी को पता भी है । टिटानी में केवल एक वॉटर टैंक है । इसमें 6 फुट पानी है जोकि ट्यूबवैल के द्वारा फुलफिल किया जा रहा है । हेतमपुरा में 2 वाटर टैंक है जिसमें से एक में 4 फुट पानी है और दूसरा बिल्कुल खाली है । मानसरवास में 2 वाटर टैंक है और वे दोनों ही बिल्कुल खाली है । सुंगरपुर में 3 वाटर टैंक है जिसमें से एक पानी से भरा हुआ है, दूसरे में 3 फुट पानी है और तीसरा बिल्कुल खाली है । खारियावास में जो वाटर टैंक है वह बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है । धारवांबास में 2 वाटर टैंक हैं । उनमें केवल 2 फुट पानी है । यह जो बात मैं बता रही हूं यह कल की ही बात है । जुई कलां में 3 वाटर टैंक है जिसमें से एक में 4 फुट पानी है, दूसरा बिल्कुल खाली है और तीसरे में 6 फुट पानी है । आसलवास दुबिया में जो वाटर टैंक है वह बिल्कुल खाली है । दादरी हल्के के गांवों सांजरवास, फौगाट, ऊण, भागी, हिंडोल, स्वरूपगढ़, रामपुरा में पीने का पानी बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से बाढड़ा हल्के के गांवों आदमपुर, मंढौली, छिल्लर में भी पीने का पानी बिल्कुल नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, गर्मी के मौसम में हमारे क्षेत्र में सौ से ज्यादा गांव ऐसे हैं जिनमें पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। आज किसानों की आंखों में आंसू जरूर है लेकिन उनके खेतों के लिए नहरों में

पानी नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि सफीदों के पास जो सुंदर और हांसी ब्रांच वाटर चैनल है उसके 30–40 किलोमीटर के टुकड़े को ठीक करवाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा 800 क्यूसिक पानी कम कर दिया गया है। हमारा जो 30–40 प्रतिशत पानी काटा गया है और जिस पर हमारा अधिकार है उसको रोक रखा है । अतः वह पानी हमें दिया जाए । उपाध्यक्ष महोदय, सरकार 'सबका साथ सबका विकास' की बात करती है तो मेरा प्रश्न है कि हमारे साथ इतनी ज्यादती क्यों हो रही है ? (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : किरण जी, आपने लोहारू और सिवानी की बात की है लेकिन वहां पर तो आप ज्यादा पानी ले रहे हो ।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, लोहारू और सिवानी की नहर जैसे पहले चला करती थी वह अब भी वैसे ही चल रही है लेकिन वह फिर भी खराब है ।

.....

भिवानी शहर तथा तोशाम निर्वाचन क्षेत्र के कई गांवों में पीने के पानी की भारी कमी के मामले की जांच संबंधी समिति का गठन।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय बहन श्रीमती किरण चौधरी ने तोशाम जिले में पानी की स्थिति का कांस्टीच्युएंसीवाइज, ब्लॉकवाइज, विलेजवाइज विस्तृत वर्णन किया है कि कहां पर कितना पानी है ? इन्होंने सदन में जो भी कहा है वह सब रिकॉर्ड पर आ गया है । मैं समझता हूं वह सारा रिकॉर्ड आप हमें भी उपलब्ध करवा देंगे । उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में घोषणा करता हूं कि इस मामले की जांच के लिए ए.सी.एस. श्री देवेन्द्र सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। माननीय सदस्या ने अभी जिन गांवों का जिक्र किया है, उनके वॉटर वर्क्स में कितना–कितना पानी है इनकी 24 घंटे में इन्क्वायरी होकर रिपोर्ट आएगी। अगर यह बात सही मिलेगी तो डिपार्टमैंट के अधिकारियों पर एक्शन लेंगे और जो इन्होंने बताया है उसमें गलती मिलेगी तो वह रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय को सौंपी जाएगी। फिर उस पर अध्यक्ष महोदय ही निर्णय करेंगे कि सदन को गुमराह क्यों किया गया है ? इस कमेटी की इन्क्वायरी रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाएगी और उसके बाद ही आगे का निर्णय तय किया जाएगा।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं कभी तथ्यों के बिना बातें नहीं करती।

श्री उपाध्यक्षः किरण जी, आपको इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग अपना काम कर रहा है। लेकिन वह काम क्या करेगा, जब नहरों में पानी ही नहीं छोड़ रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्षः किरण जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले की इन्क्वायरी करवाने के लिए कह दिया है।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी चीज से घबराती नहीं हूं क्योंकि मैं तथ्यों के आधार पर ही बातें करती हूं। इन सभी बातों को प्रदेश की जनता देख रही है कि असलियत क्या है ?

श्री उपाध्यक्षः किरण जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले की इन्क्वायरी के लिए कह दिया है।

श्री जय प्रकाश दलालः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने हमारे पूरे जिले की पानी की समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया है और ये चिन्ता करती हैं। इसके लिए मैं इनका स्वागत करता हूं। दिक्कत क्या है कि कुछ लोगों ने कोविड–19 वायरस के पूरे प्रोटोकाल का पालन किया है और एक साल तक किसी गांव के अन्दर घुसने की कोशिश नहीं की। सैटेलाईट के माध्यम से ही पानी के टैंकर को देखते रहे हैं और यहां पर वैसे ही गलत ब्यानबाजी कर देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मौके पर जाने के लिए तैयार हूं और इस हाऊस की कमेटी को भी साथ ले जाने के लिए तैयार हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि संबंधित सभी गांवों में जाकर पानी के टैंकर्ज को चैक करें। हमारे भिवानी जिले के इलाके के अन्दर 35 साल तक चौधरी बंसी लाल जी ने नहरों का निर्माण करवाया था। जब 10 साल तक माननीय सदस्या मंत्री रही तो उस वक्त इन्होंने कभी बिजली और नहरी पानी का मुद्दा नहीं उठाया। कभी पीने के पानी का मुद्दा नहीं उठाया।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इनके क्षेत्र में घुस नहीं सकते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्षः किरण जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री जय प्रकाश दलालः उपाध्यक्ष महोदय, पहले हमारे भिवानी जिले की बाउंड्री आती थी तो सड़कों की शक्ल देखकर पता चल जाता था। तब माननीय सदस्या जनता को गुमराह करती रही। इस समय मेरे पास उन सभी गांवों के पानी के टैंकर्ज की फोटोज हैं और वे सभी टैंकर्ज पानी से भरे हुए हैं। हमारे पास कमेटीज की रिपोर्ट है कि वहां पर पहले से ज्यादा नहरी पानी जा रहा है। हालांकि यमुना

नहर और भाखड़ा नहर के अन्दर पानी कम है, लेकिन फिर भी भिवानी जिले की नहरों को ज्यादा पानी मिल रहा है। मैं इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को देता हूं।

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: किरण जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री जय प्रकाश दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने बिना भेदभाव के समान बंटवारा करके भिवानी को पानी देने का काम किया है। इसके लिए भिवानी जिले की जनता उनको नमन करती है। ऐसे लोग जो सैटेलाईट से फोटो लेकर भेजते हैं, वे गुमराह कर रहे हैं। उनको कहना चाहूंगा कि वे मौके पर जाकर देखें। लोगों के बीच में जाएं और छः महीने या साल में लोगों के बीच में जाना चाहिए, परन्तु लोगों से मैनडेट लेकर एक दिन खबरों में आने की कोशिश करते हैं। इनका यह आचरण अच्छा नहीं है। भिवानी जिले की जनता खुश है क्योंकि भिवानी जिले में पूरी बिजली आती है, पानी अच्छा आता है, मुआवजा ज्यादा मिलता है, वहां की सड़कें अच्छी हैं और नहरें अच्छी हैं।

———————

वर्ष 2021–22 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करना

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री वर्ष 2021–22 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2021–22 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करता हूं।

———————

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब श्री सुभाष सुधा, विधायक, चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति, वर्ष 2021–22 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

Chairperson, Committee on Estimates (Shri Subhash Sudha): Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (First Instalment) 2021-2022.

वर्ष 2021–22 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2021–22 के अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथानुसार और सदन का समय बचाने के लिए सदन के पटल पर रखी गई सभी डिमांड्स (संख्या 1 से 18, 21 से 24, 27, 30 से 32, 34 से 40, 42 तथा 43 और 45) एक साथ पढ़ी गई तथा पेश की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्यगण, किसी भी डिमांड पर चर्चा हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 201 के तहत अनुपूरक अनुदानों पर बहस उन मदों तक ही सीमित रहेगी जिनसे वे बनी हो और जहां तक विचाराधीन विशेष मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो उस सीमा तक मूल अनुदानों पर या उनसे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमांड का नम्बर बता दें, जिस पर वे बोलना चाहते हैं।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **13,95,88,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **1–विधान सभा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **18,37,90,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **2–राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **36,36,50,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या 3–**सामान्य प्रशासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **856,30,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **4–राजस्व** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **36,40,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **5–आबकारी एवं कराधान** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **9,04,99,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **6—वित्त** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **70,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या 7**—आयोजना एवं सांख्यिकी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **104,50,00,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **1185,98,34,000/-**रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **8—भवन तथा सड़कें** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए ।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **114,95,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या 9**—शिक्षा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **36,50,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या 10**—तकनीकी शिक्षा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **82,71,00,000/-** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **11—खेलकूद तथा युवा कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **4,65,00,000/-** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **12—कला एवं संस्कृति** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **571,41,50,000** रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **100,00,00,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **13—स्वास्थ्य** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **68,00,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **14—नगर विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1422,21,93,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **15—स्थानीय शासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **45,00,000** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **3,40,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **16—श्रम** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 28,30,43,**000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **17—रोजगार** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 250,**00,00,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **18—औद्योगिक प्रशिक्षण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **208,12,31,000** रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **2,89,95,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **21—महिला एवं बाल विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **109,74,08,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **22—भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **501,00,00,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **23—खाद्य एवं आपूर्ति** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 15,**00,00,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **24—सिंचाई** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **108,03,63,000** रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **50,00,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **27—कृषि** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **58,70,00,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **30—वन एवं वन्य प्राणी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,70,64,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **31—परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **292,37,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **32—ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **65,11,00,000** रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **259,56,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **34—परिवहन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 48**,25,000** रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **17,35,40,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **35—पर्यटन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1276,10,65,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **36—गृह** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।
कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1**,15,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **37—निर्वाचन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 442**,55,00,000** रुपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **858,45,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **38—लोक स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 58,**29,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **39—सूचना तथा प्रचार** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2894,80,50,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **40—उर्जा तथा विद्युत** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **18,00,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **42—न्याय प्रशासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **22,30,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **43—कारागार** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **548,78,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **45—राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

17:00 बजे

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में वर्ष 2021—22 के लिए सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेट्स रखी गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कादियान जी, आप कौन सी डिमांड नम्बर पर बोल रहे हो।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमैंट्री ऐस्टिमेट्स पर बोल रहा हूं। मैं अपनी डिमांड नम्बर बाद में बताऊंगा। सरकार को जो खर्चे करने पड़ते हैं। वह ठीक बात है। सप्लीमैंट्री ऐस्टिमेट्स पास करवानी पड़ती है। यह प्रक्रिया नियमावली के तहत ही की जाती है लेकिन मैं यह कहता हूं कि the purpose for which the amount to be utilized. जो सप्लीमैंट्री ऐस्टिमेट्स पेश की गई है, इसमें कौन सी अमाउंट किस परपज के लिए यूटिलाइज होगी इस बात की जानकारी किसी भी मैम्बर्ज को नहीं दी गई है इसलिए इस सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेट्स का परपज तो बताना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कादियान जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सप्लीमैंट्री ऐस्टिमेटस की रिपोर्ट तो पेश हो गई है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, अब आप ही हमें बतायें कि हम रिपोर्ट को देखें या इसको देखें? जब हमें इसके पर्पज का ही नहीं पता कि सप्लीमैंट्री ऐस्टिमेट्स में कौन सी अमाउंट किस पर्पज के लिए यूटिलाइज होगी। इस प्रकार से तो सरकार इन सप्लीमैंट्री ऐस्टिमेट्स को पास करवाती जाये क्योंकि सरकार के पास मैजोरिटी है। सरकार को पैसे खर्च करने पड़ते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कादियान जी, आप इस हाउस के सबसे सीनियर सदस्य हो। आपको इन चीजों के बारे में सब पता है कि किस तरीके से सप्लीमैंट्री ऐस्टिमेट्स पास करवाई जाती हैं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, हमें इसके पर्पज के बारे में नहीं पता है। आपको इसकी बुकलेट सभी मैम्बर्ज को पहले देनी चाहिए थी। सप्लीमैंट्री ऐस्टिमेट्स की बुकलेट सभी मैम्बर्ज को सप्लाई होनी चाहिए थी और सभी मैम्बर्ज के पास पहले ही इसकी जानकारी पहुंचा दी जानी चाहिए थी।

श्री उपाध्यक्ष : कादियान जी, पहले ही ऐस्टिमेट्स कमेटी ने मीटिंग में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कादियान जी, आपकी टेबल पर सप्लीमैंट्री ऐस्टिमेट्स की बुकलेट पहुंचा दी गई है इसलिए आप इसको देख लो।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : कादियान जी, आपकी टेबल पर देखोगे तो आपको एक पीले रंग की किताब पड़ी हुई मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : कादियान जी, आप अपनी डिमांड नम्बर पर बोलिये।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर–4 पर बोलना चाहूंगा। इस बात को आप और सभी मैम्बर्ज जानते हैं कि रेवेन्यू में आज इतनी जबरदस्त लूट खसोट और इतनी जबरदस्त रिश्वतखोरी तहसीलों में चल रही है। मेरे कहने का मतलब यही है कि लोगों की जमीनों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, इंतकाल नहीं हो रहे। लोग बार–बार खेवट करवाने के लिए तहसीलों में चक्कर काट रहे हैं। मेरी डिमांड है कि इस दिशा में भी अगर थोड़ा ध्यान रखा जायेगा तो लोगों को भी सहूलियत मिलेगी और लोगों की जमीनों के इंतकाल जल्दी हो जायेंगे, उनके खेवट अलग हो जायेंगे और उनकी जमीनों की रजिस्ट्री भी हो जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 5 पर बोलना चाहूंगा। यह डिमांड

एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट से संबंधित है इस डिपार्टमैंट के बारे में आये दिन खबरें आती रहती हैं कि इतनी शराब बगैर टैक्स के पकड़ी गई। इतने घूस कांड हो गये। इतनी गलत दारू पीने से लोग मारे गये और एस.आई.टी. का गठन कर दिया गया। अभी तक इस प्रकार की रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं आई है। उपाध्यक्ष महोदय, गोदामों से करोड़ों रुपये की लिकर गायब हो गई। सदन में इस बारे में भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। सरकार पैसा कहां खर्च कर रही है? हरियाणा प्रदेश में मिलीभगत से बिना टैक्स के करोड़ों रुपये की शराब सप्लाई हो रही है। माननीय मंत्री जी भी सदन में बैठे हुए हैं मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में हजारों कम्पनियां बोगस बनी हुई हैं। जिनके द्वारा जी.एस.टी. की चोरी की जा रही है। इसमें अधिकारियों की मिलीभगत और रिश्वतखोरी के कारण जो सरकार के रेवेन्यू का लॉस हो रहा है इसके ऊपर भी मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। मंत्री जी को जल्दी से जल्दी बोगस कम्पनियों का पता लगाकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए ताकि स्टेट के रेवेन्यू के लॉस को रोका जा सके। अब मैं डिमाण्ड नम्बर–08 बिल्डिंग एण्ड रोड्ज के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं। एक रोड महम से गुरूग्राम तक जाती है। इस रोड से बठिण्डा, फाजिल्का सहित चार जिले पंजाब के, गंगानगर सहित 8 जिले राजस्थान के और इसी प्रकार से भिवानी, हिसार और सिरसा सहित चार जिले हरियाणा के इन कुल 16 जिलों का ट्रैफिक जिनको गुरूग्राम जाना होता है वह सारे का सारा ट्रैफिक इस सड़क से गुजरता है जो कि महम से वाया बेरी गुरूग्राम जाता है। मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी नेशनल हाईवे डिक्लेयर करवाकर फोर लेन का बनाया जाये। इस सड़क पर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक रहता है जिस कारण जगह–जगह पर जाम लगा रहता है। मेरी यह भी मांग है कि इस सड़क पर बेरी में पैरीफरल बाई–पास बनाया जाये। इसी प्रकार से इस सड़क पर दाबोदा, दुल्हेड़ा, मातन और छारा में भी बाई–पास का निर्माण करवाया जाये। इन चारों गांवों के बाई–पास का निर्माण किया जाना पहले ही स्वीकृत हो चुका है। इस सड़क पर ये सभी बाई–पास बन जाने से लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सकती है। अब मैं डिमाण्ड नम्बर–09 एजूकेशन पर बोलना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी वर्ष 2016 में यह घोषणा करके आये थे कि बेरी में लड़कियों का कॉलेज बनाया जायेगा। उसके बाद the then Education Minister पण्डित राम बिलास शर्मा जी बेरी में गये उन्होंने पब्लिक में यह बात

कही कि पण्डित भगवत दयाल के नाम से बेरी में कॉलेज बनेगा। मैं विधान सभा के प्रत्येक सैशन में इस विषय को निरंतर उठा रहा हूं। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से यह एश्योरैंस भी मिला कि बेरी में लड़कियों के कॉलेज का निर्माण किया जायेगा लेकिन पांच साल बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अगर बेरी में लड़कियों के कॉलेज का निर्माण जल्दी से जल्दी से किया जाता है तो इससे इलाके की लड़कियों को एक बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। अब मैं डिमाण्ड नम्बर–10 टैक्नीकल एजूकेशन पर बोलना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर सर, वर्ष 2013–14 में गवर्नमैंट पॉलिटैक्निक कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। जब बजट ऐलोकेट हो जाता है और उसके बाद ऐडमिनिस्ट्रेटिव व फाईनैंशियल एप्रूवल हो जाती है उसके बाद ही किसी संस्थान के लिए बनने वाली बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है। फाउंडेशन स्टोन रखने के बाद टैण्डर की प्रक्रिया शुरू होनी थी लेकिन आज सात साल का समय बीत जाने के बाद भी बेरी के गवर्नमैंट पॉलिटैक्निक कॉलेज के भवन की एक ईंट भी नहीं लगी है। सरकार के स्तर पर सबका साथ, सबका विकास के नारे का बड़े जोर–शोर के साथ निरंतर प्रचार–प्रसार किया जाता है लेकिन विपक्ष के एम.एल. एज. के हल्कों के साथ इतने बड़े लैवल पर भेदभाव किया जाता है। हम अपने पद की शपथ लेते समय भी यही कहते हैं कि हम बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश का विकास करेंगे। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि बेरी में गवर्नमैंट पॉलिटैक्निक कॉलेज का निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाये। इसके बाद मैं डिमाण्ड नम्बर–11 स्पोर्टस पर बोलना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टेट की स्पोर्ट्स पॉलिसी में अमैंडमैंट किया जाये और उसमें यह भी शामिल किया जाये कि ओलम्पिक गेम्ज में जो भी खिलाड़ी चौथे नम्बर पर आयेगा उसको भी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट कैश अवार्ड के तौर पर दी जाये। मैं विशेष रूप से सरकार से देश की हॉकी की टीम में प्रदेश की हॉकी खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा नकद पुरस्कार देने की मांग करता हूं। प्रदेश की इन हॉकी खिलाड़ियों में प्रदेश के गरीब किसान व मजदूर परिवारों की लड़कियां हैं। ये ऐसी खिलाड़ी हैं जिनकी हैसियत हॉकी की स्टिक खरीदने तक की भी नहीं थी लेकिन इस सबके बावजूद उन्होंने ओलम्पिक में चौथा स्थान प्राप्त किया। मैं बार–बार सरकार से यही रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि प्रदेश की इन सभी हॉकी खिलाड़ियों के कैश अवार्ड की राशि को

ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाये। इसके लिए सरकार अगर सभी माननीय सदस्यों के ऊपर भी कोई लायबिलिटी डालना चाहेगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग संख्या 13 स्वास्थ्य पर अपनी बात रखना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन सी.एच.सीज. हैं। दूबलधन सी.एच.सी. में एक्स–रे मशीन तो हैं लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं है इसलिए गांवों के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सी.एच.सी. दूबलधन में रेडियोलॉजिस्ट की पोस्टिंग की जाये ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। इसी प्रकार से सी.एच.सी. छारा में न तो एक्स–रे मशीन है और न ही रेडियोलॉजिस्ट है इसलिए वहां पर भी रेडियोलॉजिस्ट और एक्स–रे मशीन उपलब्ध करवाई जाये। अब मैं मांग संख्या 14 अर्बन डिवैल्पमैंट पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। 8 साल पहले हमारी सरकार के समय में बेरी में एक हुडा सैक्टर फ्लोट करने की प्रोपोजल चली थी लेकिन उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और पता ही नहीं कि आज वह प्रोपोजल कहां पर है? बेरी बहुत बड़े–बड़े सेठों की नगरी है और वहां के बहुत से सेठ मुंबई, कोलकाता और मद्रास में रहते हैं और यह उन लोगों की यह बहुत पुरानी मांग है इसलिए बेरी में एक हुडा सैक्टर फ्लोट किया जाये। अब मैं मांग संख्या 17 रोजगार के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। प्रदेश में हर जिले में मण्डल रोजगार कार्यालय बने हुए हैं और उनमें बेरोजगार युवाओं के नाम दर्ज हैं और आज हजारों बच्चे रोजगार की तलाश में दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं लेकिन पिछले 7 साल में रिक्रूटमैंट चाहे वह आउटसोर्सिंग की हो, डेली वेजिज की हो, डी.सी. रेट की हो, ऐडहॉक बेसिज की हो, एक भी नाम इन मण्डल रोजगार कार्यालयों से नहीं लिया गया। अगर इन कार्यालयों से किसी को रोजगार ही नहीं देना है तो ये कार्यालय क्यों खोले हुए हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि रोजगार, लॉ एण्ड ऑर्डर सिचुएशन के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अगर किसी प्रदेश में रोजगार नहीं है तो उसकी लॉ एण्ड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब रहेगी ही रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। आज हॉस्पिटल्स से को–आपरेटिव बैंक्स से कांट्रैक्चुअल कर्मचारी हटाए जा रहे हैं। सुनने में आया है कि कोई दूसरे प्रदेश की कम्पनियां आ रही हैं जिनको टैंडर दिया जा रहा है। वह कम्पनी लोगों से दो–तीन महीने की सैलरी के पैसे लेकर नौकरी पर रख रही हैं। जो बच्चे एडहॉक बेसिज पर लगे हुए हैं या डेली वेजिज पर लगे हुए हैं वे आंदोलन कर रहे हैं तथा बहुत से बच्चों ने हाई कोर्ट में रिट डाली हुई है।

आज जो युवा आउटसोर्सिंग के जरिए लगे हुए हैं उनको रैगुलर किये जाने की आवश्यकता है ताकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। अब मैं मांग संख्या 18 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः कादियान जी, बाकी सदस्यों को भी डिमांड्ज पर बोलना है इसलिए आप वाइंड अप कीजिए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, जनरल बजट जब पास होता है उस समय तो सभी विभागों की डिमांड्ज रखी जाती हैं लेकिन जब सप्लीमैंट्री डिमांड्ज प्रस्तुत किये जाते हैं तो उसमें पर्टिकुलरली मैन्शन होता है कि उक्त मांग में उक्त मद के लिए यह पैसा उपलब्ध करवाया जाये। हमने जो सप्लीमैंट्री डिमांड्ज की बुकलैट सदन के पटल पर रखी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि इस हैड में ही पैसा मंजूर किया जाये। अगर हम उस हैड से बाहर बोलेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। उदाहरण के लिए मैं ऐजूकेशन की सप्लीमैंट्री डिमांड्ज के बारे में बताना चाहता हूं। ऐजूकेशन में हमने सैटिंगअप ऑफ भगत फूल सिंह महिला महाविद्यालय के लिए 67 करोड़ 95 लाख रुपये की डिमांड की है। ऐसे ही गवर्नमैंट कॉलेजिज में शिड्यूल्ड कॉस्ट्स स्टूडैंट्स को किताबें उपलब्ध करवाने के लिए 7 करोड़ रुपये की डिमांड की गई है। इसी तरह से सरकारी कॉलेजिज में शिड्यूल्ड कास्ट्स स्टूडैंट्स को स्टाइपैंड देने के लिए 40 करोड़ की डिमांड की गई है। ये बाकायदा हैड बने हुए हैं, ये जनरल डिमांड नहीं हैं।

Dr. Raghuvir Singh Kadian : Deputy Speaker Sir, the amount for which purpose it will be utilised. It will be intimated to the Hon'ble Members in advance. यह मेरी हम्बल सबमिशन है।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज आप यह परम्परा शुरू करना चाहते हैं तो अगली बार हम बिल्ज को एक दिन पहले दे देंगे। माननीय सदस्यगण उसको एक दिन पहले पढ़ लेंगे। हमने पहली बार ऐसा सिस्टम किया है कि जितने बिल्ज हैं वे एक दिन पहले इंट्रोडयूज किये जा रहे हैं। ताकि माननीय सदस्यगण उनको अच्छी प्रकार से पढ़कर उन पर बहस कर सकें और फिर उनको पास किया जा सके। इसी प्रकार सप्लीमैंट्री डिमांड्स भी एक दिन पहले दे दी जाएंगी। माननीय सदस्यगण उनको भी अच्छी प्रकार से पढ़कर आएं और उनमें से किसी सदस्य को किसी डिमांड पर बोलना है तो बोलें अन्यथा जनरल बजट की डिमांड रखेंगे तो ये फिर अनएंडिंग(अन्तहीन) है। इसलिए आज तक कभी इन पर चर्चा हुई नहीं है।

मेरा निवेदन है कि जो परम्परा पहले चली आ रही है उसी हिसाब से इन डिमांड्स को पास किया जाए।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं. 22 के संबंध में कहना चाहता हूं कि राज्य सैनिक बोर्ड को सरकार ने विभाग बना दिया है। बोर्ड में जहां पर चेयरमैन के पद पर एक्स सर्विसमैन, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल की नियुक्ति होती थी। वह पद बोर्ड को विभाग बना देने के कारण आई.ए.एस. काडर का पद बना दिया गया। अगर बोर्ड विभाग बन गया तो automatically that post will go to the cadre-based post. इसमें मेरा निवेदन यह है कि राज्य सैनिक बोर्ड ही रहे क्योंकि इसमें एक्स सर्विसमैन की कोई प्रॉब्लम है तो उसको उसकी कैटेगरी ही समझ सकती है। अगर बोर्ड विभाग बन रहा है तो इस पर कोई न कोई बजट अर्थात खर्चा तो होगा तभी तो विभाग बन रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : कादियान साहब, आपको जो डिमांड की कॉपी दी गई है उसके अन्दर सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको इसके ऊपर एतराज है तो आप बताइये।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस पर एतराज है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, जिस डिमांड के बारे में डॉ. रघुबीर सिंह कादियान जी ने कहा है उसमें ये नहीं है कि राज्य सैनिक बोर्ड को खत्म करके विभाग बना दिया। उसमें पैरा मिलिट्री फोर्सिज को भी इंकलूड किया है। यह ठीक है कि उसमें पैरा मिलिट्री फोर्सिज को इंक्लूड कर दिया गया लेकिन उसे आप राज्य सैनिक बोर्ड ही रहने दीजिए। राज्य सैनिक बोर्ड का सैक्रेटरी हमेशा फौज से ब्रिगेडियर रैंक का रहा है। अब आपने उसको पैरा मिलिट्री फोर्सिज के साथ जोड़ दिया इसलिए उसमें आप सैक्रेटरी कमांडैंट को बनाईये या बी.एस.एफ. से रिटायर्ड आई.जी. को बनाईये। अगर आप इसको विभाग बनाकर आई.ए.एस. को दे दोगे तो नीचे जो जिला सैनिक बोर्ड हैं उनमें भी एक्स सर्विसमैन नहीं जाएंगे। उनमें भी एक्स सर्विसमैन की बजाए और कोई जाएगा। ऐसा करने से फौजियों के साथ बहुत अन्याय हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि एक्स सर्विसमैन्स के साथ अन्याय न करें। आप इस बिल को रिवाईज करें। आप राज्य सैनिक बोर्ड और पैरा मिलिट्री फोर्सिज को मिलाएं और इनमें उन्हें भी बराबर की सुविधा दें। आपकी यह बहुत अच्छी सोच है। हमारा भी यह प्लान था अच्छी बात है लेकिन उसका सैक्रेटरी

किसी फौजी ब्रिगेडियर या कर्नल या कोई बी.एस.एफ., सी.आर.पी. या पैरा मिलिट्री फोर्सिज से आई.जी. रैंक से रिटायर्ड आदमी को बनाइये, जिसको इनकी समस्याओं के बारे में पता है। ताकि जिला सैनिक बोर्ड में भी एक्स सर्विसमैन लगें और सही मायने में पूरे देश में जिस मकसद से ये सैनिक बोर्ड बने हैं उसमें एक्स सर्विस मैन वैलफेयर को फायदा हो।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक्स सर्विसमैन के बोर्ड को विभाग बनाया है। इस विभाग में भी हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो एक्स सर्विसमैन हैं और जो पैरा मिलिट्री फोर्सिज हैं उन सब के नुमाइंदों को इसमें रख कर ही काम करेंगे, क्योंकि उनकी समस्याएं अपने टाइप की होती हैं। वे समस्याएं सामान्यतः एडमिनिस्ट्रेशन को या बाकी लोगों को ध्यान में नहीं होती हैं इसलिए उनकी नुमाइंदगी हम किसी भी रूप में रखें लेकिन उनकी नुमाइंदगी के बिना उस विभाग को नहीं चलाएंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि हमने इस विभाग को आई.ए.एस. के हवाले कर दिया है।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, वह विभाग आई.ए.एस. के हवाले तो जरूर कर दिया है लेकिन उसमें एक्स सर्विसमैन का प्रतिनिधित्व भी जरूर रहेगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से पहले सैनिक बोर्ड में उनका हैड व सैक्रेटरी एक्स सर्विसमैन होता था। मैं तो उन एक्स सर्विसमेन की भावना को बता रहा हूं।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हम उस विभाग में एक्स सर्विसमैन का प्रतिनिधित्व जरूर रखेंगे लेकिन वह किस रूप में रखेंगे, वह अभी डिसाइड नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे गर्व होता है जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हर 10वां फौजी हमारे हरियाणा प्रदेश का बच्चा है। यह एक बहुत बड़ी बात है इसलिए आप उनके एस्टैब्लिशमैंट के साथ छेड़छाड़ न करें। ताकि उनकी भावना को ठेस न पहुंचे। यहां सवाल इस बात का नहीं है कि आपने विभाग क्यों बनाया। यहां सवाल भावना का है ताकि उनकी भावना को ठेस न लगे।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, सैनिक बोर्ड में उस प्रकार की शक्तियां नहीं हैं जो विभाग के नाते सरकार कर सकती है इसलिए हमने तो उनकी सुविधाओं और उनके मामलों को और अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए ही ऐसा किया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आधा फौजी हूँ क्योंकि मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हुआ एक विद्यार्थी हूँ। मेरे साथ सैनिक स्कूल में पढ़े हुए 30 जनरल ऐसे हैं जो अभी भी सेवाएं दे रहे हैं। उन सबने भी इसका एतराज किया है। इतने उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को भी जब यह एतराज है, तो क्यों नहीं सरकार की तरफ से उनकी बात मानी जा रही है। सोल्जर से लेकर जनरल तक सभी सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय पर एतराज जता रहे हैं।

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदय, एक बार इसकी रचना बन जाने दो, बाद में इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, यह हम सोच समझकर फैसला लेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सैनिक बोर्ड में ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी हैड होता था और चीफ मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता था। मेरा अनुरोध है कि राज्य सैनिक बोर्ड की उसी इस्टैब्लिशमैंट को रहने दिया जाये ताकि चीफ मिनिस्टर के साथ फौजियों का सीधा लिंक बना रहे। इसके अतिरिक्त मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर ऐसा होगा तो I would welcome .

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब को निश्चिंत रहना चाहिए सरकार हर पहलू को ध्यान में रखकर ही इस पर विचार करेगी।

डा. रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड न. 24 जोकि इरीगेशन से संबधित है, पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। ड्रेन की सफाई के लिए बजट एलोकेशन तो हुआ है लेकिन असल में इस एलोकेटिड बजट को खर्च ही नहीं किया गया है। हमारे यहां डीघल–गांगटान ड्रेन नॉन फंग्शनल है और इसमें बरसाती पानी भरा पड़ा है। इसी प्रकार मातन ड्रेन भी नॉन फंग्शनल है। इन पर कोई पैसा ही खर्च नहीं किया गया है। केलपा ड्रेन का भी यही हाल है। उपाध्यक्ष महोदय, फील्ड में छह–छह फीट पानी खड़ा है लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खरमान तथा छुड़ानी गांव में मातन ड्रेन पर फ्लो के लिए पम्प हाउस लगाया गए हैं। के.सी.बी. ड्रेन की भी यही हालत है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः कादियान जी, इस वक्त लंबा भाषण देने का कोई औचित्य नहीं है। आप डिमांड पर बात रखिए।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है मैं डिमांड न. 27 जोकि एग्रीकल्चर से संबंधित है, पर अपनी बात रखता हूँ। मेरा निवेदन है कि दो दिन का सैशन, स्पेशल एग्रीकल्चर के विषय पर होना चाहिए। यह मेरा सुझाव है। इसके बाद मैं डिमांड न. 32 जो कि रूरल डिवेल्पमैंट से संबंधित है, पर अपनी बात रखता हूँ। रूरल डिवैल्पमैंट पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायकों को 5 करोड़ रुपये की डिस्क्रीशनरी ग्रांट दी थी लेकिन आज तक एक पैसा भी नहीं मिला है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा भी की थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडूः उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से विधायकों को 5 करोड़ रुपये की डिस्क्रीशनरी ग्रांट देने का काम जरूर करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः देखिए, यह कोई जनरल बजट नहीं है बल्कि यह तो डिमांड्ज हैं और कादियान जी तो जनरल बजट के दौरान जो चर्चा की जाती हैं, उस प्रकार की चर्चा करने लग गए है। यह ठीक नहीं है। जो सप्लीमैंट्री डिमांड्ज से संबंधित बुक आप सबके पास आई है और इसके अंदर जो डिमांड्ज मैंशन हैं, यदि किसी माननीय सदस्य को इन डिमांड्ज में से किसी पर एतराज है, तो वह केवल उस डिमांड पर अपनी बात रख सकता है। यह समय भाषण देने का नहीं है। **(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)**

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, जब आप सदन में आते हैं तब तो बड़े बढ़िया लगते हो लेकिन जब चेयर पर बैठ जाते है तो सख्त हो जाते हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट द्वारा कितने गांवों में फिल्टर्ड वाटर दिया जा रहा है। बेरी हल्के में 26 डिग्गियां हैं। एक सिंगल डिग्गी में भी फिल्टर्ड वाटर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 95 परसैंट फिल्टर तो बदलने वाले हैं और 5 परसैंट ऐसे हैं जिनकी सफाई की जरूरत है और इस प्रकार बगैर फिल्ट्रेशन के पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट द्वारा पानी की सप्लाई की जा रही है।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, सप्लीमैंट्री डिमांड्ज की जो यह बुक है इसमें जो डिमांड्ज लिखी हुई हैं, अगर उस पर किसी को कोई एतराज है तो उस पर डिस्कस हो सकता है। इस तरह भाषण नहीं चलेगा। प्लीज आप बैठिए।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, जिस समय हमें लिस्ट ऑफ बिजनेस दिया गया था, यदि उसी समय सप्लीमैंट्री ऐस्टिमेट्स की यह बुकलैट हमें दे दी जाती तो अलग बात थी लेकिन यह बुकलैट तो अभी हमें प्राप्त हुई है।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आप तो पुराने सदस्य हैं यह सप्लीमैंट्री ऐस्टिमेट्स सदन में पेश होंगे तभी तो यह बुकलैट आपको दी जायेगी।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आपकी बात ठीक है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, जब सदन में सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स पेश होते हैं तो उसके बाद ही माननीय सदस्यों को डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। ये डिमाण्ड्स नहीं हैं बल्कि सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स हैं। कादियान साहब, सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स में आपको जहां कहीं भी कमी लगती है, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं और अपने सुझाव सदन को दे सकते हैं। सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स में नई डिमाण्ड्स की मांग नहीं की जाती।

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, आप एक अच्छे स्पीकर हैं और सही ढंग से सदन चला रहे हैं। प्रजातंत्र के नियम होते हैं और उन्हीं नियमों को बनाने के लिये हम जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनकर सदन में आये हैं। अध्यक्ष महोदय, सप्लीमैंट्री डिमाण्ड्स में it is a very huge amounts which Finance Minister is saying to the House कि इसको पास करना चाहिए।

श्री अध्यक्षः बतरा साहब, सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स के ऊपर डिस्कशन कीजिए लेकिन नई–नई डिमाण्ड्स की मांग नहीं होनी चाहिए।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, यदि हमें 2 मिनट पहले ही सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स की लिस्ट देंगे तो how it is justice then?

श्री अध्यक्षः बतरा साहब, सदन में जिस दिन सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स पेश होंगी उसी समय ही सदन के पटल पर रखी जायेंगी।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, आप सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स पर डिस्कशन का समय कल निर्धारित कर दीजिए ताकि हम पढ़कर डिस्कशन कर सके। अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट के अंदर भी कम से कम पांच दिन सप्लीमैंट्री डिमाण्ड्स के ऊपर डिस्कशन होती है और कट–मोशन भी लगते हैं। सदन को इस बात को भी मान लेना चाहिए कि विपक्ष सप्लीमेंट्री एस्टीमेट्स के ऊपर कट–मोशन नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्षः बतरा साहब, यदि विपक्ष को जानकारी है और लगता है कि सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स में गलत आंकड़े पेश किए गए हैं तो उसे कट–मोशन अवश्य देनी चाहिएं।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, यू.पी. विधान सभा में जिस दिन सप्लीमैंट्री डिमाण्ड्स पेश होती हैं उसके बाद स्पेशल एक दिन के लिए हाउस स्थगित होता है तत्पश्चात् सप्लीमैंट्री डिमाण्ड्स पर बोलने का स्पैशल समय दिया जाता है।

श्री अध्यक्षः बतरा साहब, आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है। इसी तरह का एक सुझाव पहले बिल के संबंध में दिया गया था और सदन ने उसको लागू किया अर्थात् पहले बिल पुरःस्थापित किया जाता है और बाद में उस पर विचार तथा पारित किया जाता है।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 199 (1) में लिखा है–

> "A motion for vote on account shall state the total sum required, and the various amounts needed for each Department or item of expenditure which compose that sum shall be stated in a schedule appended to the motion. "

अध्यक्ष महोदय, आगे रूल 199(3) में लिखा है –

> "Discussion of a general character shall be allowed…."

अध्यक्ष महोदय, आप हर बात को लिमिट कर रहे हैं कि 4 लाइन लिखी हैं इसी पर बोलो या प्रश्न पूछो।

श्री अध्यक्षः बतरा साहब, आगे रूल 199 (3) में लिखा है –

> "…. But the details of the grant shall not be discussed further than is necessary to develop the general points."

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग को ज्यादा पैसे दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कह रहे हैं। हम सदन में केवल उसके ऊपर तो डिस्क्शन कर ही सकते हैं। किसी भी डिपार्टमैंट ने अपनी डिमाण्ड सदन के पटल पर रख दी कि हमें 25 करोड़ रुपये अतिरिक्त डिमाण्ड की जरूरत है और विपक्ष कह रह है कि 25 करोड़ रुपये की डिमाण्ड नहीं होनी चाहिए बल्कि उसमें

10 रुपये कम होनी चाहिए, इस तरह की बात सदन को सुननी ही पड़ेगी। This is our right.

श्री अध्यक्षः बतरा साहब, सदन को माननीय सदस्यों के सुझाव सुनने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन माननीय सदस्यों को भी चाहिए कि सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स के ऊपर ही बोले अर्थात् विषय से हटकर नहीं बोलना चाहिए।

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, these supplementary demands are incorporated in the Constitution of India. अध्यक्ष महोदय, ये रूल्ज संविधान को किसी भी हालत में supersede नहीं कर सकते। संविधान में अधिकार मिला हुआ है कि माननीय सदस्यगण सप्लीमैंट्री डिमाण्ड्स के ऊपर बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्षः बतरा साहब, सदन कब मना कर रहा है कि माननीय सदस्यगण सप्लीमैंट्री डिमाण्ड्स पर नहीं बोल सकते हैं लेकिन माननीय सदस्यों को भी चाहिए कि वे संबंधित सब्जैक्ट के ऊपर ही बोले।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण सप्लीमैंट्री डिमाण्ड्स पर ही बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : रूल 200 में लिखा है कि –

> "Supplementary, Additional, Excess and Exceptional grants and Votes of Credit shall be regulated by the same Procedure as is applicable in the case of demands for grants subject to such adaptions, whether by way of modification, addition or omission as the Speaker may deem to be necessary or expedient."

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे हम्बल रिकवैस्ट है कि Kaul and Shakdher की बुक में यह लिखा है कि जनरल डिमांड्ज के साथ जो फाइनैंस बिल आता है उसमें जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है वही प्रोसीजर इन सप्लीमैंट्री डिमांड्ज में भी अडॉप्ट होगा । इनमें भी बात तो वित्त की ही है । आज भी सरकार सप्लीमैंट्री डिमांड्ज के द्वारा पैसे ही मांग रही है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, आप टोटल डिमांड्ज पर कैसे डिस्कशन कर सकते हैं ?

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं टोटल डिमांड्ज पर डिस्कशन की बात नहीं कर रहा हूं । मेरा कहना है कि सरकार सप्लीमैंट्री डिमांड्ज में भी पैसे ही

मांग रही है और जनरल डिमांड्ज में भी पैसे मांगती है, इसलिए सिस्टम को कर्टेल न किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, हमें सप्लीमैंट्री डिमांड्ज को पास करना है । मेरा कहना है कि सप्लीमैंट्री डिमांड्ज और जनरल डिमांड्ज को पास करने का प्रोसीजर सेम है ।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, आप बजट के साथ ऐप्रोप्रियेयशन बिल पर सदस्यों को बोलने के लिए अलाउ करते हो तो इस केस में भी सेम प्रोसीजर ऐप्लीकेबल होगा । इसमें बेशक से कम बजट की डिमांड की गई है लेकिन है तो वित्त ही, इसलिए आप मुझे सप्लीमैंट्री डिमांड्ज पर बोलने दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है बतरा साहब, आपको सप्लीमैंट्री डिमांड्ज पर बोलने के लिए अलाउ किया जाता है ।

श्री भारत भूषण बतरा : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । मैं डिमांड नं. 11 जोकि स्पोर्ट्स से संबंधित है, पर बोलना चाहूंगा । इसके लिए सरकार ने 82 करोड़ रुपये ऐलोकेट किये हैं । इस समय सदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय खेल एवं युवा मामले मंत्री भी बैठे हैं । राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम का भट्ठा बैठा हुआ है। सरकार उसको तवज्जो ही नहीं देती । सरकार को उसकी इस्टैब्लिशमैंट को बढ़ाना चाहिए । वहां पर रनिंग ट्रैक्स का बुरा हाल है, कबड्डी और कुश्ती जैसे खेलों के लिए वहां पर कोई सुविधा नहीं है । उसका कुछ पोर्शन तो सरकार ने एस.ए.आई. को दे दिया है । वहां पर स्पोर्ट्स का काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है । अतः सरकार को उसे चलाना चाहिए ।

अब मैं डिमांड नं. 14 जोकि अर्बन डिवैल्पमैंट से संबंधित है, पर बोलना चाहूंगा । मैं अपने शहर के सैक्टर–18, 18 'ए' और सैक्टर–21, 21 'ए' के बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल चुका हूं । उन्होंने मेरी बात सुनी लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला । मैं आज सदन में उससे संबंधित डाटा लेकर आया हूं । सैक्टर–18 कुल 83 एकड़ क्षेत्र में बसा हुआ है और सैक्टर–18 'ए' कुल 24.64 एकड़ क्षेत्र में बसा हुआ है । इसका टोटल सेलेबल एरिया 36,486 स्कवेयर मीटर है । इसमें 823 दुकानें हैं । मैंने सरकार से प्रश्न लगाकर इन पर सरकार के किये हुए खर्च की सूचना मांगी थी । सरकार ने मुझे सूचना दी कि इन पर टोटल 60 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि इनकी 11 हजार रुपये कॉस्ट बनती है और विभाग ने इनके 45 हजार रुपये मांगे हैं । मेरा कहना है कि सरकार का ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि उसका

खर्च 11 हजार रुपये हुआ हो और वह 45 हजार रुपये मांग ले । इसका मतलब तो यह हुआ कि हमारा रोहतक शहर कभी डिकंजस्ट नहीं होगा, वहां की मार्केट्स कभी बाहर नहीं जाएंगी । इसके अलावा वहां के हिसार रोड और माल रोड पर बनी दुकानें कभी बाहर नहीं जाएंगी ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बतरा साहब विधि–विधान के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं । अर्बन डिपार्टमैंट में 68 लाख रुपये का प्रावधान निम्न प्रकार से मांगा गया है – पी.ओ.एल. के लिए 5 लाख रुपये, एक्स–ग्रेशिया के लिए 50 लाख रुपये, कम्प्यूट्राइजेशन के लिए 3 लाख रुपये, ऐनर्जी चार्जिज के लिए 10 लाख रुपये । अगर माननीय सदस्य को इस डिमांड के 4 हैड्स में दिए गए प्रावधानों के संबंध में कुछ कहना है तो उनको अवश्य बोलना चाहिए लेकिन अगर वे इससे बाहर जाकर किसी अन्य विषय पर बोलेंगे तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है । अगर हम डिमांड्ज के हैड्स पर न बोलकर जनरल डिस्कशन करेंगे तो फिर यह सत्र भी बजट सत्र जितना लम्बा ही चल सकता है । अतः इस तरह से बोलने का कोई अर्थ नहीं है ।

Dr. Abhe Singh Yadav: Sir, I want to draw attention about Rule 201 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly relating to Scope of discussion on supplementary grants. It says-

> "201. The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them save in-so-far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion."

Shri Bharat Bhushan Batra: You do not know about democracy. With these words, you cannot curtail the system in this way. हम यहां पर अपनी बात रखने के लिए आए हैं। अब मैं जो पढ़ता हूं माननीय सदस्य उसका जवाब दे दें।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, आप अपनी डिमांड के बारे में ही बोलें। आप दूसरी बातों के बारे में डिस्कशन न करें।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं तो डिमांड के बारे में ही बोल रहा हूं। माननीय सदस्य ही बीच में बोल रहे हैं। इसलिए मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूं।

डॉ0 अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वे इस तरह से बीच में न बोलें। यह कोई खेल का मैदान नहीं है।

डॉ0 अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः डॉ0 साहब, प्लीज, आप बैठ जाएं।

Shri Bharat Bhushan Batra: This is not a correct way. He must withdraw his words. हम सभी हाऊस में डाटा लाकर प्लेस करते हैं।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, आप कानून के ज्ञाता हैं और हर चीज के बारे में पढ़कर आए हैं। पर आप यहां पर सही कानून नहीं पढ़ रहे हैं। यानी जो कानून आपको सूट करता है, आप वही कानून पढ़ रहे हैं। आपने Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly के रूल नं0 201 के बारे में नहीं पढ़ा है बल्कि आप रूल नं0 99 के बारे में बता रहे हैं।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा हुआ है कि members have the privilege to speak. उसके बाद आप कर्टेल करेंगे कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए ?

श्री अध्यक्षः बतरा जी, आपको इस डिमांड के सप्लीमैंट्री ऐस्टीमेट्स के ऊपर बोलना है कि इसमें सप्लीमैंट्री ऐस्टीमेट्स कम हैं या ज्यादा हैं। इस डिमांड में 4–5 हैड्स हैं। आपको उन्हीं के ऊपर बोलना है कि इनमें किसमें ज्यादा पैसा देना चाहिए था और किसमें कम पैसा देना चाहिए था।

Shri Bharat Bhushan Batra: Kaul and Shakdhar is the authority so far as Parliamentary Procedure is concerned. I can quote Kaul and Shakdhar. इसमें डिमांड के ऊपर बहस हो सकती है और जनरल करैक्टर के ऊपर भी बहस हो सकती है। आप एक पार्टिकुलर लाइन को पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, मैं जो लाईन पढ़ रहा हूं, वह भी इसी का पार्ट है।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं जो लाइन पढ़ रहा हूं, वह भी इसका पार्ट है।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, आप Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly के रूल नं0 201 को पढ़ें। इसमें यह कहां पर लिखा हुआ है ?

Shri Bharat Bhushan Batra: Discussion on the general character shall be allowed on the motion.

श्री अध्यक्षः बतरा जी, आपको स्कोप ऑफ डिस्कशन ऑन सप्लीमैंट्री ग्रान्ट्स पर बोलना चाहिए, परन्तु आप जनरल डिस्कशन के ऊपर बोल रहे हैं।

Shri Bharat Bhushan Batra: It is leading to a system failure.

Mr. Speaker: It is already mentioned in the Book.

Shri Bharat Bhushan Batra: This way rights of the members are curtailing. This is not the spirit of the Constitution. संविधान में ऐसी बात नहीं है कि जिसमें बोलने की इजाजत न हो।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, आप सब्जैक्ट के ऊपर ही बोलें।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं सब्जैक्ट के ऊपर ही बोल रहा हूं। इसके अतिरिक्त दो छोटी–छोटी डिमांड्स और रह गयी हैं। अब मैं रिलेवैंट डिमांड के ऊपर आता हूं।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, आप डिमांड नम्बर बताएं।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 38 पर बोल रहा हूं और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। इस डिमांड के तहत रोहतक में साफ पानी की व्यवस्था नहीं की गयी है।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, आप रोहतक के बारे में ही बता रहे हैं। आप सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेट्स के ऊपर अपनी बात रखें। अगर आप इसके अतिरिक्त दूसरी बातें रखेंगे तो वे बातें रिकार्ड नहीं की जाएंगी।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं जो डिमांड रेज कर रहा हूं that is covered under the Article of the Constitution. कांस्टीच्यूशन के तहत मेरा राइट है कि मेरे शहर को अच्छा और साफ पानी मिले।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, आप ये बातें इस सप्लीमैंट्री ऐस्टीमेट्स पर नहीं बोल सकते। ये बातें आप बजट के दौरान बोल सकते हैं। अगर इस डिमांड नं0 38 में कोई सप्लीमैंट्री गलत है तो उसके ऊपर बोलें।

Shri Bharat Bhushan Batra: It is for the Parliamentary Affairs Minister to object it but it is not for the Hon'ble Speaker to object it.

Mr. Speaker: No. I have to decide it.

Shri Bharat Bhushan Batra: Parliamentary Affairs Minister should object कि यह बात ठीक है या नहीं है ?

श्री अध्यक्षः बतरा जी, आप Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly के रूल नं0 201 के अनुसार ही बोलें। इसके अनुसार आप सप्लीमैंट्री एस्टिमेट्स के ऊपर ही डिस्कशन करें।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। I have put my best efforts and I also met the ACS of the concerned Department many times. He has been kind enough to depute a Chief Engineer there to check the same. मेरे कहने का मतलब है कि वहां पर अच्छा और साफ पानी मिलना चाहिए और सीवरेज सिस्टम ठीक होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, आप फिर वही बात दोहरा रहे हो। आप रोहतक से बाहर निकलते ही नहीं हो।

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, आप अपनी डिमांड नम्बर बोलिये। आप इस समय सुझाव नहीं दे सकते हो।

श्री बलराज कुंडू (महम) : अध्यक्ष महोदय, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो हमारे पब्लिक हैल्थ विभाग के माध्यम से टैंक बनाये जा रहे हैं। जमीनों को खोदकर टैंक बनाया जाता है क्योंकि वहां की जमीन का पानी खारा है जिसकी वजह से इन टैंकों में खारा पानी मिल जाता है जिससे टैंक का पानी भी खराब हो जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी टैंडर लगाकर पैसा खर्च करके टैंक बना रहे हो, उन टैंक्स को ग्राउंड के ऊपर बनाया जाये ताकि जमीन का खारा पानी इसके अंदर न जा सके।

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, यह पार्ट सैप्लीमैंटरी ऐस्टिमेट्स का नहीं है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक बहुत ही जरूरी डिमांड है। जिस पर मैं बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, मेरी बात सुनिये you may restrict yourself strictly to the Supplementary Estimates. Do not speak on other general demands.

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर–9 पर बोलना चाहूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में जितने महिला विश्वविद्यालय हैं उनमें गेस्ट लैक्चरार को 57700 रुपये सैलरी दी जाती है लेकिन भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में सैलरी के नाम पर मात्र 25000 रुपये दिये जाते हैं। क्या वह भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है क्या इसी कारण से यहां के कर्मचारियों को कंसोलिडेट 25000 रुपये दिये जा रहे हैं, यह अन्याय नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अतः मेरा निवेदन है कि हरियाणा की दूसरी मैडीकल यूनिवर्सिटीज की तर्ज पर यहां के कर्मचारियों को भी सैलरी देने का काम किया जाये? दूसरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी कि पी.टी.आई. टीचर्ज के घरों के चूल्हे नहीं बुझने देंगे। मैं कहना चाहूंगा कि इनके चूल्हे में तो पानी पड़ा है, इनके चूल्हों को कब तक जलाने का काम किया जायेगा? क्या इनके चुल्हे जलेंगे या नहीं?

श्री मनोहर लालः मलिक साहब, हम इन कर्मचारियों की सैलरी बराबर कर देंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर–4 पर बोलना चाहूंगा।

श्री सुभाष सुधा : अध्यक्ष महोदय, ऐस्टिमेट कमेटी में ये सभी सैप्लीमैंटरी ऐस्टिमेटस पास कर दी गई थी। जब ऐस्टिमेट कमेटी ने इन सैप्लीमैंटरी ऐस्टिमेटस को पास कर दिया गया था और अब वह नहीं मानी जा रही है, तो फिर कमेटी को ही खत्म कर दीजिए।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इसके लिए किसानों को 50 हजार रुपये कम्पनसेशन दिया जाये और जैसा कि माननीय उप–मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी हम स्पैशल गिरदावरी करवा रहे हैं। मेरी मांग है कि फसलों की गिरदावरी जल्दी से जल्दी करवाकर किसानों को कम्पनसेशन के पैसे दिये जायें। अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 13 पर बोलना चाहूंगा जो हैल्थ विभाग से संबंधित है। मैं चाहता हूं कि अस्पताल के लिए बिल्डिंग्ज बनाई जायें। मेरा इसमें यह भी कहना है कि वहां के अस्पतालों में डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आप कौन से हैड की बात कर रहे हो।

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, खानपुर कलां मैडीकल कॉलेज में तीन अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, वे तीनों ही बंद हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है मलिक साहब, आपको बोलने के लिए बहुत समय दिया जा चुका है। अब आप कृपया बैठ जायें और श्री बिशन लाल सैनी को बोलने दें।

डॉ. बिशन लाल सैनी (रादौर) : स्पीकर सर, मैं डिमाण्ड नम्बर–34 सड़क परिवहन पर बोलना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 2018 के अंदर बसों के ड्राइवर्ज और कंडक्टर्स की हड़ताल हुई थी और उनकी जगह दूसरे ड्राईवर्ज और कंडक्टर्स को रखा गया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि हड़ताल के दौरान जो ड्राइवर्ज और कंडक्टर्स रखे गये थे परिवहन विभाग की तरफ से उनको प्रशंसा–पत्र भी दिये गये थे। इसके साथ ही साथ सरकार की तरफ से उनसे एक वायदा यह भी किया गया था कि सरकार द्वारा जब भी ड्राइवर्ज और कंडक्टर्स की नौकरियों बारे एडवरटाइजमैंट निकाली जायेगी तो उनको प्राथमिकता पर रखा जायेगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन है कि अगर सरकार के स्तर पर ड्राइवर्ज और कंडक्टर्स की भर्ती की जाये तो उनको प्राथमिकता दी जाये।

श्री नीरज शर्मा (फरीदाबाद एन.आई.टी.) : स्पीकर सर, मैं डिमाण्ड नम्बर 11 स्पोर्ट्स एण्ड यूथ वैलफेयर पर बोलना चाहता हूं। सरकार ने ओलम्पिक खेलों के लिए टोटल बजट एस्टीमेट 1 खरब 27 अरब 7 करोड़ 88 हजार रखा है। सरकार ने इसमें से 31 करोड़ 3 लाख रुपये की राशि को इनामों के लिए रखा है। सर, मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि जो एक ही गोल्ड मैडल हमारे देश व प्रदेश में आया है वह श्री नीरज चोपड़ा जी लेकर आये हैं। हरियाणा सरकार ने श्री नीरज चोपड़ा जी को 6 करोड़ रुपये की राशि ईनाम के तौर पर दी है। मेरा यह सुझाव है कि सरकार इस राशि को बढ़ाकर 10 करोड़ कर दे। अगर सरकार ऐसा कर देती है तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी। मेरे साथ पूरा सदन भी इसका समर्थन करेगा।

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर सर, इस मामले में मेरा भी सुझाव है कि इस 10 करोड़ रुपये की संख्या को भी शुभ करके 11 करोड़ रुपये कर दिया जाये।

श्री कुलदीप वत्स (बादली) : स्पीकर सर, मैं डिमाण्ड नम्बर 24 और 27 पर बोलना चाहता हूं। मेरी यह मांग सिर्फ मेरे विधान सभा हल्के के लिए नहीं है बल्कि यह मांग मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए कर रहा हूं। हाल ही में हुई बरसात से हरियाणा प्रदेश के जिन किसानों की फसलों को नुक्सान हुआ है उनकी स्पैशल गिरदावरी करवाने का जो निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया है उसको जल्दी

से जल्दी इम्पलीमैंट किया जाये और इस गिरदावरी को जल्दी से जल्दी करवाकर प्रभावित किसानों की यथासम्भव मदद की जाये। इसके अलावा मेरी यह भी मांग है कि मेरे हल्के के जिन तीन दर्जन गांवों में अभी तक भी 3 से 6 फुट बारिश का पानी खड़ा है उसको जल्दी से जल्दी निकलवाने के आदेश जारी किये जायें। इससे किसानों के साथ ही साथ गवर्नमैंट के रेवेन्यू का भी नुक्सान हो रहा है। मैं सरकार से यह भी मांग करता हूं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में जहां–जहां पर इस प्रकार से बारिश का पानी खड़ा होने की समस्या है उसका जल्दी से जल्दी स्थायी समाधान निकाला जाये। बारिश के पानी से प्रदेश के बहुत से गांवों में लोगों के घरों के भी गिर जाने का खतरा पैदा हो गया है। इसके साथ ही साथ उनकी फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। सरकार को इस समस्या पर तुरंत विचार करके कारगर समाधान निकालना चाहिए।

राव दान सिंह (महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या–35 और 40 पर अपनी बात रखना चाहता हूं। मांग संख्या–35 टूरिज्म से संबंधित है, मैं इस पर अपनी बात रखना चाहता हूं। इस डिमांड में 17,35,40,000/– रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत कम है। इस बजट को देखते हुए लगता है कि आपने टूरिज्म को सैकेंड्री बना दिया है। यह अलग बात है कि हमारे पास हिस्टोरिकल मोनूमैंट्स तथा हैरीटेज बिल्डिंग्ज नहीं हैं लेकिन we can creat it out of nothing. मैडिकल टूरिज्म भी हरियाणा में बहुत अच्छा चल सकता है। आपने देखा होगा जब पिछली बार कोरोना की बीमारी चल रही थी उस समय पूरे हिन्दुस्तान में नजर हरियाणा पर जाती थी। अगर इस मद में और अधिक पैसा रखते हैं तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह से जो हैरीटेज बिल्डिंग्ज हैं जैसे महेन्द्रगढ़ में दो हैं, नारनौल में भी हैं तथा बाकी हरियाणा में भी जो हैरीटेज बिल्डिंग्ज हैं उनको रैनोवेट करके टूरिज्म के तौर पर विकसित करके आमदनी का अच्छा सोर्स बनाया जा सकता है।

श्री अध्यक्षः दान सिंह जी, आप सुझाव दे रहे हैं, आप डिमांड्ज पर बोलिए।

राव दान सिंहः सर, मैं डिमांड्ज पर ही बोल रहा हूं। अब मैं डिमांड संख्या–40 पॉवर के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। आपने पॉवर की डिमांड के लिए 2894 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह पैसा बहुत कम है क्योंकि विभाग को ट्रांसफार्मर खरीदने हैं। मैंने एक दिन मीटिंग में भी ए.सी.एस. साहब को कहा था

कि इसमें आप पैट ट्रांसफार्मर भी इंक्लूड कर लें ताकि ढाणियों में रहने वाले लोगों को डिम लाईट की बजाय पूरी बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर) (एस.सी.): अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड संख्या–21 और 22 पर अपनी बात कहना चाहती हूं। डिमांड संख्या–21 महिला एवं बाल विकास से संबंधित है। डैस्टीच्यूट्स चिल्ड्रन के बारे में मैं अपनी बात कहना चाहती हूं। अभी कोरोना काल में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके माता–पिता दोनों का देहान्त हो गया है तथा उनका पालनपोषण करने वाला कोई नहीं बचा है। उनकी मौत गांव में घर पर ही हुई है इसलिए उनका रिकॉर्ड कोरोना के मरीजों में शामिल नहीं हो पाया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि इन डैस्टीच्यूट्स चिल्ड्रन के लिए कोई बजट्री प्रोविजन किया जाए। वैसे तो डैस्टीच्यूट्स चिल्ड्रन के लिए हम पहले से ही बजट का प्रावधान करते थे लेकिन कोरोना के दौरान जो बच्चे डैस्टीच्यूट हुए हैं उनके आंकड़े गम्भीरता से लेकर उनके लिए बजट का प्रावधान किया जाए ताकि उनकी रोजी–रोटी चल सके तथा वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। इसी तरह से आंगनवाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स ने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है तथा उनको सरकार ने कोरोना वॉरियर्स माना है तो उनको स्मार्ट फोन देने का वायदा सरकार पूरा करे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग संख्या–22 वैलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूं। हरियाणा पैन्शनर्स ने बार–बार मांग रखी है कि 60, 70 और 75 वर्ष की आयु पार करने पर 10, 15 और 20 प्रतिशत की पैन्शन में वृद्धि का जो नियम बना हुआ है जो हरियाणा में 80 वर्ष की आयु पार करने पर होती है पहले हम 60, 65 और 75 वर्ष की आयु पर करने पर यह पैन्शन वृद्धि दे रहे थे। मेरा इस बारे में अनुरोध है कि इसको पंजाब तथा अन्य राज्यों की तर्ज पर 65 वर्ष की आयु पर करने पर पैन्शन में वृद्धि के लिए कंसीडर कर लें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विभिन्न डिमांड्ज को सदन में वोटिंग के लिए रखा जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

मांग संख्या 1 से 18

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **13,95,88,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **1–विधान सभा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **18,37,90,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **2–राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **36,36,50,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या 3**–सामान्य प्रशासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **856,30,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **4–राजस्व** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **36,40,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **5–आबकारी एवं कराधान** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **9,04,99,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **6–वित्त** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **70,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या 7**–आयोजना एवं सांख्यिकी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **104,50,00,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **1185,98,34,000/-**रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **8–भवन तथा सड़कें** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए ।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **114,95,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या 9**–शिक्षा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **36,50,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या 10**–तकनीकी शिक्षा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **82,71,00,000/-** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **11—खेलकूद तथा युवा कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **4,65,00,000/-** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **12—कला एवं संस्कृति** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **571,41,50,000** रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **100,00,00,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **13—स्वास्थ्य** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **68,00,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **14—नगर विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1422,21,93,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **15—स्थानीय शासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **45,00,000** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **3,40,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **16—श्रम** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 28,30,43,**000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **17—रोजगार** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 250,**00,00,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **18—औद्योगिक प्रशिक्षण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्षः प्रश्न है—

मांग संख्या 21 से 24

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **208,12,31,000** रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **2,89,95,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **21—महिला एवं बाल विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **109,74,08,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **22–भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **501,00,00,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **23–खाद्य एवं आपूर्ति** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 15**,00,00,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **24–सिंचाई** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

मांग संख्या 27

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **108,03,63,000** रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **50,00,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **27–कृषि** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

मांग संख्या 30 से 32

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 5**8,70,00,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **30–वन एवं वन्य प्राणी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,70,64,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **31–परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **292,37,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **32–ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

मांग संख्या 34 से 40

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **65,11,00,000** रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **259,56,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **34–परिवहन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 48,**25,000** रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **17,35,40,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **35–पर्यटन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1276,10,65,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **36–गृह** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,**15,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **37–निर्वाचन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 442,**55,00,000** रुपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **858,45,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **38–लोक स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 58,**29,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **39–सूचना तथा प्रचार** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2894,80,50,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **40–उर्जा तथा विद्युत** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

मांग संख्या 42

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **18,00,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **42–न्याय प्रशासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

मांग संख्या 43

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **22,30,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **43–कारागार** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

मांग संख्या 45

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **548,78,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **45–राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

विधायी कार्य–

(1) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021 विधेयक का स्थगितकरण

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य शुरू होगा।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में एक अर्ज करना चाहता हूं। नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को 6 बजे मीटिंग में जाना है इसलिए आज के लिस्ट ऑफ बिजनेस में क्रम संख्या–6 पर रखे गये बिल भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021 को कल दिनांक 24.08.2021 तक के लिए डैफर कर लिया जाये।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, इसको सबसे पहले टेकअप कर लेते हैं उसके बाद हुड्डा साहब मीटिंग में चले जायेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी मीटिंग के लिए निकलना है और बिना डिस्कशन किए यह बिल पास करना उचित नहीं होगा इसलिए इसको कल तक के लिए डैफर कर लिया जाये।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अगर हाउस की सहमति हो तो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा

संशोधन) विधेयक, 2021 को कल दिनांक 24.08.2021 तक के लिए डैफर कर लिया जाये।

आवाजें: ठीक है, जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021 को कल दिनांक 24.08. 2021 तक के लिए डैफर किया जाता है।

.....

(2) पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक

1. दि पंचकूला मैट्रोपोलिटन डिवैल्पमैंट अथोरिटी बिल, 2021

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ–

> कि पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

> कि पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(अनुमति प्रदान की गई।)

श्री अध्यक्ष : अब माननीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करेंगे।

कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2021 पुरःस्थापित हुआ।

(विधेयक सर्वसम्मति से पुरःस्थापित हुआ।)

———————————————

(ii) दि हरियाणा गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स(सैकेंड अमेंडमैंट) बिल, 2021

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ–

कि हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(अनुमति प्रदान की गई।)

श्री अध्यक्ष : अब माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करेंगे।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित हुआ।

(विधेयक सर्वसम्मति से पुरःस्थापित हुआ।)

(iii) दि हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवैंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) बिल, 2021

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री वरूण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस बिल में बहुत कमियां हैं अगर उनको वापिस ठीक करके दोबारा से इसको इंट्रोड्यूस किया जाए तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : वरूण जी, अभी तो बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कल आपका जो सुझाव होगा वह उसमें कंसीडर करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(अनुमति प्रदान की गई।)

श्री अध्यक्ष : अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित हुआ।

(विधेयक सर्वसम्मति से पुरःस्थापित हुआ।)

(iv) दि हरियाणा परिवार पहचान बिल, 2021

18-00 बजे

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा परिवार पहचान विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

कि हरियाणा परिवार पहचान विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा परिवार पहचान विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा परिवार पहचान विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(अनुमति प्रदान की गई।)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा परिवार पहचान विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा परिवार पहचान विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : हरियाणा परिवार पहचान विधेयक, 2021 पुरःस्थापित हुआ।

(विधेयक सर्वसम्मति से पुरःस्थापित हुआ।)

.....

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 1 घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है, जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है, सदन की बैठक का समय 1 घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है।

———————

विधायी कार्य (पुनराम्भ)

(3) विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक

(i). दि हरियाणा मैनैजमैंट ऑफ सिविक अमेनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशियेंट म्युनिसिपल एरिया (स्पेशल प्रोविजंस) अमेंडमैंट बिल, 2021

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय परिवहन मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 2021 पर तुरन्त विचार किया जाए।

परिवहन मंत्री (पंडित मूल चंद शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉजिज 2 से 4

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉजिज 2 से 4 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्षःप्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय परिवहन मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

परिवहन मंत्री (पंडित मूल चंद शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ)

(ii) महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी, कैथल (अमैंडमैंट) बिल, 2021

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय शिक्षा मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल (संशोधन) विधयेक, 2021 पर तुरन्त विचार किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ–

कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल (संशोधन) विधयेक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल (संशोधन) विधयेक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर) (अ.जा.): अध्यक्ष महोदय, सरकार महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल (संशोधन) विधेयक लेकर आई है। आज हम महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं और उस पर थोड़ी बहुत कार्यवाही भी चल रही है। अच्छी बात यह है कि सरकार ने समय रहते इस चीज को महसूस कर लिया है कि महर्षि वाल्मीकि की स्थली पर ही महर्षि वाल्मीकि के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे विश्वविद्यालय बने हैं, उनके शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों की एडवरटाईजमैंट्स जरूर हुई हैं, लेकिन वे विदड्रा भी नहीं हुईं और भर्ती भी नहीं हुई हैं। यह अच्छी बात है कि हम यूनिवर्सिटिज बना रहे हैं। हायर एजूकेशन में एनरोलमैंट बढ़ाना चाहते हैं। अच्छी बात है कि हम अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। हमें एक्ट में नामकरण के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी हमारी यूनिवर्सिटिज हैं जैसे महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल में आचार्य ज्योतिष, आचार्य वेद, आचार्य व्याकरण आदि सभी के पद निकाले गये थे और बाद में लगे हाथ उनको कैंसिल भी कर दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार को नामकरण की चिंता तो करनी ही चाहिए इसके साथ–साथ भर्तियों पर भी ध्यान रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटिज में वी.सी. उनकी योग्यता के हिसाब से लगाना चाहिए क्योंकि कई बार देखा गया है कि यूनिवर्सिटी में वी.सी. उनकी योग्यता के हिसाब से नहीं लगाया जाता, जिसके कारण विश्वविद्यालय के प्रौफेसर्ज में आक्रोश पैदा हो जाता है। धन्यवाद।

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटिज में वी.सी. योग्यता के हिसाब से ही हमारी स्टेट के लगने चाहिए अर्थात् बाहर से लेकर यूनिविर्सिटी का वी.सी. नहीं लगाना चाहिए। कई बार यह भी देखा गया है कि पी.जी.टी. को ही वी.सी. के पद पर लगा दिया गया है, जिससे यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ प्रौफेसर्ज में आक्रोश पैदा होता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

> कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल (संशोधन) विधयेक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉजिज–2 से 6

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉजिज–2 से 6 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्गण, अब माननीय शिक्षा मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

(विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

(iii) दि हरियाणा लोकायुक्त (अमैंडमैंट) बिल, 2021

श्री अध्यक्ष : अब माननीय उपमुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021 पर तुरंत विचार किया जाए ।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं –

कि हरियाणा लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।)

(iv) दि हरियाणा एंटरप्राजिज प्रमोशन (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2021

श्री अध्यक्ष : अब माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पर तुरंत विचार किया जाए ।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

(V) पंडित लखमी चन्द स्टेट युनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, रोहतक (अमैंडमैंट) बिल, 2021

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2021 पर तुरंत विचार किया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

कि पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार जाए।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

क्लॉज 3

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

टाइटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सदन दिनांक 24 अगस्त, 2021 तक प्रातः 10:00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*18:17 बजे

(तत्पश्चात सभा मंगलवार, दिनांक 24 अगस्त, 2021 तक प्रातः 10:00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)

———————